



Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{k d
dk
31 ekpZ 2015 dks I eklr gq o"kZ dk i fronu
j kT; dk foYk



e/; i nsk I j dkj

Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki j h{kd

dk

31 ekpl 2015 dks l ekir gq o"kl dk i frosnu

jkT; dk foYk

e/; i n's k l j dkj

fo"k; l ph

fooj .k	dfMdk	i "B Øekrd
प्राक्कथन		ix
कार्यपालन सारांश		xi
v/; k; 1		
jkT; l jdkj ds foYk		
राज्य की रूपरेखा		1
प्रस्तावना	1.1	2
2014-15 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़े	1.1.3	4
जेण्डर बजटिंग	1.1.4	5
राज्य के संसाधन	1.2	7
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर सीधे निधियों का अंतरण	1.2.2	10
राजस्व प्राप्तियां	1.3	10
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	12
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.2	15
केन्द्रीय कर अंतरण	1.3.3	15
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग	1.3.4	16
संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)	1.3.5	17
पूँजीगत प्राप्तियां	1.4	18
विनिवेश से प्राप्ति	1.4.1	18
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां	1.4.2	18
लोक ऋण प्राप्तियां	1.4.3	18
लोक लेखे प्राप्तियां	1.5	18
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	19
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.6.1	19
पूँजीगत व्यय	1.6.2	21
राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति	1.6.3	21
वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर व्यय	1.6.4	22

fooj .k	dfMdk	i "B Øekrd
राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1.6.5	25
स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं एवं निधियों का हस्तांतरण	1.6.6	26
व्यय की गुणवत्ता	1.7	27
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	27
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	29
शासकीय व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	30
निवेश तथा प्रतिलाभ	1.8.1	30
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.2	31
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.8.3	32
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.8.4	33
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	1.9	34
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना	1.9.1	34
राजकोषीय देयताएं	1.9.2	34
समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना	1.9.3	36
प्रत्याभूतियों की स्थिति- आकस्मिक देयताएं	1.9.4	36
असंचालित आरक्षित निधियाँ	1.9.5	37
ऋण प्रबंधन	1.10	38
ऋण संधारणीयता	1.10.1	38
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता	1.10.2	38
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	1.10.3	39
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा	1.10.4	39
राजकोषीय असंतुलन	1.11	40
राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप	1.11.1	42

fooj .k	dfMdk	i "B Øekd
घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता	1.12	43
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	1.13	43
v/; k; 2		
foYkh; i zdku rFkk ctVh; fu; æ.k		
प्रस्तावना	2.1	47
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	47
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	49
आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग-सारभूत बचतें	2.3.1	49
सतत बचतें	2.3.2	50
योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय	2.3.3	51
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.4	51
2014-15 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.5	51
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.6	52
अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	2.3.7	53
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण	2.3.8	53
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.3.9	53
अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण समर्पण	2.3.10	54
व्यय की अत्यधिकता	2.3.11	54

fooj .k	dfMdk	i "B Øekrd
निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना	2.3.12	54
बिना प्रावधान के किए गए व्यय	2.3.13	54
अवास्तविक बजट अनुमान	2.3.14	55
बजट आवंटन से बाहर अनुमानित बचतों का समर्पण न करना	2.3.15	55
चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम	2.4	56
सारांशीकृत स्थिति	2.4.1	57
महत्वपूर्ण बचतें	2.4.2	57
चयनित अनुदान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान	2.4.3	57
पूँजीगत अनुभाग के स्थान पर राजस्व अनुभाग में उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनों के अंतर्गत बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण	2.4.4	58
सतत बचतें	2.4.5	58
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	2.5	58
v/; k; 3		
foYkh; ifronu		
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	3.1	61
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति	3.2	62
दुर्विनियोग, हानियां, गबन इत्यादि की सूचना	3.3	63
विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4	64
संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4.1	64
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.5	65
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न होना	3.6	66
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां' एवं '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना	3.7	67
पूर्व वर्षों के दायित्वों का भुगतान आगामी वर्षों के बजट से किया जाना	3.8	67
बैंक खातों का अनियमित संधारण	3.9	68
निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों को प्रस्तुत न करना	3.10	70

fooj .k	dfMdk	i "B Øekad
व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण	3.11	70
दसवें वित्त आयोग के अनुदान का प्रतिधारण	3.12	73
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	3.13	74

i f'f' k"V

l jy Øekad	fooj .k	i "B Øekad
1.1	राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	77
1.2 भाग-क	सरकारी लेखों की संरचना	78
1.2 भाग-ख	31 मार्च 2015 को पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र	79
1.3 भाग-क	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली	80
1.3 भाग-ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005	81
1.4	राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	83
1.5 भाग-क	वर्ष 2014-15 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	86
1.5 भाग-ख	31 मार्च 2015 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	90
1.6	श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के अंतर्गत बचतों का विवरण	92
1.7	2010-15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग (₹ एक करोड़ या उससे अधिक)	93
1.8 भाग-क	राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण	95
1.8 भाग-ख	राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण	95
1.9	31 मार्च 2015 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति, अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था	97
1.10	जून 2015 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति	99

l j y Øekad	fooj .k	i "B Øekad
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र	100
2.2 (क)	तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक) हुईं	103
2.2 (ख)	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जिनमें प्रत्येक में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण पत्र	112
2.2 (ग)	योजनाओं के प्रकरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	115
2.3	पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है	122
2.4	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	123
2.5	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)	125
2.6	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण	126
2.7	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्र जिनमें बचत हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया	130
2.8	31 मार्च 2015 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण	131
2.9 (अ)	वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ एक करोड़ या उससे अधिक)	134
2.9 (ब)	प्रावधान से आधिक्य के उपरांत भी समर्पण	134
2.10	व्यय की अत्यधिकता	135
2.11	8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में निधियों का अंतरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	138
2.12	ऐसे प्रकरण जिनमें पिछले तीन वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ से अधिक के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे	139
2.13	चयनित अनुदान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें जहां बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक थीं	141

l jy Øekad	fooj .k	i "B Øekad
2.14	पूँजीगत अनुभाग से संबंधित पूँजीगत परिसम्पत्तियों के उद्देश्य शीर्ष 63-मशीन के अधीन प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान राशि ₹ दो लाख तथा अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण	143
3.1	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार स्थिति	144
3.2	दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा	145
3.3	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरणों के संबंध में विभाग/संवर्गवार विवरण	147
3.4	2014-15 के दौरान अपलेखित प्रकरणों का विभागवार विवरण	148
3.5	लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज किया जाना	149
3.6	लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियों" के अंतर्गत दर्ज किया जाना	150
3.7-"अ"	2013-14 के बजट से पूर्व वर्षों के दायित्वों (2011-12 एवं 2012-13) का भुगतान दर्शाये जाने वाला विवरण	151
3.7-"ब"	2014-15 के बजट से पूर्व वर्षों के दायित्वों (2011-12, 2012-13 एवं 2013-14) का भुगतान दर्शाये जाने वाला विवरण	151
3.8	बैंक खातों का अनियमित संधारण को दर्शाये जाने वाला विवरण	152
3.9	राजस्व जमा को अंतरित नहीं की गई व्यक्तिगत जमा खातों की राशि का कोषालयवार विवरण	155

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे के परीक्षण से उद्भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों समाविष्ट हैं। जहाँ आवश्यक हुआ, मध्य प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।
3. वित्तीय प्रतिवेदन पर तीसरा अध्याय, वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति और विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों में संव्यवहार की लेखापरीक्षा एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियां सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियां सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किए जाते हैं।

dk; ži kyu | kj ka k

i "Bhkfe

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आंकलन के उद्देश्य से लाया गया है जो कि वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण को परिदृश्य देने के उद्देश्य से, हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों, राज्य बजट दस्तावेजों, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानक और विभिन्न शासकीय विभागों और संस्थानों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों से करने का प्रयास किया है।

i fronu

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

i gyk v/; k; वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2015 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेंतर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त राज्य के समग्र वित्त, वास्तविक व्यय की तुलना में बजट अनुमानों, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायताओं, व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति पर अंतरदृष्टि डालता है। यह विकास, सामाजिक क्षेत्र और पूंजीगत व्यय पर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

nl jk v/; k; विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में चयनित अनुदानों की समीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां भी दी गई हैं।

rhl jk v/; k; विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्य प्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

ys[kki jh{k k fu"d"kl

v/; k; &1% jkT; | jdkj ds foŸk

jkt dks'kh; vl Uryuka dk i c'ku , oa l d k/ku l ag. k

- राज्य ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 6,268 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 389 करोड़ की वृद्धि हुई। यद्यपि राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 11,352 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से ₹ 1,470 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि सकल

राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा 2013-14 में 2.27 प्रतिशत से घटकर वर्तमान वर्ष में 2.23 प्रतिशत हो गया, यह मुख्यतः 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि के कारण हुआ।

%dfMdk, a 1-1-2] 1-11 , oa jkT; dh : i js[kk½

- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का कर राजस्व (₹ 36,567 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमानों (₹ 29,912 करोड़ से) एवं मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (₹ 30,104 करोड़ से) में निर्धारित लक्ष्य से कम रहा। राज्य द्वारा प्रक्षेपित 2014-15 के लिए पुनरीक्षित बजट अनुमान ₹ 66,479 करोड़ यथार्थवादी नहीं था।

%dfMdk 1-3-1½

0; ; i xdku , oa jktdks'kh; i kfkfedrk

- 2014-15 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास, ऊर्जा एवं परिवहन के अंतर्गत थी।

%dfMdk 1-6-2½

- 2014-15 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) में 17.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 10.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से 51.49 प्रतिशत अधिक था लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से अंशतः कम था।

%dfMdk 1-6-3½

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगी एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। ₹ 9,954 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 49 प्रतिशत उर्जा विभाग से संबंधित थी।

%dfMdk, a 1-6-4 , oa 1-6-4-4½

- 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

%dfMdk 1-7-1½

fuo'sk ij ifrykthk

- 2014-15 के दौरान, सरकार द्वारा 2014-15 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में निवेश ₹ 16,104.55 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 80.35 करोड़) केवल 0.50 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.88 प्रतिशत थी।

%dfMdk 1-8-1½

- सत्ताईस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखे को 2014–15 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 13,523.24 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 29,268.72 करोड़ तक हो गया।

%dfMdk 1-8-1½

viwkz ifj; kstuk, a

- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं जल संसाधन विभागों में 68 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2015 तक किया गया व्यय ₹ 14,344.25 करोड़ निष्फल रहा।

%dfMdk 1-8-2½

jkdm+ 'ks'k , oa ns rkvka dk i'cdku

- राज्य सरकार द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में 2013–14 एवं 2014–15 के अंत में क्रमशः ₹ 4,477 करोड़ तथा ₹ 5,402 करोड़ का निवेश किया गया। रोकड़ शेष निवेश खाते में बड़ी राशि का कम ब्याज दर पर रखना जबकि उधार अधिक दर पर लेना वित्तीय विविक्षाएं (implications) लाता है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में उच्च स्तर पर निवेश दर्शाता है कि रोकड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

%dfMdk 1-8-4½

- बकाया राजकोषीय देयताओं में 2010–11 के अंत में ₹ 75,504 करोड़ से 2014–15 के अंत में ₹ 1,08,688 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के अन्त में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 21.40 प्रतिशत थी जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 35.30 प्रतिशत के अंदर रही। ऋण की मात्रा बढ़ जाने के परिणामस्वरूप ऋण को चुकाने की देयताओं में वृद्धि होती है।

%dfMdk 1-9-2½

vl; k; &2%foYkh; i'cdku rFkk ctVh; fu; a.k

emy , oa vuqj'jd vuqkuka ds varxir c<gq i'ko/kku

- 2014–15 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,48,505 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 1,13,052 करोड़ व्यय हुए, परिणामस्वरूप ₹ 35,453 करोड़ की समग्र बचतें हुईं। अतः ₹ 19,504 करोड़ (मूल प्रावधान का 15.12 प्रतिशत) के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। 37 मदों में (32 अनुदानों/विनियोगों) प्रत्येक मद में ₹ 100 करोड़ से अधिक की कुल ₹ 28,334 करोड़ की बचतें हुई थीं।

%dfMdk, a 2-2 , oa 2-3-1½

vkdfLedrk fuf/k dh ifri'fir'z u gkuk ₹ 1-08 djkm+

- राज्य सरकार ने राज्य की आकस्मिकता निधि से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को ₹ 1.08 करोड़ अग्रिम स्वीकृत किए। जिसे वर्ष के दौरान व्यय किया गया, जबकि राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति शेष रही।

%dfMdk 2-2½

ngj h l @ugha l efi r dh xba cpra

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 49.64 प्रतिशत (₹ 17,597.59 करोड़) समर्पित किया गया था। 117 प्रकरणों में, ₹ 16,148 करोड़ की बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थी, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

%dfMdk, a 2-2 , oa 2-3-9½

vkf/kD; 0; ; ftl ds fu; eu dh vko'; drk gs

- 2014–15 के दौरान ₹ 446.28 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों से संबंधित ₹ 774.60 करोड़ अभी नियमित होना है।

%dfMdk, a 2-3-5 , oa 2-3-6½

dhnh; fuf/k; ka dks fl foy tek ea j [kuk

- 31 मार्च 2015 को आहरित ₹ 115.45 करोड़ की केन्द्रीय निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

%dfMdk 2-3-12½

v/; k; &3%foYkh; i fronu

mi; kfxrk i ek. k&i=ka dk i Lrqrhdj.k

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को दी गई राशि ₹ 27,005.73 करोड़ की अनुदान सहायता के संबंध में 31 मार्च 2015 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (34950) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

%dfMdk 3-1½

Lok; Yk fudk; ka }kjk ys[kka dk i Lrqrhdj.k

- पांच स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (205 महीनों तक) हुआ परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

%dfMdk 3-2½

nfofu; ksx , oa gkfu; ka dh l ipuk

- 30 जून 2015 को विभिन्न विभागों में राशि ₹ 34.37 करोड़ के हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के कुल 3134 प्रकरण लंबित थे। शासकीय राजस्व की गैर प्राप्ति, विभाग की ओर से कार्यवाही विलंब से किये जाने से रही।

%dfMdk 3-3½

0; faxr tek [kkrk dk i dkkj.k

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2015 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खातों में कुल राशि ₹ 2704.45 करोड़ का अत्यधिक अंतिम शेष था।

kdMdk 3-11½

v/; k; 1
jkT; l j dkj ds foÿk

jkT; dh : ijsfkk

मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि (308 हजार वर्ग किलोमीटर) से दूसरा एवं जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़) की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों से मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि ifjf'k"V 1-1 में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य की जनसंख्या में 2001 में 6.03 करोड़ से 2011 में 7.26 करोड़ की वृद्धि 20.40 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। राज्य की जनसंख्या के घनत्व में 2001 में 196 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से 2011 में 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई। हालांकि मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अखिल भारतीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में निम्नतर है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (44.30 प्रतिशत) अखिल भारतीय औसत (29.50 प्रतिशत) से उच्चतर था। राज्य की साक्षरता दर में 2001 में 69.69 प्रतिशत से 2011 की जनगणना अनुसार 69.32 प्रतिशत की आंशिक कमी आई जो कि अखिल भारतीय औसत 73.00 प्रतिशत (2011 जनगणना) से निम्नतर थी।

राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े (विकास संकेतकों सहित) ifjf'k"V 1-1 में दिए गए हैं।

I dy jkT; ?kjsyw mRi kn

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया है:

orëku eW; ij Hkkjr ds I dy ?kjsyw mRi kn , oa e/; i n'sk dk I dy jkT; ?kjsyw mRi kn dh okF'kd I of) nj

(₹ djkm+e)

o"z	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	1,15,09,810*
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	18.66	15.77	11.88	11.54	-
वर्तमान मूल्य पर मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,63,396	3,05,158	3,61,270	4,34,730	5,08,006
सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®] की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.75	15.86	18.39	20.33	16.86

*L=kr% I kf[; dh , oa ; ktuk f0; kko; u ea-ky; }kjk fnukd 30 tykbz 2015 dls , oa vMfkd , oa I kf[; dh I pkyuky;] e/; i n'sk I jdkj }kjk tkjh fd; s x; s foaj .k i =d%

* rhu jkT; ka xkokj vMeku , oa fudkckj }hi I eeg , oa pMhx<+ NkMfj

® o"z 2011&12 I s 2013&14 ds fy, orëku eW; ij I dy jkT; ?kjsyw mRi kn jkT; I jdkj }kjk i pjh{kr gs bl fy, i n'z ifronuka ea n'kkz x, 2011&12 I s 2013&14 ds fy, I dy jkT; ?kjsyw mRi kn ds I UnHkz ea i fr'kr vuqjkr@fofHkUk eki n. Mka dh mRlykodrk i pjh{kr dj nh xbz gA

2014-15 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,08,006 करोड़ था, जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 16.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2005-06 से 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (15.05 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी के राज्यों (13.86 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी।

1-1 i Lrkouk

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2014-15 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गई जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास ijfj'k"V 1-2 Hkkx&d में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ-साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति ijfj'k"V 1-2 Hkkx&[k में दर्शाई गई है।

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों/ उच्चतम सीमाओं, चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्तियों एवं राज्य वित्त के समयबद्ध आंकड़े को ijfj'k"V 1-3 एवं ijfj'k"V 1-4 में चित्रित किया गया है।

1-1-1 2014&15 ea jkt dks'kh; yu&nuka dk l kjka k

rkfydk 1-1 विगत वर्ष (2013-14) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है, जबकि ijfj'k"V 1-5 Hkkx&d वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

rkfydk 1-1% 2014&15 ea jkt dks'kh; i pkyuka dk l kjka k

₹ djkM+e#

i kflr; ka	2013&14	2014&15	l forj .k	2013&14	2014&15		
vuqkx&d% jktLo					vk; kst u'vkj	vk; kst uk	; ksx
jktLo i kflr; ka	75,749.24	88,640.78	jktLo 0; ;	69,869.76	55,858.26	26,514.56	82,372.82
कर राजस्व	33,552.16	36,567.12	सामान्य सेवाएं	20,590.93	22,218.41	146.70	22,365.11
करेत्तर राजस्व	7,704.99	10,375.23	सामाजिक सेवाएं	27,768.21	17,319.12	14,748.03	32,067.15
संघ करों/ शुल्कों का अंश	22,715.27	24,106.99	आर्थिक सेवाएं	16,971.33	12,608.07	11,107.05	23,715.12
भारत सरकार से अनुदान	11,776.82	17,591.44	सहायतानुदान तथा अशदान	4,539.29	3,712.66	512.78	4,225.44
vuqkx&[k% i ut'hr , oa vU;							
fofo/k i ut'hr i kflr; ka	35.98	27.73	i ut'hr ifj0; ;	10,812.52	56.63	11,821.05	11,877.68
			सामान्य सेवाएं	196.31	15.22	241.95	257.17
			सामाजिक सेवाएं	1,899.30	0.69	2,069.63	2,070.32
			आर्थिक सेवाएं	8,716.91	40.72	9,509.47	9,550.19
dtl rFkk vfxe dh ol f'y; ka	93.22	6,765.05	l forfjr dtl rFkk vfxe	5,077.52	10,639.39	1,895.22	12,534.61
vU'rjkt; h; ij'k'ku	2.44	0.91	vU'rjkt; h; ij'k'ku	2.36	-	-	0.98
ykd __.k i kflr; ka	9,540.82	15,068.71*	ykd __.k dk i ut'hrku	4,004.65	-	-	4,920.52*
vkdfLedrk 0; ; fuf/k	-	300.00	vkdfLedrk 0; ; fuf/k	-	-	-	301.08
ykd yq'kk i kflr; ka	94,811.32	1,10,294.74	ykd yq'kk l forj .k	93,063.99	-	-	1,08,165.30
i kj fEHkd jkdM+ 'k'sk	7,074.81	4,477.03	vflre jkdM+ 'k'sk	4,477.03	-	-	5,401.96
; ksx	1,87,307.83	2,25,574.95	; ksx	1,87,307.83			2,25,574.95

* o'iz ds n'gku dktl vFkk'k; vfxe vlgfjr ugha fd, x, FkA
 %L=ks-% l ut'hr o'k'ka ds foYk yq'k'k

विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार है:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 12,891.54 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि स्वयं के कर राजस्व (₹ 3,014.96 करोड़ से), करेत्तर राजस्व (₹ 2,670.24 करोड़ से), संघ करों/शुल्कों के अंश (₹ 1,391.72 करोड़ से) एवं सहायता अनुदान तथा भारत सरकार से अंशदान (₹ 5,814.62 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। 2014-15 के लिए राजस्व प्राप्तियां मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 1,03,493.16 करोड़) से ₹ 14,852.38 करोड़ से कम रहीं।
- राजस्व व्यय में ₹ 12,503.06 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 6,743.79 करोड़ से), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 4,298.94 करोड़ से) एवं सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 1,774.18 करोड़ से) के अंतर्गत थी। यद्यपि सहायता अनुदान एवं अंशदान में ₹ 313.85 करोड़ की कमी आई।
- पूंजीगत व्यय में ₹ 1,065.16 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 833.28 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।
- वसूलियों तथा कर्ज एवं अग्रिमों का संवितरण में क्रमशः ₹ 6,671.83 करोड़ तथा ₹ 7,457.09 करोड़ की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतान में क्रमशः ₹ 5,527.89 करोड़ (58 प्रतिशत) तथा ₹ 915.87 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नहीं किया गया।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 15,483.42 करोड़ (16 प्रतिशत) तथा ₹ 15,101.31 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार के नकद शेषों में ₹ 924.93 करोड़ की वृद्धि हुई।

1-1-2 *jkt dks'kh; fLFkfr dh l eh{kk*

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबंधन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था।

तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित राजकोषीय पूर्वानुमान तथा 2014-15 हेतु वास्तविक उपलब्धियों को rkfydk 1-2 में प्रस्तुत किया गया है।

rkfydk 1-2% 2014&15 grq jkt dks'kh; mYkjnkf; Ro , oactV iczku vf/kfu; e] e/; e
dkfyd jkt dks'kh; uhfr foj.k , oarjgoa foYk vk; kx ds v/khu jkt dks'kh; iokLpku

₹ djkM+ e#

jkt dks'kh; iokLpku	jkt; ds fy, rjgoa foYk vk; kx ds y;	jkt dks'kh; mYkjnkf; Ro rFkk ctV iczku vf/kfu; e@e/; e dkfyd jkt dks'kh; uhfr foj.k esa fu/kkZjr y;	ctV 2014&15 esa iLrkfor y;	okLrfod mi yf/k
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	0.0 प्रतिशत	राजस्व घाटे को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में घटाया जाए ताकि इसे 31.03.2009 तक समाप्त किया जा सके एवं उसके पश्चात राजस्व आधिक्य उत्पन्न किया जा सके	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.00 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (+)4,478 करोड़)	(+)6,268 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.23 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.0 प्रतिशत	31 मार्च 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (-)13,425 करोड़)	(-)11,352 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.23 प्रतिशत)
कुल बकाया ऋणों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात	35.30 प्रतिशत	उस वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.34 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.40 प्रतिशत


₹=kr% rjgoa foYk vk; kx dh vuqka k 2010&15] e/; insk jkt dks'kh; mYkjnkf; Ro , oactV iczku vf/kfu; e 2005] 2014&15 ds nkjku jkt dks'kh; mYkjnkf; Ro , oactV iczku vf/kfu; e 2005 ds v/khu fo/khu l Hkk ds l e(ctV ds l kfk iLrk i=d rFkk foYk yq's 2014&15%

- राज्य ने 2004–2005 में राजस्व आधिक्य उपार्जित कर लिया था और उसके पश्चात आधिक्य को बनाए रखा, विगत वर्ष की तुलना में 2014–15 के दौरान ₹ 389 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.23 प्रतिशत, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों, तेरहवें वित्त आयोग एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों में निर्धारित सीमा (3 प्रतिशत) के भीतर था। यह अनुपात 2013–14 (2.27 प्रतिशत) की तुलना में कम था। 2014–15 के दौरान, 2013–14 की तुलना में इसमें ₹ 1,470 करोड़ की वृद्धि हुई।
- कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 21.40 प्रतिशत राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा क्रमशः निर्धारित 40 प्रतिशत एवं 35.30 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (25.34 प्रतिशत) से भी कम था।

1-1-3 ctV vuqku vkj okLrfod vkadMs

बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय की परिशुद्धता का महत्व राजकोषीय नीतियों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के संदर्भ में समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों का प्राप्त न होना एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग न होना दर्शाता है।

पृष्ठ 1-1 2014-15 के लिए कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



पृष्ठ 1-1 पर जतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 88,641 करोड़) बजट अनुमानों से ₹ 14,852 करोड़ (14.35 प्रतिशत) निम्नतर थी।
- करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 3,616 करोड़ (53.49 प्रतिशत) अधिक था।
- राज्य का कर राजस्व (₹ 36,567 करोड़) बजट अनुमान से ₹ 2,423 करोड़ (6.21 प्रतिशत) कम था। इसके अतिरिक्त राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से क्रमशः ₹ 16,642 करोड़ (16.81 प्रतिशत) तथा ₹ 2,264 करोड़ (16.01 प्रतिशत) कम थे।
- ब्याज भुगतान बजट अनुमानों से ₹ 142 करोड़ (2.05 प्रतिशत) अधिक था जो कि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजना के लिए कर्जों पर ब्याज में वृद्धि के कारण था।
- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे में बजट अनुमानों के संदर्भ की तुलना में सुधार दर्शित हुआ।

1-1-4 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। जेण्डर बजटिंग की शुरुआत 2007-08 में की गई थी एवं जेण्डर बजट का पृथक खण्ड महिलाओं व लड़कियों से संबंधित बजट प्रावधानों का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए, बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

2014-15 के दौरान, 25 विभागों¹ (श्रेणी 1: 50 योजनाओं एवं श्रेणी 2: 393 योजनाओं) में महिलाओं के हितलाभ हेतु बजट प्रावधान किए गए थे।

वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2015) की गई जानकारी के अनुसार, 2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आबंटन एवं व्यय rkfydk 1-3 में दिया गया है।

rkfydk 1-3: 2010&15 ds nkjku tsMj ctVh; vko/ku

o"kl	Js kh 1			Js kh 2		
	ifj0; ;	0; ;	ifj0; ; dh rgyuk ea 0; ; dk ifr'kr	ifj0; ;	0; ;	ifj0; ; dh rgyuk ea 0; ; dk ifr'kr
2010-11	858.27	780.56	90.95	12,809.86	1,467.60	11.46
2011-12	1,510.02	1,245.41	82.48	20,500.64	6,908.51	33.70
2012-13	1,745.00	1,473.08	84.42	23,038.77	19,195.10	83.32
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04
2014-15	1,813.41	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	36,340.81	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
; ksx	7,694.89	5,187.98	67.42	1,17,155.05	51,800.50	44.22

%-kr% foYk foHkxj e/; ins'k 'kklu Yjk ink; lpuh

जेण्डर बजटिंग शुरू होने के पश्चात महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के विश्लेषण के बारे में पूछे जाने पर, वित्त विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2015)। यद्यपि आयुक्त, महिला सशक्तिकरण (महिला एवं बाल विकास) एवं एकीकृत बाल विकास सेवाएं, भोपाल द्वारा प्रस्तुत जानकारी (जुलाई 2015) के विश्लेषण से उपरोक्त दो विभागों में महत्वपूर्ण बचतें देखी गईं जैसा कि नीचे rkfydk 1-4 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-4: 2014&15 ds nkjku Js khokj i ko/kku , oa 0; ;

foHkxj dk uke	Js kh&1 %100 ifr'kr½				Js kh&2 %30 ifr'kr½			
	; kst ukvka dh l d; k	dgy i ko/kku	dgy 0; ;	cpr %i fr'kr½	; kst ukvka dh l d; k	dgy i ko/kku	dgy 0; ;	cpr %i fr'kr½
महिला सशक्तिकरण विभाग	11	818.00	34.55	783.45 (95.77%)	10	75.37	36.93	38.44 (51%)
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	4	474.85	434.60	40.25 (8.48%)	14	2573.97	1817.12	756.85 (29.40%)

➤ बचतों का विशिष्ट कारण वित्तीय प्रतिबंध एवं राज्य के कई जिलों में चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता, निधियों के संचालन के लिए नियमों का नहीं बनाया जाना, वेतन एवं भत्तों के कुछ शीर्षों में निधियों का उपयोग न होना, कार्यालय व्यय एवं प्रशिक्षण में कम व्यय बताया गया।

¹ 1. गृह विभाग 2. खेलकूद एवं युवा कल्याण 3. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 4. किसान कल्याण एवं कृषि विकास 5. सहकारिता विभाग 6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 7. नगरीय प्रशासन एवं विकास 8. स्कूल शिक्षा 9. पंचायत 10. जनजातीय कल्याण 11. सामाजिक न्याय 12. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 13. जल संसाधन विभाग 14. पशुपालन 15. उच्च शिक्षा 16. जन शक्ति नियोजन 17. विमानन 18. महिला एवं बाल विकास 19. ग्रामीण उद्योग 20. पिछड़ा वर्ग कल्याण 21. अनुसूचित जाति कल्याण 22. ग्रामीण विकास 23. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण 24. आयुष विभाग 25. विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति कल्याण

- श्रेणी-1 के अंतर्गत आठ योजनाओं एवं श्रेणी-2 के अंतर्गत 12 योजनाओं जहां बचतें एक करोड़ से अधिक थीं, को ifj'k"V 1-6 में दर्शाया गया है।

यह स्पष्ट है कि उद्दिष्ट प्रावधान 7.48 से 99.11 प्रतिशत के मध्य अप्रयुक्त रहे, इससे यह दर्शित हुआ कि महिला उन्मुखी योजनाएं उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं की गयी थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि जेण्डर बजट के लिये एक नया प्रारूप विचाराधीन है।


1-2 jkT; ds l d k/ku

1-2-1 okk'kd foYk ysks ds vuq kj jkT; ds l d k/ku


राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से निवल संग्रहण सम्मिलित है।

pkVl 1-2 में 2014-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के संघटकों को श्रेणीबद्ध किया गया है।


pkVL 1-2% jkT; ds l d k/kuka ds l kVd , oa mi l kVd dk QykpVL



rkfydk 1-1 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि pkVL 1-3 वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है एवं pkVL 1-4 2014-15 के दौरान प्राप्तियों की संरचना का चित्रण करता है।



VL=kr: l d k/kuka ds l kVd ds foik yq[ks



स्रोत: राजस्व विभाग के द्वारा तैयार किया गया

- वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 79 प्रतिशत, 19 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत समाविष्ट था।
- 2010-15 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (निवल लोक लेखे प्राप्तियां सहित) में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में क्रमशः 71 प्रतिशत एवं 178 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निवल लोक लेखे प्राप्तियों में 36 प्रतिशत की कमी आई।
- विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 में कुल प्राप्तियों की संवृद्धि दर 29 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी 77 प्रतिशत और 87 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत और 19 प्रतिशत के बीच रही।
- 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 12,892 करोड़ (17 प्रतिशत) एवं ₹ 12,191 करोड़ (126 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लोक लेखा के अंतर्गत निवल प्राप्तियों में ₹ 383 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि का कारण बाजार कर्ज एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियों से कर्ज के अंतर्गत अधिक उधारियां थी।


1-2-2 jkT; dk; kll; u vfllkdj. kka dks jkT; ctV l s ckgj l h/ks fuf/k; ka dk varj. k

भारत सरकार ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिये निधियों को बड़ी प्रमात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों² को अंतरित करती है। वर्तमान तंत्र में, ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती हैं एवं इसलिए राज्य वित्त लेखे में उल्लेख नहीं होता है। इस तरह राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराते। तथापि भारत सरकार ने 2014-15 से चरणबद्ध तरीके से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिये राज्य की समेकित निधि के माध्यम से राज्य सरकार को सीधे निधियां अंतरित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2013)।

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे/प्रत्यक्ष रूप से केवल ₹ 854.85 करोड़ अंतरित किये जो कि विगत वर्ष से ₹ 8,425.20 करोड़ (90.79 प्रतिशत) कम थे। मुख्य प्राप्तकर्ता मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (₹ 165 करोड़ अर्थात् 19.30 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर (₹ 113.45 करोड़ अर्थात् 13.27 प्रतिशत), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (₹ 96.50 करोड़ अर्थात् 11.28 प्रतिशत), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल (₹ 82 करोड़ अर्थात् 9.59 प्रतिशत), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर (₹ 66.48 करोड़ अर्थात् 7.78 प्रतिशत) एवं मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल (₹ 56 करोड़ अर्थात् 6.55 प्रतिशत) थे।


1-3 jktLo ikflr; ka

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरणों एवं भारत सरकार से सहायता-अनुदान समाविष्ट हैं। 2010-15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना ifjf'k"V 1-4 में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः pkVl 1-5 एवं 1-6 में भी चित्रित की गई हैं।



५-kr-% l cf/kr o"kk ds foYk yq'kk

² राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में गैर सरकारी संगठनों सहित कोई संगठन/संस्थान, जो कि राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार से प्राधिकृत है, सम्मिलित है।



₹ करोड़ में

राज्य के राजस्व का संवृद्धि दर

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2010-11 में ₹ 51,854 करोड़ से 2014-15 में ₹ 88,641 करोड़ तक 71 प्रतिशत की वृद्धि 14.20 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि की दर से हुई। 2014-15 के दौरान संवृद्धि दर 2013-14 में 7.56 के विरुद्ध 17.02 प्रतिशत थी। हालांकि 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया जिसमें कर राजस्व (41 प्रतिशत) एवं करेत्तर राजस्व (12 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 47 प्रतिशत केन्द्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था।
- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सापेक्ष अंशदान 41 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अन्य संघटकों अर्थात् करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान का संयुक्त अंश 56 प्रतिशत एवं 59 प्रतिशत के मध्य रहा।
- जैसा कि चित्र 1-1 में दर्शाया गया है कि 2005-06 से 2013-14 एवं 2013-14 से 2014-15 के दौरान, मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर सामान्य श्रेणी के राज्यों से उच्चतर थी।

राज्य के स्वयं के कर के संवृद्धि दर 2010-11 से 2014-15 के दौरान

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राज्य के स्वयं के कर के संवृद्धि दर (प्रतिशत)	25.27	20.73	12.50	7.56	17.02
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.75	15.86	18.39	20.33	16.86
राज्य के स्वयं के कर की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	24.00	25.93	13.38	9.71	8.99
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.69	20.52	19.49	17.42	17.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता	1.60	1.31	0.68	0.37	1.01
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्पादकता	1.52	1.63	0.73	0.48	0.53
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता	1.05	0.80	0.93	0.78	1.89

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता का अर्थ है राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद। उदाहरण के लिए 0.6 पर राजस्व उत्पादकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

³ उत्पादकता अनुपात आधारित अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्पादकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

आदर्शतः, राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके। rkfydk 1-5 के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2010-11 में 19.69 प्रतिशत से 2014-15 में 17.45 प्रतिशत की कमी अन्तरवर्षीय परिवर्तनों के साथ आई।
- 2010-11 में राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में 25.27 प्रतिशत से 2013-14 में 7.56 प्रतिशत की लगातार कमी आई एवं उसके पश्चात 2014-15 में 17.02 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि के कारण थी।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता के साथ राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष (क्रमशः 0.37 एवं 0.48) की तुलना में 2014-15 (क्रमशः 1.01 एवं 0.53) में वृद्धि का कारण वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि की दर में वृद्धि होना तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में कमी था।

1-3-1 jkT; ds Lo; a ds l d k/ku

चूंकि केन्द्रीय करों एवं भारत सरकार से सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है इसलिए संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के स्रोतों जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत समाहित हैं से किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग, पुनरीक्षित अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियां एवं संवृद्धि दर क्रमशः rkfydk 1-6 एवं rkfydk 1-7 में दी गई हैं।

rkfydk 1-6: dj jktLo , oa djvkj jktLo

₹ djkm+e%

	rjgoafoYk vk; ks ds i dki .k	i qjhf(kr ctV vupeku 2014&15	e/; e dkfyd jkt dks'kh; uhfr foj .k i dki .k	okLrfod vkdM\$
कर राजस्व	27,329	66,479	66,671	36,567
करेत्तर राजस्व	5,816	9,598	6,759	10,375

₹=kr% foYk yq's , oa jkT; ctV 2014&15 rFk 2015&16 ds l kFk jkt dks'kh; mYk jnkf; Ro rFk ctV i dki v f/kfu; e ds v/khu fo/kku l Hk ds l e{k i Lr foj .k , oa rjgoafoYk vk; ks dh vuq d k, %

rkfydk 1-7: 2010&15 ds nkjku dj@djvkj jktLo dh l df) nj

₹ djkm+e%

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कर राजस्व	21,419	26,973	30,582	33,552	36,567
संवृद्धि दर (प्रतिशत)	24.00	25.93	13.38	9.71	8.99
करेत्तर राजस्व	5,720	7,483	7,000	7,705	10,375
संवृद्धि दर (प्रतिशत)	-10.37	30.82	-6.45	10.07	34.65

₹=kr% l dki/kr o'kka ds foYk yq'k\$

यह स्पष्ट है कि वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 3,015 करोड़+ एवं ₹ 2,670 करोड़ उच्चतर थे, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण (क्रमशः 33.80 प्रतिशत एवं 78.39 प्रतिशत से) की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर थी। कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति मध्यम कालिक राजकोषीय नीति

विवरण प्रक्षेपणों एवं पुनरीक्षित बजट अनुमानों की तुलना में अत्यधिक कम थी, जबकि करेत्तर राजस्व तैरहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित, पुनरीक्षित बजट अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण से अधिक था।

वास्तविक कर राजस्व संग्रहण ₹ 36,567 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए प्रक्षेपित पुनरीक्षित बजट अनुमान ₹ 66,479 करोड़ यर्थाथवादी नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि राजस्व के स्वयं के कर में कमी अर्थव्यवस्था में उछाल की सामान्य कमी के कारण हुआ।

1-3-1-1 dj jktLo

मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण को rkfydk 1-8 में दिया गया है।

rkfydk 1-8: jkT; ds dj jktLo ds I 2kVd

jktLo 'kh'kz	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	fi Nys o'kz dh rgyuk ea
						of) (+)/deh(-) ¼ fr'kr e#
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10,257	12,517	14,856	16,650	18,136	(+)8.92
राज्य उत्पाद शुल्क	3,603	4,317	5,078	5,907	6,696	(+)13.37
वाहन कर	1,198	1,357	1,531	1,599	1,824	(+)14.07
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2,514	3,284	3,944	3,400	3,893	(+)14.50
भू-राजस्व	361	279	444	366	243	(-)33.61
माल तथा यात्री पर कर	1,746	2,047	2,395	2,579	2,686	(+)4.15
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,476	1,773	1,478	1,972	2,010	(+)1.93
अन्य कर*	264	1,399	856	1,079	1,079*	(+)0.00
dy dj jktLo	21,419	26,973	30,582	33,552	36,567	(+)8.99

* vl: djka ea -F'k Hkfe I s fHkUk vpy I Ei fYk ij dj ¼ 635 djkmH vk; rFk 0; ; ij vl: dj ¼ 284 djkmH , oa oLrpk rFk I okvka ij vl: dj rFk 'kq'd ¼ 160 djkmH I fefeyr g#
¼ =kr% I ¼ f'kr o'kz ds foYk yqk#

- राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 8.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014-15 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (49.60 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (18.31 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (10.65 प्रतिशत), माल तथा यात्री कर (7.35 प्रतिशत), विद्युत पर शुल्क पर कर (5.50 प्रतिशत) एवं वाहन कर (4.99 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 1,486 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण उप शीर्ष 102-राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियां (₹ 1,406 करोड़ से) थी। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 789 करोड़ से) मुख्यतः '800-अन्य प्राप्तियां', के अंतर्गत थी। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत वृद्धि (₹ 493 करोड़ से) मुख्यतः उप शीर्ष-स्टाम्पों की बिक्री (₹ 271 करोड़ से) के अंतर्गत थी। भू-राजस्व के अंतर्गत कमी (₹ 123 करोड़ से) मुख्यतः उप शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां', के अंतर्गत कम प्राप्तियां थी।

jktLo dh l xg.k ykx

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर हुआ व्यय एवं सकल संग्रहण से उसकी प्रतिशतता इसके साथ ही संबंधित विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत को rkfydk 1-9 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-9% jktLo i kflr; ka dh l xg.k ykx

I - 0-	jktLo ds 'kh"z	o"z	ctV vuęku	okLrfod l xg.k	jktLo ds l xg.k ij 0; ;	l xg.k ij 0; ; dh ifr'krkk	rk djkM+e#
							vf[ky Hkkjr; vk' r % fr'kr e#
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर	2013-14	16,500.00	16,649.85	136.63	0.82	0.73
		2014-15	19,500.00	18,135.96	144.81	0.80	0.88
2.	वाहन कर	2013-14	1,650.00	1,598.93	50.67	3.17	4.17
		2014-15	2,000.00	1,823.84	42.67	2.34	6.25
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2013-14	5,750.00	5,907.39	1,320.37	22.35	2.96
		2014-15	6,730.00	6,695.54	1,233.87	18.43	1.81
4.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2013-14	4,000.00	3,400.00	85.93	2.53	3.25
		2014-15	4,000.00	3,892.77	102.96	2.64	3.37

rkfydk 1-9% jktLo i kflr; ka dh l xg.k ykx, o"z ds foYk yq'ks, o"z egky'kdkj 'kMfkd, o"z jktLo {k= yq'kijh{kj e-i: jkjk l d'fyr tkudkjhh

- 2014-15 के दौरान यह देखा गया कि राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में संग्रहण लागत का प्रतिशत अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत से अधिक था। यद्यपि बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के संबंध में संग्रहण लागत अखिल भारतीय औसत से कम थी।
- 2014-15 के दौरान सभी करों अर्थात् बिक्री व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण बजट अनुमानों से कम था।

1-3-1-2 djskj jktLo

करेत्तर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य प्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति से प्राप्तियां शामिल हैं जैसा कि rkfydk 1-10 में दर्शाया गया है।

rkfydk 1-10% djskj jktLo dh l of) nj

jktLo 'kh"z	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2014&15 ds nk'ku i fr'kr of) (+)/deh(-)
ब्याज प्राप्तियां	299	1,571	301	318	1,261	(+)296.54
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,121	2,038	2,443	2,306	2,814	(+)22.03
वानिकी तथा वन्य प्राणी	837	879	910	1,037	969	(-)6.56
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,194	1,551	1,682	2,008	3,276	(+)63.15
लाभांश एवं लाभ	32	38	18	379	80	(-)78.89
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	1,237	1,406	1,646	1,657	1,975	(+)19.19
; kx	5,720	7,483	7,000	7,705	10,375	(+)34.65

rkfydk 1-10% djskj jktLo dh l of) nj, o"z ds foYk yq'ks

- करेत्तर राजस्व में, 2013-14 में ₹ 7,705 करोड़ से 2014-15 में ₹ 10,375 करोड़ तक, ₹ 2,670 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 1,268 करोड़ से) एवं ब्याज प्राप्तियों (₹ 943 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।
- 2014-15 के दौरान, करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से योगदान करने वालों में शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (31.58 प्रतिशत), अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (27.12 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियां (12.15 प्रतिशत) थी।
- राज्य सरकार द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा योजना के अंतर्गत कोई भी राशि ऋण अधित्याग के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी।

1-3-2 Hkkjr ljdkj lslgk; rk vuqku

rkydk 1-11% Hkkjr ljdkj lslgk; rk vuqku

₹ djkM+e#

fooj.k	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयोजनेत्तर अनुदान	1,636	2,114	333	3,540	4,425
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	4,522	4,215	7,099	5,536	9,011
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	649	364	500	153	1,263
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,270	3,236	4,108	2,548	2,893
विशेष आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
; ksx	9,077	9,929	12,040	11,777	17,592
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	36.23	9.39	21.26	(-) 2.18	49.38
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	17.50	15.86	17.10	15.55	19.85

₹=kr% l rj/r o%kk ds fojk yqk#

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2010-11 में ₹ 9,077 करोड़ से 2014-15 में ₹ 17,592 करोड़ (93.81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः आयोजनेत्तर अनुदान (170.48 प्रतिशत), राज्य आयोजनागत योजनाओं (99.27 प्रतिशत) एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (94.61 प्रतिशत) के कारण हुई।

2014-15 में विगत वर्ष की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 49.38 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (725.49 प्रतिशत) एवं राज्य आयोजनागत योजनाओं (62.77 प्रतिशत) के अंतर्गत अनुदानों में वृद्धि के कारण थी।

1-3-3 dtlnt; dj vrj.k

केन्द्रीय करों का हस्तांतरण वित्त आयोग अवार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2014-15 के दौरान ₹ 24,107 करोड़ के केन्द्रीय कर अंतरण वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण में दी गई अनुमानित राशि ₹ 27,681 करोड़ से अंशतः कम थे। यद्यपि इसमें 2013-14 में ₹ 22,715 करोड़ से ₹ 1,392 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 981.13 करोड़ से) एवं निगम कर (₹ 778.87 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

1-3-4 *rjgoa foYk vk; ksx ds vuqkuka dk vf/kdre mi ; ksx*

राज्य सरकार के विभिन्न अंगों में सुधार के लिए, तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की थी। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान वित्त लेखों के विवरण पत्रक क्रमांक 11 एवं वित्त लेखे 2014-15 के विवरण पत्रक क्रमांक 14 के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 7,394.67 करोड़ के वित्त आयोग अनुदान प्राप्त किए (₹ 6,722.37 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601-01-104- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत वित्त आयोग अनुदान एवं ₹ 672.30 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601-01-109-राज्य विपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान)। 2010-15 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के अधिकतम उपयोग की स्थिति जहाँ कुल प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था, *ifj'k"V 1-7* में दी गई है।

- कुल बजट प्रावधान ₹ 5,043.64 करोड़ में से, वर्ष 2010-15 के दौरान ₹ 3,326.41 करोड़, कुल राशि का 66 प्रतिशत उपयोग किया गया था। शेष राशि ₹ 1,717.23 करोड़ (34 प्रतिशत) में से ₹ 958.02 करोड़ को समर्पित/पुनर्विनियोजित किया गया था एवं ₹ 759.21 करोड़ शासकीय खाते में व्यपगत हो गए। यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों के उपयोग में पहल की कमी को दर्शाता है।
- 2010-15 के दौरान मुख्य शीर्ष 3054-190-6446 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा-सड़क एवं पुलों का रखरखाव (₹ 209.79 करोड़) एवं 5452-190-8808 सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य (₹ एक करोड़) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग किया गया था।
- तथापि मुख्य शीर्ष 2029-800-5193 आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम (₹ पाँच करोड़) एवं 2235-800-6370 क्षमता निर्माण (₹ 13 करोड़) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे। शेष प्रकरणों में, बचतों का प्रतिशत 11.26 और 99.41 के बीच रहा, जो यह दर्शाता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन उपयुक्त ढंग से नहीं हुआ था।
- मुख्य शीर्ष 2400-101-6898-वानिकी अनुरक्षण एवं विकास के अंतर्गत ₹ 12.43 करोड़ के अप्रयुक्त प्रावधान के विरुद्ध ₹ 19.78 करोड़ समर्पित किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ का आधिक्य समर्पण हुआ जो अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

1-3-4-1 *rjgoa folk vk; ksx }kjk vuqkfl r ctV vuqkuka dks 0; i xr gkus l s cpkus ds fy, fuf/k; ka dk vkgj.k*

मध्य प्रदेश कोषालय नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, जब तक तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो तब तक कोषालय से धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोषालय से अग्रिम आहरण गम्भीर अनियमितता है एवं इस प्रकार के आहरण के लिए त्रुटि करने वाले व्यक्ति स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार है।

अवधि 2011-15 के लिये विस्तृत विनियोग लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि तेरहवें वित्त आयोग से संबंधित राशि ₹ 61.39 करोड़ (*rkydk 1-12* में दर्शाया गया), 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित की गयी।

रक्यदक 1-12% ctV dks 0; i xr gkus l s cpkus ds fy, fuf/k; ka ds vkgj .k dk fooj .k

₹ djkm+e

o"l	vunpu Øekd , oa uke	; kst uk dk 'kh"l , oa uke	dy ctV i ko/kku %ey+ vuq j d½	fd; k x; k 0; ;	8443& fl foy tek&800 vU; tek ea vrfjr jkf' k
2011-12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	40.65	6.10	1.22
	31- योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी	3451-101-0101-6267-जिला नवाचार कोष	16.00	16.00	16.00
	41-आदिवासी क्षेत्र उप योजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	4210-01-796-110-1302-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	12.50	4.93	2.53
	64-अनुसूचित जाति उप योजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-789-110-1303-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	9.35	2.39	0.31
2012-13	03-पुलिस	2055-109-1301-6463-पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन	9.07	8.75	4.18
2014-15	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	60.00	51.68	20.29
	41-आदिवासी क्षेत्र उप योजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-110-1302-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	20.50	13.50	2.17
	64-अनुसूचित जाति उप योजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-110-1303-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	30.00	24.28	8.69
	73- चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-1301-6458-चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में वाइरोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना	12.00	6.00	6.00
; ksx			210.07	133.63	61.39

₹=kr% l xdf/kr o"lka ds fofu; ksx ysf'k

उपर्युक्त वर्णित प्रकरणों के संबंध में, संबंधित वित्तीय वर्षों के अंत में आहरित राशि शासकीय लेखों में प्रेषित नहीं की गयी इस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधि का आहरण बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिये किया गया।

1-3-5 l #kkfor jktLo dh gkfu (Foregone Revenue)

31 मार्च 2015 को दो विभागों द्वारा सूचित किए गए राजस्व अपवंचन के विवरण रक्यदक 1-13 में दिए गए हैं। अन्य चार राजस्व विभागों ने जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है।

रक्यदक 1-13% dj dk vi opu

jktLo dh iz-fr	31 epl 2014 dks y'fcr i xj .kka dh l a; k	2014&15 ds nkj ku tkudkj h ea vk, i xj .kka dh l a; k	i xj .kka dh dy l a; k	i xj .kka dh l a; k ftuea vlo'sk .k i w k l dj fy; k x; k , oa c<kbz xbz 'kkflr l fgr vrfj ä ekax		31-03- 2015 dks y'fcr i xj .kka dh l a; k
				i xj .kka dh l a; k	jkf' k ₹ djkm+e	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	269	352	621	274	269.10	347
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	13,576	12,036	25,612	10,368	32.98	15,244
; ksx	13,845	12,388	26,233	10,642	302.08	15,591

₹=kr% egky's'kkkj #kkfkd , oa jktLo (ks= ysf'kijh'kk% e-iz jkjk l #kkfr tkudkj h)

1-4 i wthxr i kflr; ka

rkfydk 1-14 पूंजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

rkfydk 1-14% i kflr; ka dh l j'puk , oa l of) dh i ofYk

₹ djkM+e

jkT; dh i kflr; ka ds L=kr	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
i wthxr i kflr; ka	7,861	15,899	8,864	9,672	21,863
__ .k'kj i wthxr i kflr; ka	403	9,149	73	131	6,794
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	367	23	31	36	28
अंतर्राज्यीय परिशोधन	2	3	9	2	1
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	34	9,123	33	93	6,765
__ .k i wthxr i kflr; ka	7,458	6,750	8,791	9,541	15,069
पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-9.13	102.25	-44.25	9.12	126.04
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	739.58	2,170.22	-99.20	79.45	5,086.26
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-13.31	-9.49	30.24	8.53	57.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.75	15.86	18.39	20.33	16.86

₹=kr% l ofYk o'kkā ds foYk y'f'k

1-4-1 fofuo'sk l s i kflr

वित्त लेखे 2014-15 के अनुसार, विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सहकारी समितियों/बैंकों के विनिवेश में 2013-14 में ₹ 25.54 करोड़ से 2014-15 में ₹ 22.22 करोड़ की अंशतः कमी आई।

1-4-2 dtl , oa vfxekā dh ol ify; ka

2014-15 के दौरान ₹ 6,765 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली बजट अनुमानों (₹ 122.35 करोड़) से बहुत अधिक रही। विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूली में ₹ 6,672 करोड़ की वृद्धि 'विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण' के अंतर्गत ₹ 6,694 करोड़ की वसूली के कारण थी।

1-4-3 ykd __ .k i kflr; ka

लोक ऋण प्राप्तियों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण सम्मिलित थे। लोक ऋण प्राप्तियों में 2013-14 में ₹ 8,328 करोड़ से 2014-15 में ₹ 13,696 करोड़ तक ₹ 5,528 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 5,368 करोड़ से) के अन्तर्गत थी। आंतरिक ऋण में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में 2013-14 में ₹ 1,212 करोड़ से 2014-15 में ₹ 1,372 करोड़, ₹ 160 करोड़ की अंशतः वृद्धि हुई। संपूर्ण वृद्धि राज्य/संघ क्षेत्र आयोजनागत योजना के लिए कर्ज के अंतर्गत थी।

1-5 ykd ys[ks i kflr; ka

कुछ निश्चित लेन देनों के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक

बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि, सरकार के पास उपलब्ध वह राशि है जिसका वह उपयोग कर सकती है।

2010-15 के दौरान लोक लेखे प्राप्तियों के संबंध में प्रवृत्तियों को rkydk 1-15 में दर्शाया गया है।

rkydk 1-15: ykd ysk i kflr; ka ea i dfyk; ka

₹ djkM+e

fofHkUk 'kh"ks ds vrxr l d k/ku	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ykd ysk i kflr; ka % dy%	65,675	76,315	86,248	94,811	1,10,295
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,737	2,033	2,319	2,784	3,143
(ख) आरक्षित निधि	1,191	1,534	2,441	1,612	1,172
(ग) जमा एवं अग्रिम	9,724	9,872	6,502	10,369	16,349
(घ) उचंत एवं विविध	41,810	50,620	59,819	64,444	76,099
(ङ) प्रेषण	11,213	12,256	15,167	15,602	13,532

% =kr% l dfkr o%ks ds foYk ysk


लोक लेखे प्राप्तियों (सकल) में 2013-14 में ₹ 94,811 करोड़ से 2014-15 में ₹ 1,10,295 करोड़, कुल ₹ 15,484 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः जमा एवं अग्रिमों (₹ 5,980 करोड़ से) एवं उचंत तथा विविध (₹ 11,655 करोड़ से) के अंतर्गत हुई।

1-6 l d k/kuka dk vuq; z; ksx

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर व्यय की लागत पर नहीं है।

1-6-1 0; ; dh of) , oa l j; puk

pkVl 1-7 विगत पांच वर्षों की अवधि (2010-15) के कुल व्यय (लोक ऋणों पुनर्भुगतानों को छोड़कर) की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विभिन्न संघटकों के अंतर्गत किए गए व्यय को pkVl 1-8 में दर्शाया गया है एवं गतिविधियों/सेवाओं के द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को pkVl 1-9 में दर्शाया गया है।



% =kr% l dfkr o%ks ds foYk ysk

2010-15 की अवधि के दौरान, राज्य के कुल व्यय में ₹ 49,258 करोड़ (86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 37,361 करोड़ (83 प्रतिशत) एवं ₹ 3,078 करोड़ (35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।


2014-15 के दौरान, 2013-14 की तुलना में कुल व्यय में ₹ 21,025 करोड़ (25 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 12,503 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 7,458 करोड़ (147 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

2014-15 के दौरान कुल आयोजना व्यय⁴ एवं कुल आयोजनेत्तर व्यय⁵ में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 7,863 करोड़ तथा ₹ 13,162 करोड़ की वृद्धि हुई। 2014-15 के दौरान कुल आयोजना व्यय एवं आयोजनेत्तर व्यय कुल व्यय का क्रमशः 38 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 3,212 करोड़ से), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,525 करोड़ से), कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (₹ 2,077 करोड़ से), उर्जा (₹ 1,765 करोड़ से) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 1,238 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।

2014-15 के दौरान, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 5,415 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2014-15 में कुल व्यय (₹ 1,06,787 करोड़) का 83 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों (₹ 88,641 करोड़) से पूरा किया जा सका था।




जैसा कि पृष्ठ 1-8 से देखा जा सकता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में 2010-11 में 78 प्रतिशत से 2014-15 में 77 प्रतिशत की अंतरवर्षीय परिवर्तनों के साथ कमी आई। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2010-11 में 15 प्रतिशत से 2014-15 में 11 प्रतिशत तक, वर्ष 2012-13 को छोड़कर, लगातार कमी आई।

जैसा कि पृष्ठ 1-8 से देखा जा सकता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में 2010-11 में 78 प्रतिशत से 2014-15 में 77 प्रतिशत की अंतरवर्षीय परिवर्तनों के साथ कमी आई। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2010-11 में 15 प्रतिशत से 2014-15 में 11 प्रतिशत तक, वर्ष 2012-13 को छोड़कर, लगातार कमी आई।

⁴ राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना व्यय सम्मिलित है।

⁵ राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजनेत्तर व्यय सम्मिलित है।



संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई जानकारी के आधार पर

- चित्र 1-9 में दर्शाये अनुसार कुल व्यय की तुलना में सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित) एवं सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में क्रमशः 2010-11 में 25.77 प्रतिशत से 2014-15 में 21.18 प्रतिशत एवं 2010-11 में 32.82 प्रतिशत से 2014-15 में 31.97 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में 2010-11 में 29.85 प्रतिशत से 2014-15 में 31.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं, में 2010-11 में 62.67 प्रतिशत से 2014-15 में 63.12 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई।
- कुल व्यय में सहायता अनुदानों के अंश में 2010-11 में 5.10 प्रतिशत से 2014-15 में 3.96 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव सहित कमी आई।
- कुल व्यय में कर्ज एवं अग्रिमों के अंश में 2010-11 में 6.46 प्रतिशत से 2014-15 में 11.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1-6-2 पूंजीगत व्यय ;

- पूंजीगत व्यय में 2010-11 में ₹ 8,800 करोड़ से 2012-13 में ₹ 11,567 करोड़ की वृद्धि हुई उसके बाद 2013-14 में ₹ 10,813 करोड़ तक की कमी आई एवं 2014-15 में फिर से ₹ 11,878 करोड़ तक की वृद्धि हुई। 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,065 करोड़ (10 प्रतिशत से) की वृद्धि थी। पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,065 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 546 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 279 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 492 करोड़ से) के अंतर्गत थी। 2014-15 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय बजट अनुमान ₹ 14,142 करोड़ से (₹ 2,264 करोड़ से) कम था।

1-6-3 राजस्व व्यय ;

- राज्य के राजस्व व्यय में 2010-11 में ₹ 45,012 करोड़ से 2014-15 में ₹ 82,373 करोड़ की वृद्धि हुई, जो इस अवधि के दौरान 16.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के

दौरान राजस्व व्यय में कुल ₹ 12,503 करोड़ (17.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2014-15 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 55,858 करोड़ था जो कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था।

- वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 18,986 करोड़ से: 51.49 प्रतिशत), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारणों से बहुत उच्चतर था लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (9.88 प्रतिशत) से अंशतः कम था जैसा कि rkydk 1-16 में दर्शाया गया है।

rkydk 1-16% vk; kstusvkj jktLo 0; ; ealof) dh idfYk

₹ djkm+e

o"kl	rjgosa foYk vk; ks }kjk fd, x, fu/kkj .k	e/; e dkfyd jkt dks'kh; uhr foj .k eajkt; ljdkj }kjk fd; k x; k fu/kkj .k	okLrfod vk; kstusvkj jktLo 0; ;
2014-15	36,872	61,980	55,858

kl=kr % foYk yf'ks vkj rjgosa foYk vk; ks dh vuq'kd k rFkk jkt dks'kh; mYkjkf; Ro , oactV idku vflfu; e ds v'hu iLrr foj .k%

- आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 2010-11 में ₹ 32,101 करोड़ से 2014-15 में ₹ 55,858 करोड़ तक की वृद्धि हुई जो इस अवधि के दौरान 14.80 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर प्रदर्शित करती है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 10.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया कि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान करने के कारण हुई।

- 2014-15 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 5,415 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः विद्युत (₹ 1,951 करोड़ से), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 911 करोड़ से), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 910 करोड़ से) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 143 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।
- आयोजना राजस्व व्यय जिसमें 2010-15 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 7,088 करोड़ (36.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2014-15 आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 3,101 करोड़ से), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,616 करोड़ से), कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (₹ 1,572 करोड़ से) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 1,094 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 702 करोड़ से) में कमी के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

1-6-4 oruj C; kt Hkxrkuj idku Hkxrkuj , oajktl gk; rkvka ij 0; ;

राज्य सरकार के ब्याज भुगतान पर व्यय, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं राजसहायताओं पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय होते हैं। rkydk 1-17 एवं pkVL 1-10 2010-15 की अवधि के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

रक्यदक 1-17: िफर) 0; ; दस िरकवद


₹ दकड+े

िफर) 0; ; दस ि रकवद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014&15	
					ctV vupku	okLrfod vkdM\$
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें	13,100 (25.26)	14,113 (22.54)	16,026 (22.76)	18,361 (24.24)	26,178	19,997 (22.56)
आयोजनेत्तर शीर्ष	11,490	12,274	14,133	16,081	--	17,285
आयोजना शीर्ष**	1,610	1,839	1,893	2,280	--	2,712
ब्याज अदायगियां	5,049 (9.74)	5,300 (8.47)	5,574 (7.91)	6,391 (8.44)	6,929	7,071 (7.98)
पेंशन भुगतान	3,767 (7.26)	4,389 (7.01)	4,947 (7.02)	5,932 (7.83)	6,334	6,836 (7.71)
राजसहायता, जिसमें	1,810 (3.49)	2,926 (4.67)	5,697 (8.09)	6,567 (8.67)	46,275	9,954 (11.23)
आयोजनेत्तर शीर्ष	1,581	1,544	4,148	4,596	--	6,953
आयोजना शीर्ष	229	1,382	1,549	1,971	--	3,001
; kx	23,726 (46)	26,728 (43)	32,244 (46)	37,251 (49)	85,716 (83)	43,858 (49)

ukv% dks Bdk ds vkdM\$ jktLo i kfr; ka ds i fr'kr i nk'kr d jrs gA

**vk; kstuk 'kh'k ea dmi i dfr; ; kst ukvka ds vktu i n'k oru , oa etnjh i fefyr gA

%-kr% i dfr'kr o'kk ds fo'k y'k i vktu egky'kkdkj %y'kk , oa gdnkjhh% jkjk i dfr'kr ogh, y-i h- vkdM\$



(L-kr% i dfr'kr o'kk ds fo'k y'k i vktu egky'kkdkj %y'kk , oa gdnkjhh% e/; i ns'k jkjk i dfr'kr vkdM\$ rFkk ctV nLrkost)

2014-15 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राजसहायताओं पर कुल व्यय (₹ 43,858 करोड़) राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। 2010-15 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर समग्र व्यय में, 16.97 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से 85 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2013-14 में 15.53 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 17.74 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में यह 43 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के मध्य रहा। 2014-15 के दौरान, यह राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत रहा एवं बजट अनुमान से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1-6-4-1 oru , oaetnijh

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2010-11 में ₹ 13,100 करोड़ से 2014-15 में ₹ 19,997 करोड़ तक 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2014-15 में वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान के प्रक्षेपणों (₹ 26,178 करोड़) से कम था। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 22.54 प्रतिशत एवं 25.26 प्रतिशत के मध्य रहा। 2014-15 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 22.56 प्रतिशत था।

विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1-6-4-2 idku Hkqrku

पेंशन भुगतानों पर व्यय में 2010-11 में ₹ 3,767 करोड़ से 2014-15 के दौरान ₹ 6,836 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 में ₹ 904 करोड़ (15 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 569 करोड़ से), उपदान (₹ 124 करोड़ से), परिवार पेंशन (₹ 90 करोड़ से), परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकार का अंशदान (₹ 63 करोड़ से) एवं छुट्टी नकदीकरण लाभ (₹ 43 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

2014-15 में वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 6,836 करोड़, बजट अनुमान ₹ 6,334 करोड़ से 7.93 प्रतिशत अधिक एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित ₹ 4,294 करोड़ से 59.20 प्रतिशत अधिक था।

vdknk; h idku ; kstuk

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जिसे अंशदायी पेंशन योजना परिभाषित किया गया है। योजना के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान के साथ राज्य सरकार का अनुरूप अंश मनोनीत निधि प्रबंधन को NSDL/ट्रस्टी बैंको द्वारा अंतरित किया जाता है। यद्यपि कर्मचारियों के अंशदान की वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार का अनुरूप अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार नई पेंशन योजना में मुख्य शीर्ष “0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली” के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान प्राप्ति करती है तथा बजटिंग की विधि अपनाती है। तत्पश्चात ये अंशदान उक्त मुख्य शीर्ष 0071-के अंतर्गत लघुशीर्ष ‘900-वापसी घटाइए’ संचालित कर निधि को अंतरित की जाती है। चूंकि समेकित निधि सरकार के लिए वर्ष के अंत में बंद कर दी जाती है, अतः किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी आगामी वर्ष के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है।

2014-15 के दौरान, कर्मचारियों के अंशदान ₹ 216.73 करोड़ के विरुद्ध सरकार ने ₹ 239.40 करोड़ अंशदान किया। वर्तमान लेखाकरण कार्यविधि के अंतर्गत यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि 2014-15 के लिए सरकार का अंशदान कर्मचारियों के अंशदान से अधिक पूर्व के वर्षों की कमी के विरुद्ध था। हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत जमा कुल अंशदान ₹ 456.13 करोड़ में से राज्य सरकार ने मार्च 2015 तक NSDL/ट्रस्टी बैंको को केवल ₹ 438.47 करोड़ अंतरित किए थे। चूंकि यह राशि निधि में नहीं रखी गई थी इसलिए यह वित्त वर्ष की समाप्ति पर शासकीय खाते में व्यपगत हो गई थी। असंग्रहीत, बे-मेल एवं अंतरित नहीं की गई राशियां, अर्जित ब्याज सहित योजना के अंतर्गत बकाया देयताओं को दर्शाती हैं।

1-6-4-3 ळ; kt vnk; fx; ka

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान किए गए ब्याज भुगतान rkfydk 1-18 में दिए गए हैं।

rkfydk 1-18: ळ; kt vnk; fx; ka

₹ djkM+e

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज अदायगियां	5,049	5,300	5,574	6,391	7,071

॥=ks% I ळ;kt vnk; fx; ka ds foYkh; yqk

2014-15 के दौरान ₹ 7,071 करोड़ की ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों की 7.98 प्रतिशत लेखांकित की गई और राजस्व व्यय की 8.58 प्रतिशत थी। ब्याज अदायगियां मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 3,155 करोड़), केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 1,755 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 977 करोड़) एवं अन्य आंतरिक ऋण (₹ 447 करोड़) पर थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 680 करोड़ (10.64 प्रतिशत) की वृद्धि बाजार कर्ज पर ब्याज (₹ 575 करोड़ से), राज्य भविष्य निधि (₹ 134 करोड़ से) एवं राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 116 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि का परिणाम थी जिसे मुख्यतः अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹ 135 करोड़ से) के अंतर्गत कमी द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया।

वर्ष के दौरान ₹ 7,071 करोड़ की ब्याज अदायगियां बजट अनुमान ₹ 6,929 करोड़ से उच्चतर एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा 2014-15 के लिए किए गए प्रक्षेपणों (₹ 7,622 करोड़) से कम थी।

1-6-4-4 jktl gk; rk, a

2014-15 के दौरान ₹ 9,954 करोड़ (आयोजनेतर: ₹ 6,953 करोड़ एवं आयोजना: ₹ 3,001 करोड़) की राजसहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 11.23 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 12.08 प्रतिशत लेखांकित किया गया।

2014-15 के दौरान, कुल ₹ 9,954 करोड़ की राजसहायताओं में से, ₹ 4,923 करोड़ (49 प्रतिशत) ऊर्जा विभाग के अंतर्गत थी। 2014-15 में वास्तविक राजसहायता बजट अनुमान ₹ 46,275 करोड़ की 21.51 प्रतिशत थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 में राजसहायता की राशि में वृद्धि (₹ 3,387 करोड़ से) मुख्यतः ऊर्जा (₹ 1,882 करोड़ से), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 447 करोड़ से) एवं फसल कृषि कर्म (₹ 872 करोड़ से) की राजसहायता में वृद्धि के कारण थी।

1-6-5 jkT; I jdkj }kjk LFkkuh; fudk; ka rFkk vU; I LFkkuh; dks foYkh; I gk; rk

2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की प्रमात्रा rkfydk 1-19 में प्रस्तुत की गई है।

Rkfydk 1-19: LFkkuh; fudk; ka , oa vU; I LFkkuh; dks foYkh; I gk; rk

₹ djkM+e

I LFkkuh; dks foYkh; I gk; rk	2013-14	2014-15
शैक्षणिक संस्थाएं	3,862.98	4,457.99
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	743.05	792.14
आवास	225.02	829.19
नगरीय विकास	1,170.22	565.49

। १Fkkvka dks foYkh; । gk; rk	2013-14	2014-15
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	387.91	500.28
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	649.67	687.16
ग्रामीण विकास	2,650.05	5,941.93
पंचायती राज	4,314.29	3,995.44
जल आपूर्ति तथा सफाई	237.94	179.35
अन्य संस्थाएं	712.21	718.82
; kx	14,953.34	18,667.79
jktLo 0; ; ds ifr'kr ds : i ea । gk; rk	21.40	22.66

(L=kr% i rku egtyr'kkdj %ys'kk , oa gdnkj'rh' e/; i n's'k ds lgh; , y-l h-vkxM)

- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 2013-14 में ₹ 14,953.34 करोड़ से 2014-15 में ₹ 18,667.79 करोड़ तक ₹ 3,714.45 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 3,291.88 करोड़ से: 124 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता के कारण हुई।
- राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता में 2013-14 में 21.40 प्रतिशत से 2014-15 में 22.66 प्रतिशत तक आंशिक वृद्धि हुई।

1-6-6 LFkkuh; fudk; ka dh ys'kki jh'kk 0; oLFkk, a , oa fuf/k; ka dk gLrkarj . k

तेहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को स्पष्टतः परिभाषित कार्यो व जिम्मेदारियों से निहित करते हुए स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को तीन प्रकार⁶ से संगठित किया। वर्तमान में, राज्य में 378 नगरीय स्थानीय निकाय⁷ एवं 23,369 पंचायती राज संस्थाएं⁸ हैं।

1-6-6-1 fuf/k; kq dk; ka , oa veys dk varj . k

संशोधन के अनुसार (संविधान की ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची) राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य एवं नगरीय स्थानीय निकायों को 18 कार्य हस्तांतरित किए जाने थे जिनका विवरण ifjf'k"V 1-8 में दिया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों को सभी कार्य हस्तांतरित कर दिए थे, सरकार (सितम्बर 2015) द्वारा कोई भी निधि एवं अमला अलग से अंतरित नहीं किया गया। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं को कार्यो का हस्तांतरण नहीं किया गया था।

1-6-6-2 uxjh; LFkkuh; fudk; ka , oa i pk; rh jkt । १Fkkvka dks vuq'kuka dk gLrkarj . k

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा एवं फरवरी 2010 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष⁹ का एक प्रतिशत एवं चार प्रतिशत क्रमशः नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2014-15 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में राज्य वित्त आयोग के अनुदान हस्तांतरित किए गए जैसा कि rkfydk 1-20 में दर्शाया गया है।

⁶ नगरीय स्थानीय निकाय:- बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद एवं संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, पंचायती राज संस्थाएं:-जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत

⁷ नगरीय स्थानीय निकाय:-16 नगर पालिका निगम, 98 नगर पालिका परिषद, 264 नगर परिषद

⁸ पंचायती राज संस्थाएं:-50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 23006 ग्राम पंचायतें

⁹ विभाजनीय कोष का तात्पर्य विगत वर्ष के राज्य के कर राजस्व में से कर संग्रहण हेतु व्यय दस प्रतिशत को कम करने के बाद नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व को घटाने के उपरान्त प्राप्त राशि से है।

rkfydk 1-20% uxjh; LFkkuh; fudk; ka , oa iapk; rh jkt l LFkku dks
vupnkuka dk gLrkjrj .k

₹ djkm+e

o"z	uxjh; LFkkuh; fudk;		vf/kd tkjh dh xbà fuf/k; ka	iapk; rh jkt l LFkku		de tkjh dh xbà fuf/k; ka
	fuf/k; ka tks gLrkfjr dh tkuh Fkha	okLrfod gLrkfjr dh xbà fuf/k; ka		fuf/k; ka tks gLrkfjr dh tkuh Fkha	okLrfod gLrkfjr dh xbà fuf/k; ka	
1	2	3	(3-2)	4	5	(4-5)
2014-15	256.79	270.47	13.68	1027.14	591.47	435.67

उपर्युक्त rkfydk 1-20 से देखा जा सकता है कि वित्त विभाग ने 2014-15 में नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 13.68 करोड़ की अधिक निधि जारी की हालांकि 2014-15 में पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 435.67 करोड़ की निधि कम जारी की गयी। नगरीय स्थानीय निकायों को अधिक एवं पंचायती राज संस्थाओं को कम निधि जारी करने के कारण वित्त विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

1-6-6-3 ys[kki jh[kk 0; oLFkk, a

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह करेंगे जैसे वे उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। 2014-15 के अंत में नगरीय स्थानीय निकायों में 2984 अभ्युक्तियां (2014-15 के दौरान जारी 805 अभ्युक्तियों सहित) एवं पंचायती राज संस्थाओं में 23855 अभ्युक्तियां (2014-15 के दौरान जारी 3148 अभ्युक्तियों सहित) अनुपालन हेतु शेष थी।

1-6-6-4 ifronu dk LFkkuu

पंचायती राज संस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 (जुलाई 2011) एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (जनवरी 2012) में संशोधन के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 2013-14 के लिए राज्य का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को, विधानसभा में पेश करने हेतु प्रस्तुत किया गया था (मई 2015)। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।

1-7 0; ; dh xq koYkk

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और उसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आंकलन)।

1-7-1 l koifud 0; ; dh i; Mrrk

राज्य सरकार को सौंपे गए सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व, वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के

अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कही जा सकती है, यदि उस वर्ष के लिए विशेष व्यय शीर्ष को दी गई प्राथमिकता सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

rkfydk 1-21 में 2011-12, 2013-14 एवं वर्तमान वर्ष 2014-15 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत की तुलना में विकास व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

rkfydk 1-21% 2011&12] 2013&14 , oa 2014&15 ea jkT; dh jkt dks'kh; i kFkfedrk

jkT; }kjk jkt dks'kh; i kFkfedrk	dy 0; ;@ l dy jkT; ?kjsy mri kn	fodkl 0; ;#@ dy 0; ;	l keftd {ks= dk 0; ;@dy 0; ;	vkfkd {ks= dk 0; ;@ dy 0; ;	imthxr 0; ;@ dy 0; ;	f'k{k ij 0; ;@ dy 0; ;	LokLF; ij 0; ;@ dy 0; ;
*l keLU; l oxl ds jkT; ka dk vks r %vuij kr% 2011&12	15.98	65.39	36.63	28.76	13.23	17.10	4.68
e/; insk dk vks r %vuij kr% 2011&12	25.40	74.71	28.43	46.28	11.68	12.88	3.32
*l keLU; l oxl ds jkT; ka dk vks r %vuij kr% 2013&14	15.68	68.12	37.60	30.53	13.60	17.15	4.59
e/; insk dk vks r %vuij kr% 2013&14	19.73	70.46	34.67	35.79	12.61	16.14	4.02
*l keLU; l oxl ds jkT; ka dk vks r %vuij kr% 2014&15	16.49	69.12	36.50	32.61	14.01	16.23	5.04
e/; insk dk vks r %vuij kr% 2014&15	21.02	74.86	31.98	42.88	11.12	15.50	4.46

* 18 l keLU; l oxl ds jkT; ka ij vk/kfjr t\$ &1- vks/ka insk] ryaokuk l fgr 2- fcgkj 3- NUKh x<+ 4- xkok 5- xqtjkr
6- gfj; k.kk 7- >kj [k.M 8- dukVd 9- djy 10- e/; insk 11- egkj'V 12- mMHl k 13- iatc 14- jktLFku 15- rfeyukMq
16- mRrj insk 17- if'pe cakky 18- fnYyh
17 l keLU; l oxl ds jkT; ka ij vk/kfjr xkok , oa i nppjh dks NkMej
fodkl 0; ; ea fodkl jktLo 0; ;] fodkl imthxr 0; ; rFk l forjtr dtl rFk vfxe l feefyr gA
L=kr % l dy jkT; ?kjsy mri kn ds fy,] 31 tykbZ 2015 ds l h, l -vks ocl kbV ij mi yUk tkudkj]h djy , oa xqtjkr
t gka vktMh i rku egly'kdkj jkjk mi yUk dj, x, Fks dks NkMejA

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मध्य प्रदेश ने 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उच्चतर अनुपात व्यय किया।
- 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ।
- 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 में मध्य प्रदेश में आर्थिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से उच्चतर रहा है।
- सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से निम्नतर रहा है।
- इसके अतिरिक्त, 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों पर सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में कमतर अनुपात में व्यय किया गया था।
- यह देखा गया कि 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग के राज्य के औसत से निम्नतर था।

1-7-2 0; ; ds mi ; ks dh n{krk

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्ष पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण (कोर पब्लिक गुड्स)¹⁰ तथा उपयोगी पदार्थों (मेरिट गुड्स) के प्रावधान पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹¹ के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

rkfydk 1-22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किए गए राजस्व व्यय के संघटकों एवं पूंजीगत व्यय का विवरण उपलब्ध कराती है।

rkfydk 1-22% p; fur l kekf t d , oa v k f k d l o k v k a e a 0; ; ds mi ; ks dh n { k r k

% i fr 'kr e %

I kekf t d @ v k f k d v / k k j p u k	2013&14			2014&15		
	dh r g y u k e a i u t h x r 0; ; d k v d k	I a f / k r { k s = d s j k t L o 0; ; e a f u E u k f d r d k v d k o r u , o a e t n j h	i p k y u r F k k j [k j [k l o	dh r g y u k e a i u t h x r 0; ; d k v d k	I a f / k r { k s = d s j k t L o 0; ; e a f u E u k f d r d k v d k o r u , o a e t n j h	i p k y u r F k k j [k j [k l o
I kekf t d l o k , a						
शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	0.95	48.85	0.05	1.95	43.73	0.05
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4.81	63.89	0.18	5.05	51.24	0.21
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	24.30	3.34	2.09	24.97	3.51	2.99
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.83	28.55	0.10	4.93	27.66	0.07
; ks % i kekf t d l o k , %	6.39	35.53	0.65	6.06	33.05	0.81
v k f k d l o k , a						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	2.78	35.24	0.19	1.94	30.63	0.16
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	85.28	63.93	6.36	83.00	62.96	7.31
विद्युत तथा ऊर्जा	7.59	0.01	0.21	5.10	0.01	0.03
परिवहन	62.79	2.57	29.87	69.05	1.66	14.13
अन्य आर्थिक सेवाएं	14.95	38.09	18.70	14.75	45.59	13.29
; ks % v k f k d l o k , %	28.40	19.53	7.86	20.86	15.79	4.09
; ks % i kekf t d l o k , a - v k f k d l o k , %	17.57	29.46	3.38	14.54	25.71	2.21

% = ks % I a f / k r o % k a f o y k y s k d s v k j i r k u e g y s k k d j k y s k k , o a g d n k j h e / ; i n s k j k j i l r r t k u d j h %

rkfydk 1-22 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय के अंश में 2013-14 में 6.39 प्रतिशत से 2014-15 में 6.06 प्रतिशत की अंशतः कमी आई। यद्यपि, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय में पूंजीगत

¹⁰ कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि।

मेरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखी जाती है। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

¹¹ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

व्यय के अंश में 2013-14 में 28.40 प्रतिशत से 2014-15 में 20.86 प्रतिशत तक की कमी आई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्यतः अन्य सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत एवं उर्जा क्षेत्रों के अंतर्गत थी। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय पर प्राथमिकता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
- राजस्व व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक दोनों सेवाओं के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में 2013-14 में 29.46 प्रतिशत से 2014-15 में 25.71 प्रतिशत की कमी आई। प्रचालन एवं संधारण के मामले में भी व्यय में 2013-14 में 3.38 प्रतिशत से 2014-15 में 2.21 प्रतिशत की कमी मुख्यतः विद्युत एवं उर्जा तथा परिवहन के अंतर्गत हुई। इससे राजकोषीय स्थिति में सुधार दर्शित हुआ।

जैसा कि ifjfk"V 1-1 में दर्शाया गया है, 2005-14 की अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश के संबंध में शिक्षा पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में निम्नतर थी। 2014-15 की अवधि के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर विगत वर्ष की तुलना में अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी इससे शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में सुधार दर्शित हुआ।

1-8 'kkl dh; 0; ; vkj fuos'kka dk foYkh; fo' ysk.k

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाए रखे अपितु अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करे और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में वहन करने की उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने एवं वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1-8-1 fuos'k rFkk ifrykHk

31 मार्च 2015 तक सरकार ने सांविधिक निगमों (26), सरकारी कम्पनियों (35), संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और साझेदारियों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी समितियों (130) इत्यादि में ₹ 16,104.55 करोड़ निवेश किए 1-23%। विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.73 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान इनकी उधारियों पर औसत 6.80 प्रतिशत ब्याज के रूप में का भुगतान किया।

rkfydk 1-23% fuos'kka ij ifrykHk

₹ djkm+e%

fuos'k@ifrykHk@m/kkfj; ka dh ykxr	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अन्त में निवेश	12,216.04	13,183.59	14,656.50	15,275.10	16,104.55
प्रतिलाभ	32.20	37.98	18.38	378.72	80.35
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.26	0.29	0.13	2.48	0.50
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.04	6.74	6.48	6.84	6.88
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.78	6.45	6.35	4.36	6.38

₹=kr% l rFkr o'kka ds foYk yskHk

- मार्च 2015 के अन्त तक 215 इकाईयों में ₹ 16,104.55 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,076.04 करोड़ संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित थे और उनका आवंटन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था (सांविधिक निगम: ₹ 411 करोड़; सरकारी कम्पनियाँ ₹ 180.49 करोड़; सहकारी बैंक एवं समितियाँ ₹ 483.01 करोड़ और संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारियाँ ₹ 1.54 करोड़)।
- 2014-15 के दौरान इन निवेशों पर प्रतिलाभ 0.50 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधारियों पर 6.88 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।
निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि अधिकांश सार्वजनिक उद्यमों को राज्य सरकार की नीतियों को लागू करना था, लाभ हमेशा प्रेरक शक्ति नहीं होता।
तथ्य यह है कि सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ उधारियों की लागत की तुलना में बहुत कम था।
- सत्ताईस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखों को 2014-15 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 13,523.24 करोड़ था, घाटे में चल रहीं थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 29,268.72 करोड़ तक हो गया था। विवरण i j f ' k " V 1-9 में दिए गए हैं

1-8-2 वि.क.व. नि.क.व. नि.क.व. नि.क.व. नि.क.व.

31 मार्च 2015 को अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों (प्रत्येक की लागत ₹ एक करोड़ या अधिक) से संबंधित विभागवार जानकारी rkfydk 1-24 में दी गई है।

rkfydk 1-24% 31 ekpl 2015 dks vi w k l i f j ; k s t u k v k a dh f l F k f r

I - 0-	fooj . k	vi w k l i f j ; k s t u k v k a @ d k ; k i d h l a ; k	i k j f h k d c t V h ; y k x r	okLrfod l p ; h y k x r
1	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	14	3,972.31	10,717.30
2	जल संसाधन विभाग	54	6,537.33	3,626.95
	; k s x	68	10,509.64	14,344.25

rkfydk 1-24% 31 ekpl 2015 dks vi w k l i f j ; k s t u k v k a dh f l F k f r

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2015 तक ₹ 14,344.25 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद 68 परियोजनाएं/कार्य अनुबंधित सीमा में पूर्ण नहीं किए गए थे। परियोजनाओं/कार्यों के पूर्ण होने में देरी के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि की संभावना हो सकती है, इसके अतिरिक्त जनता एवं राज्य को वांछित लाभ नहीं पहुंचा।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि निविदा प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों के कारण विलम्ब हुआ एवं प्रगति की नियमित रूप से उचित स्तर पर अनुवीक्षा की गयी थी।

1 koLtfud futh l kÖknkjh i f j ; k s t u k v k a

परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुओं के लिए बहुमुल्य राजकोषीय व्यवस्था उपलब्ध कराता है जहाँ पर वित्त पोषण नहीं हो पा रहा है। मध्य

प्रदेश सरकार डेयरी, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क, खेलकूद, पर्यटन, परिवहन, नगरीय, माल भण्डारण, प्रचलन तंत्र एवं जल आपूर्ति इत्यादि के क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

हमने देखा कि जून 2015 तक 12 क्षेत्रों के अंतर्गत प्रारम्भ की गई 210 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (लागत: ₹ 28,767.15 करोड़) में से, ₹ 5,831.01 करोड़ की लागत की केवल 45 परियोजनाओं (21.43 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 11,946.25 करोड़ लागत वाली 91 परियोजनाओं (43.33 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था, ₹ 10,989.89 करोड़ लागत वाली 74 परियोजनाएं (35.24 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थीं। परियोजनाओं की देरी की अवधि का अनुभागवार विवरण विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। विवरण ifjfk'V 1-10 में दिया गया है।

1-8-3 jkT; ljdkj }kjk dtl rFkk vfxæ

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा चुकी है। rkfydk 1-25 31 मार्च 2015 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

rkfydk 1-25% jkT; ljdkj }kjk fn, x, dtl ,oa vfxæka ij iklr vKl r C; kt

₹ djkM+e%
₹

dtl dh ek=k@C; kt iklr; ka@m/kkfj; ka dh ykxr	2012-13	2013-14	2014-15	
			ctV vuqku	okLrfod vkadM;
दिए गए कर्ज का प्रारंभिक शेष	21,742	27,088	--	32,072
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,378	5,077	3,884	12,535
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	32	93	122	6,765
अन्त शेष	27,088	32,072	--	37,842
निवल संयोजन	5,346	4,984	4,006	5,770
ब्याज प्राप्तियां	42	12	1,134	1,058
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियां	0.17	0.04	--	2.80
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियां	6.48	6.84	--	6.88
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.31	6.80	--	4.08

₹=kr% l ad/kr o%ka ds fo%k y%ks , oa ctV vuqku 2014&15%

- 31 मार्च 2015 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 37,842 करोड़¹² थे। इन कर्जों के विरुद्ध प्राप्त ब्याज ₹ 1,058 करोड़ था। विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज, वसूल किए गए कर्ज की राशि से अधिक थे परिणामस्वरूप बकाया कर्जों एवं अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया कि 31 मार्च 2015 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों का 83 प्रतिशत (₹ 31,415 करोड़) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित थे एवं छह प्रतिशत जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास (₹ 2,170 करोड़) से वसूल किया जाना था तथा चार प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों (₹ 1,687 करोड़) से संबंधित इकाइयों से वसूल किए जाने थे।

¹² छत्तीसगढ़ से संबंधित ₹ 2,186 करोड़ सम्मिलित हैं जिन्हें अंतिम रूप/अंतरित नहीं किया गया है।

- 2014-15 के दौरान उधारियों पर 6.88 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए औसत ब्याज को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 2.80 प्रतिशत थी।
- 2014-15 के दौरान, प्राप्त ब्याज (₹ 1,058 करोड़), 2014-15 के बजट अनुमान (₹ 1,134 करोड़) से कम था एवं 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों (₹ 12 करोड़) से उच्चतर था।

1-8-4 jkcdM+ 'ks'k , oa jkcdM+ 'ks'kka dk fuos'k

rkfydk 1-26 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है।

rkfydk 1-26% jkcdM+ 'ks'k rFkk jkcdM+ 'ks'kka dk fuos'k

₹ djkm+ e%

	1 vi fy 2014 dks i kj fHkd 'ks'k	31 epxl 2015 dks vfire 'ks'k	of) %+-%@deh %&%
¼½ l kekl; jkcdM+ 'ks'k [(i) l s (iv)+2]	4,072.36	4,990.63	(+)918.27
(i) कोषालयों में रोकड़	--	--	--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा	173.22	199.32	(+)26.10
(iii) अन्य बैंकों में जमा	--	--	--
(iv) पारगमन में प्रेषण- स्थानीय	--	--	--
; ksx (i) l s(iv)	173.22	199.32	(+)26.10
½½ jkcdM+ 'ks'k fuos'k yf'ks ea gq fuos'k	3,899.14	4,791.31	(+)892.17
¾¾ vll; jkcdM+ 'ks'k , oa fuos'k [(i) l s(iii)]	404.67	411.33	(+)6.66
(i) विभागीय रोकड़ शेष	2.57	7.02	(+)4.45
(ii) स्थायी पेशगी	0.83	0.84	(+)0.01
(iii) उद्दिष्ट निधि से निवेश	401.27	403.47	(+) 2.20
l exl jkcdM+ fLFkfr ¼½+¾¾	4,477.03	5,401.96	(+)924.93

¼L=kr-%foYk yf'ks

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष के ₹ 4,477.03 करोड़ से वर्ष 2014-15 के अंत में ₹ 924.93 करोड़ की वृद्धि हुई।
- वित्त लेखे 2014-15 के अनुसार, ₹ 4,791.31 करोड़ भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश किए गए जिस पर वर्ष के दौरान ₹ 150 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई। बड़े रोकड़ शेषों को रखने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इनको कम ब्याज वाले 14 दिनी खजाना बिलों में निवेश किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि निश्चित करार की न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।
- मुख्य शीर्ष 8670-चैक एवं देयक के अंतर्गत बकाया शेष, नहीं भुनाए गए चैकों की राशि को दर्शाते हैं। 2014-15 के वित्त लेखे के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के अंत में बकाया शेष 2013-14 में ₹ 56.69 करोड़ की तुलना में 2014-15 में ₹ 593.12 करोड़ था। रोकड़ शेष, लम्बित चैकों की राशि तक बढ़े बताए गए।

1-9 वि.सं. 1-9; का र.सं. नं. 1, अ

1-9-1 वि.सं. 1-9; का र.सं. नं. 1-9 के अंतर्गत वि.सं. 1-9

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं।

कुल देयताएं, जिसकी परिभाषा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई है, राज्य के लोक लेखे एवं समेकित निधि के अंतर्गत देयताएं हैं। समेकित निधि देयताओं में भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम तथा आंतरिक ऋण समाहित है।

इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज सम्मिलित है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य, विधानसभा के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अंदर समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं एवं निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अंदर गारंटी दे सकते हैं। लोक लेखे देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधियां एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

शासकीय परिसंपत्तियों में समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियां एवं रोकड़ सम्मिलित होते हैं। समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों में निर्धारित परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय-निगमों एवं कम्पनियों के शेयरों में निवेश एवं कर्ज तथा अग्रिम जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज एवं अन्य विकास कर्ज सम्मिलित होते हैं।

वि.सं. 1-5 के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को तदनु रूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2015 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है।

1-9-2 वि.सं. 1-9; नं. 1, अ

विगत पांच वर्षों के लिए राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति वि.सं. 1-27 में प्रस्तुत की गई है।


वि.सं. 1-27% के अंतर्गत वि.सं. 1-9 के अंतर्गत वि.सं. 1-9; नं. 1, अ

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वि.सं. 1-9; नं. 1, अ के अंतर्गत वि.सं. 1-9	75,504	81,757	90,168	96,826	1,08,688
आन्तरिक ऋण	46,814	50,011	54,309	59,395	69,008
कर्ज तथा अग्रिम	10,956	11,359	12,268	12,718	13,254
लोक लेखा देयताएं	17,735	20,387	23,591	24,713	26,426
राजस्व प्राप्तियां	51,854	62,604	70,427	75,749	88,641
राजस्व प्राप्तियां की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	25.27	20.73	12.50	7.56	17.02
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.75	15.86	18.39	20.33	16.86
राजकोषीय देयताएं की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	11.28	8.28	10.29	7.38	12.25
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्पादकता	1.60	1.31	0.68	0.37	1.01
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजकोषीय देयताएं	0.72	0.52	0.56	0.36	0.73

वि.सं. 1-9; नं. 1, अ के अंतर्गत वि.सं. 1-9

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2010-11 में ₹75,504 करोड़ से 2014-15 में ₹1,08,688 करोड़ तक की वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2013-14 में 7.38 प्रतिशत के विरुद्ध 2014-15 में 12.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹8,171 करोड़ से), राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹1,184 करोड़ से), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कर्ज (₹673 करोड़ से) एवं भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम (₹536 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

पकV/1-11 2010-15 की अवधि के दौरान बकाया राजकोषीय देयताओं की संरचना को प्रस्तुत करता है।



₹=kr % l cdk; k jkt dks'kh; ns; rkvka dh l j puk

रकfydk 1-28 वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अंत में राज्य की राजकोषीय देयताओं के विवरण का चित्रण करती है।

रकfydk 1-28% jkT; dh jkt dks'kh; ns; rkvka ds l jkVd

₹ djkM+e

l - Ø-	uke	2013-14	2014-15
1.	l efdr fuf/k ns rk, a %ykcd __. k%	72,113	82,262
(i)	बाजार कर्ज	34,979	43,150
(ii)	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	18,076	19,260
(iii)	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र का जारी करना	1,052	691
(iv)	नाबार्ड से कर्ज	4,839	5,512
(v)	अन्य कर्ज	449	395
(vi)	; ksx (i) l s(v)	59,395	69,008
(vii)	Hkkjr l jdkj l s dtl , oa vfxe	12,718	13,254
2.	ykcd ysk ns rk, a	24,713	26,426
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	11,699	12,659
(ii)	सब्याज दायित्व	189	161
(iii)	ब्याज रहित दायित्व	12,825	13,606

₹=kr % l cdk; k jkt dks'kh; ns; rkvka dh l j puk

तेरहवें वित्त आयोग में निर्धारित 35.30 प्रतिशत की सीमा के विरुद्ध 2014-15 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.40 प्रतिशत थी। ये राजस्व

प्राप्तियों की 1.23 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधन की 2.32 गुना थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्प्लावकता, 2013-14 में 0.36 से बढ़कर वर्ष के दौरान 0.73 हो गई जो मुख्य रूप से इन देयताओं की संवृद्धि दर में वृद्धि के कारण थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य द्वारा ली गई सभी उधारी आवश्यकता के आधार पर तथा निर्धारित सीमा के भीतर थी। राज्य नकदी प्रबन्धन पर भारतीय रिजर्व बैंक के निकट संपर्क में था तथा नकदी भण्डार अनुकूलतम स्तर पर बनाये रखने की कोशिश की गई थी।

तथ्य यह रहता है कि कर्ज की बढ़ती मात्रा के परिणामस्वरूप ऋण सुधार के लिए दायित्व बढ़ गया है।

1-9-3 *leLr __. kka ds ifj 'kks'ku ds fy, fu{ks' fuf/k dh LFkki uk*

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा क्र. 12.59 में अनुशंसा की कि राज्यों को, समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में समेकित निधि में अपनी बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण + लोक लेखा देयताओं) का कम से कम 0.5 प्रतिशत का अंशदान देना आवश्यक है। हमने देखा कि जुलाई 2015 तक राज्य में निक्षेप निधि की स्थापना नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि निक्षेप निधि की स्थापना के लिए कार्यवाही प्रक्रियांतर्गत थी।

1-9-4 *i R; kHkfr; ka dh fLFkr & vkdfLed ns rk, a*

प्रत्याभूतियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार गृहिता के लिए जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है द्वारा चूक होने की स्थिति में होती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम (MPSGGR), 2009 (संशोधित) 20 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत उन सभी प्रकरणों में लागू होता है जहाँ राज्य सरकार ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उस पर ब्याज के लिए प्रत्याभूति देती है। प्रत्याभूतियों के संस्वीकृति के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक प्रत्याभूतियों की सीमा निश्चित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल प्रत्याभूतियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्ष 2014-15 के दौरान, वार्षिक संवृद्धिकारक प्रत्याभूति, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी।

वित्त लेखे के विवरण पत्र 9 में दर्ज अनुसार, राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए अधिकतम राशियाँ और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया प्रत्याभूतियां rkfydk 1-29 में दी गई है।

rkfydk 1-29: e/; i nsk l jdkj }kjk nh xbl i R; kHkr; ka

₹ djkM+e#

i R; kHkr; ka dk foj .k	2012-13	2013-14	2014-15
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	14,751.71	21,472.12	31,884.57
प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	7,719.54	9,977.62	20,124.25
वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 80 प्रतिशत (राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मानदंड)	50,083.20	56,341.60	60,599.39
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	20.95	28.35	35.97
पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में बकाया प्रत्याभूति की प्रतिशतता	12.33	14.17	26.57
प्राप्य प्रत्याभूति या शुल्क	उपलब्ध नहीं	102.86	171.81
प्राप्त प्रत्याभूति या शुल्क	4.81	2.50	5.29

₹=kr% l cdf/kr o'kk ds fojk yq'k#

वर्ष 2014-15 के दौरान, विद्युत क्षेत्र (57), सहकारिता क्षेत्र (5), राज्य वित्तीय निगम क्षेत्र (22), शहरी विकास एवं आवास क्षेत्र (299) तथा अन्य अधोसंरचना (81) के संबंध में प्रत्याभूतियां दी गई थी। वर्ष 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में, अधिकतम राशि जिसकी प्रत्याभूति दी गई थी, में ₹ 10,412.45 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि हुई जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है।

i R; kHkr ekpu fuf/k

वर्ष 2005-06 के दौरान, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 394.58 करोड़ का अंतिम शेष था। सम्पूर्ण राशि निवेशित की गई।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से एक प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाती है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। इस तरह वसूल किया गया शुल्क सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान, प्राप्य राशि ₹ 171.81 करोड़ में से ₹ 5.29 करोड़ (3.08 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूल किए गए थे और शासकीय लेखों में जमा किए गए थे। 2014-15 के दौरान कोई भी प्रत्याभूति याचित नहीं हुई।

मध्य प्रदेश शासन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2006 के अनुसार प्रत्येक वर्ष निधि में अंशदान, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क होना चाहिए एवं राज्य सरकार द्वारा समरूप अंशदान होना चाहिए। 2013-14 के दौरान ₹ 2.50 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया गया था इस प्रकार वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य द्वारा निधि में ₹ पांच करोड़ का अंशदान किया जाना था लेकिन केवल ₹ 2.50 करोड़ का अंशदान किया गया। फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य को ₹ 2.50 करोड़ अधिक बताया गया था।

1-9-5 vl pkfyr vkj f{kr fuf/k; kj

हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 8229-200-प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि के अंतर्गत आरक्षित निधि में 31 मार्च 2015 को ₹ 31.81 करोड़ का जमा शेष था जिसका पिछले सात वर्षों से न तो उपयोग किया गया था और न ही निवेश किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में निधि के उपयोग हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

1-10 **ॐ.k i ddku**

1-10-1 **ॐ.k l ddkj.kh; rk**

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता¹³ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरिकरण¹⁴, ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁵, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता¹⁶, ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की संधारणीयता का मूल्यांकन करता है। rkydk 1-30 में 2010-15 की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

rkydk 1-30% **ॐ.k l ddkj.kh; rk% l d d r d r f k k i d f y k**

₹ d j k M + e %

ॐ.k l ddkj.kh; rk d s l d d r d	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में	21.93	20.11	18.43	16.59	16.19
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	927	(-488)	(-3,660)	(-462)	(-1,470)
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठक में प्रतिशत)	2,606 (13)	955 (5)	2,838 (15)	569 (2)	4,793 (13)
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08

ऋण स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण में लगातार गिरावट आ रही है जो कि 2014-15 में 16.19 प्रतिशत पर पहुंच गया।

1-10-2 **ॐ.k d y k j i k f l r; k a d h i; k d r r k**

ऋण संधारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि

¹³ ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

¹⁴ ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा प्रसार (ऋण x दर प्रसार) मानते हुये, ऋण धारणीयता स्थिति अभिव्यक्त करती है यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा शून्य होता तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक है तो, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्ततः गिर रहा होगा।

¹⁵ संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है।

¹⁶ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियां ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल मध्यम से लंबी अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, ऋणोत्तर प्राप्तियों ने न केवल प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता बल्कि संवृद्धिता ब्याज देयताओं की आवश्यकता को भी पूरा किया, परिणामतः सकारात्मक संसाधन अंतराल से दर्शित हुआ कि राज्य की ऋण संधारणीयता की क्षमता में वृद्धि हुई। 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्तियां, संवृद्धिता प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामतः नकारात्मक संसाधन अंतराल हुआ। 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान कर्जों की कोई भी महत्वपूर्ण वसूली नहीं देखी गई।

1-10-3 म/क/यि ख/ल/फ/क/क; क/ध/फुय/मि/य/क/क

ऋण मोचन अनुपात ने 2010-15 की अवधि के दौरान 0.87 से 0.98 के मध्य उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (i f j f' k"V 1-4), जिससे परिसम्पत्ति निर्माण के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध थी। वर्ष 2014-15 के दौरान आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान (₹4,084 करोड़) नवीन आंतरिक ऋण प्राप्तियों (₹13,696 करोड़) का 30 प्रतिशत था, भारत सरकार के कर्जों का पुनर्भुगतान (₹837 करोड़) ₹1,372 करोड़ के नवीन ऋण प्राप्तियों का 61 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों के मामले में पुनर्भुगतान (₹18,768 करोड़), ₹20,484 करोड़ की नवीन प्राप्तियों का 92 प्रतिशत था। इससे यह दर्शित हुआ कि नवीन ऋण प्राप्तियों का ऋण के पुनर्भुगतान में अंशतः उपयोग किया गया था।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹13,696 करोड़ की प्राप्तियों में से, सरकार ने 8.62 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹10,300 करोड़ बाजार कर्ज से, ₹1,407 करोड़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से, ₹1,914 करोड़ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से एवं ₹48 करोड़ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से एवं ₹28 करोड़ अन्य संस्थानों से कर्ज लिए।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों की प्राप्ति में 2013-14 में ₹1,212 करोड़ से 2014-15 में ₹1,372 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्ज' के अंतर्गत एक मुश्त कर्जों में प्राप्ति के कारण था। आन्तरिक ऋण में बाजार कर्ज मुख्य रूप से समाविष्ट था।

1-10-4 ज/क/ट; .क/ध/ि/फ/ि/ड/क/क : इ/ज/स/क/क

र/क/य/ड/क 1-31% 0"क/ 2013&14 , 0"क/ 2014&15 द/स/य/ , ज/क/ट; .क/ ध/ इ/फ/ि/ड/क/क : इ/ज/स/क/क

₹ द/क/म/ + 0"क/

0"क/क/ 0"क/ 2013&14	foYkh; 0"क/ 2013&14				foYkh; 0"क/ 2014&15			
	6003&vkrfjd _.k dh jkf'k	6004&dt7 rFkk vfxeka dh jkf'k	dy jkf'k	_.kka l s ns i qHkkrku dk ifr'kr	6003&vkrfjd _.k dh jkf'k	6004&dt7 rFkk vfxeka dh jkf'k	dy jkf'k	_.kka l s ns i qHkkrku dk ifr'kr
0-1	2,859.37	1,148.62	4,007.99	5.56	2,671.65	1,177.70	3,849.35	4.68
1-3	4,901.40	1,176.90	6,078.30	8.43	6,198.88	1,201.15	7,400.03	9.00
3-5	8,231.36	1,199.59	9,430.95	13.07	12,106.91	1,228.04	13,334.95	16.22
5-7	11,853.71	1,205.75	13,059.46	18.11	10,415.48	1,236.70	11,652.18	14.17

वर्ष	वित्त वर्ष 2013&14				वित्त वर्ष 2014&15			
	6003& वक्रांश	6004&दत्त	द्वि	...	6003& वक्रांश	6004&दत्त	द्वि	...
7-9	10,632.71	1,205.50	11,838.21	16.41	12,015.48	920.98	12,936.46	15.73
9-11	7,132.71	432.36	7,565.07	10.49	12,587.64	303.61	12,891.25	15.68
11-13	2,019.12	228.88	2,248.00	3.12	1,938.31	214.82	2,153.13	2.62
13-15	1,818.72	140.15	1,958.87	2.72	1,617.81	131.70	1,749.51	2.13
15 से अधिक	3,605.54	104.81	3,710.35	5.15	2,857.37	124.26	2,981.63	3.63
विविध*	6,340.45	5,875.67	12,216.12	16.94	6,598.15	6,714.87	13,285.02	16.16
कुल	59,395.09	12,718.23	72,113.32		69,007.68	13,253.83	82,233.51	

* विविध

* ...


उपरोक्त दर्शाए गए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा यह दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 44 प्रतिशत सात वर्षों के भीतर, 34 प्रतिशत सात से 13 वर्षों के मध्य तथा छह प्रतिशत 13 से 15 वर्षों से अधिक के मध्य पुनर्भुगतान करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 16 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि जानकारी सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुई थी।

1-11


तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे—एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय सेहत के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व, प्राथमिक और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का मूल्यांकन राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रस्तुत किया गया है।

...

pkVI 1-12 एवं pkVI 1-13 2010-15 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



संकेत: राजस्व आधिक्य (नीला), राजकोषीय घाटा (नारंगी), प्राथमिक घाटा (ग्रे)



संकेत: राजस्व आधिक्य/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (नीला), प्राथमिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (नारंगी), राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (ग्रे)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था, मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जो 2010-11 में ₹6,842 करोड़ से 2011-12 में ₹9,910 करोड़ तक बढ़ा, उसके बाद 2013-14 में कम होकर ₹5,879 करोड़ रहा तथा 2014-15 में पुनः ₹6,268 करोड़ तक बढ़ गया। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹389 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में राजस्व आधिक्य 2010-11 में 2.60 प्रतिशत से 2011-12 में 3.25 प्रतिशत तक बढ़ गया, उसके पश्चात 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के कारण 2014-15 में घटकर 1.23 प्रतिशत रहा। 2014-15 के दौरान यह एक प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की समस्त उधारियों और उसके संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, 2010-11 में ₹5,272 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹11,352 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे

में विगत वर्ष की तुलना में ₹1,470 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2013-14 में 2.27 प्रतिशत से 2014-15 में 2.23 प्रतिशत की अंशतः कमी आई जो बजट अनुमान (2.98 प्रतिशत) के भीतर रहा एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तीन प्रतिशत साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भी भीतर रहा।

- प्राथमिक घाटा 2010-11 में ₹223 करोड़ से बढ़कर अन्तर-वर्षीय परिवर्तनों के साथ 2014-15 में ₹4,281 करोड़ हो गया।

1-11-1 jkt dks'kh; ?kkVs ds l ?kVd rFkk bl dh foYk 0; oLFkk dk ifr: i

राजकोषीय घाटा, राज्य की कुल उधारियों की आवश्यकता होता है तथा राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों पर कर्ज तथा अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य होता है। राजकोषीय घाटे के अपघटन से प्रकट होता है कि राज्य द्वारा राजस्व एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों के अलावा निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस सीमा तक विभिन्न कर्ज लिए गए। राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप rkfydk 1-32 में परिलक्षित होता है।

rkfydk 1-32% jkt dks'kh; ?kkVs ds l ?kVd rFkk bl dh foYk 0; oLFkk dk ifr: i

₹ djkm+e%

fooj.k		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
jkt dks'kh; ?kkVk		-5,272	-5,760	-9,420	-9,882	-11,352
1	राजस्व आधिक्य	6,842	9,910	7,459	5,879	6,268
2	निवल पूंजीगत व्यय	-8,433	-9,032	-11,534	-10,777	-11,850
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	-3,681	-6,638	-5,345	-4,984	-5,770
jkt dks'kh; ?kkVs dh foYk 0; oLFkk dk ifr: i*						
1	बाजार उधारियां	3,258	3,166	3,363	3,572	8,171
2	भारत सरकार से कर्ज	577	403	909	450	536
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,582	-167	725	1,270	1,184
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	-488	198	210	245	258
5	आरक्षित निधियां	275	1,191	2,020	971	143
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	773	698	837	948	962
7	जमा एवं अग्रिम	1,678	783	348	-490	618
8	उचन्त एवं विविध	86	-28	-93	32	462
9	प्रेषणों	519	391	400	286	-57
10	रोकड़ शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	+2,988	+875	-701	-2,598	+925

* vkadM% o"iz ds nks'ku l forj.k , oa cfxæu dk fuoy gS

(L=ks-% l cdf/r o"kk ds foYk yq'k%)

वर्ष 2013-14 के दौरान यह देखा गया है कि, राज्य सरकार द्वारा ली गई बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य भाग को वित्त पोषित करना जारी रखा। 2014-15 में राजकोषीय घाटे को वित्त पोषण करने में इसका अंश 71.98 प्रतिशत था। 2013-14 की तुलना में 2014-15 में जमा एवं अग्रिम तथा उचन्त एवं विविध की राशि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर थी जिससे भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि दर्शित हुई।

1-12 राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (कर्ज एवं अग्रिम सहित) में अपघटन राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। मध्य प्रदेश के संबंध में 2004-05 से राजस्व आधिक्य रहा है। प्राथमिक घाटे का विभाजन 1-33½ उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का

₹ करोड़

वर्ष	पूँजीगत व्यय	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटे का अनुपात	प्राथमिक घाटे का अनुपात	प्राथमिक घाटे का अनुपात	प्राथमिक घाटे का अनुपात
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846	15.56
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491	13.62
2014-15	95,435	75,302	11,878	12,536	99,716	20,133	-4,281	11.91

* राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का अनुपात

2010-15 की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटों के घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए कर्ज एवं अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणोत्तर प्राप्ति प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि आधिक्य ऋणोत्तर प्राप्ति सभी वर्षों के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, वे सम्पूर्ण कर्जों एवं अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरूप 2010-15 के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

1-13 राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का

राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का

➤ राज्य ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 6,268 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 389 करोड़ की वृद्धि हुई। यद्यपि राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 11,352 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से ₹ 1,470 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा 2013-14 में 2.27 प्रतिशत से घटकर वर्तमान वर्ष में 2.23 प्रतिशत हो गया, यह मुख्यतः 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि के कारण हुआ।

- वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य का कर राजस्व (₹ 36,567 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमानों (₹ 29,912 करोड़ से) एवं मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (₹ 30,104 करोड़ से) में निर्धारित लक्ष्य से कम रहा। राज्य द्वारा प्रक्षेपित 2014-15 के लिए पुनरीक्षित बजट अनुमान ₹ 66,479 करोड़ यथार्थवादी नहीं था।

राज्य सरकार बेहतर कर अनुपालन द्वारा कर एवं करेत्तर संसाधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु खोज कर सकती है। बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तैयार करते समय राज्य सरकार को यथार्थवादी आकड़े प्रक्षेपित करना चाहिए।

0; ; i xaku , oajkt dks'kh; i kFkfedrk

- 2014-15 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास, ऊर्जा एवं परिवहन के अंतर्गत थी।
- 2014-15 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) में 17.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 10.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से 51.49 प्रतिशत अधिक था लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से अंशतः कम था।
- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगी एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। ₹ 9,954 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 49 प्रतिशत उर्जा विभाग से संबंधित थी।

चूंकि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का मुख्य भाग वेतन, पेंशन एवं ब्याज अदायगी पर व्यय होता है जो कि मुख्यतः नियंत्रण से बाहर है, राज्य सरकार आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के अन्य संघटकों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपायों की खोज कर सकती है ताकि परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अवसर देने एवं राज्य के संधारणीय विकास के लिए राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जा सके। राजसहायताओं पर व्यय जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, पर सरकार द्वारा अधिकतम ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

- 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

सरकार को सामाजिक सेवाओं पर विशेषतः राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक राजकोषीय प्राथमिकता देनी चाहिए।

fuo'sk ij ifryk'kk

- 2014-15 के दौरान, सरकार द्वारा 2014-15 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में निवेश ₹ 16,104.55 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 80.35

करोड़) केवल 0.50 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.88 प्रतिशत थी।

सरकार को अपने निवेशों हेतु बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

- सत्ताईस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखे को 2014–15 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 13,523.24 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 29,268.72 करोड़ तक हो गया।

सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों जो अधिक नुकसान में चल रहे हैं, की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना चाहिए एवं या तो पुनः प्रवर्तन कार्यनीति या समाप्ति नीति तैयार करना चाहिए।

विनियोजन, अ

- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं जल संसाधन विभागों में 68 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2015 तक किया गया व्यय ₹ 14,344.25 करोड़ निष्फल रहा।

सरकार को अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करवाने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि समय एवं लागत वृद्धि से बचा जा सके।

रोकड़ शेष निवेश खाते

- राज्य सरकार द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में 2013–14 एवं 2014–15 के अंत में क्रमशः ₹ 4,477 करोड़ तथा ₹ 5,402 करोड़ का निवेश किया गया। रोकड़ शेष निवेश खाते में बड़ी राशि का कम ब्याज दर पर रखना जबकि उधार अधिक दर पर लेना वित्तीय विविक्षाएं (implications) लाता है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में उच्च स्तर पर निवेश दर्शाता है कि रोकड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
- बकाया राजकोषीय देयताओं में 2010–11 के अंत में ₹ 75,504 करोड़ से 2014–15 के अंत में ₹ 1,08,688 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 21.40 प्रतिशत थी जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 35.30 प्रतिशत के अंदर रही। ऋण की मात्रा बढ़ जाने के परिणामस्वरूप ऋण को चुकाने की देयताओं में वृद्धि होती है।

राज्य सरकार नये ऋण का सहारा लेने से पूर्व आवश्यकता के आधार पर उधारियां लेने एवं उपलब्ध रोकड़ शेषों के उपयोग पर विचार कर सकती है।

v/; k; 2

foYkh; i cak u rFkk ctVh;
fu; a.k

2-1 iLrkouk

विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे है जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2-2 fofu; ksx ys[ks dk l kjkdk

2014-15 के दौरान 80 अनुदानों एवं विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश rkydk 2-1 में दिया गया है।

rkydk 2-1% o"kl 2014&15 ds fy, emy@vuiqjd i ko/kkuka dh rnyuk ea okLrfod 0; ; dh fLFkfr

(₹ djkM+e)

	0; ; dh i z-fr	emy vupku@ fofu; ksx	vuiqjd vupku@ fofu; ksx	; ksx	okLrfod 0; ;	cpr %&%@ vkf/kD; %+½	l efi r jkf'k	31 ekpl dks l efi r jkf'k	31 ekpl rd l efi r jkf'k l s cpr dk i fr'kr %dkW-7@dkW-6½
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nYker	I राजस्व	93,142.38	6,085.96	99,228.34	75,846.86	(-)23,381.48	12,317.65	11,364.27	52.68
	II पूंजीगत	14,789.24	1,744.00	16,533.24	11,843.05 ¹	(-)4,690.19	3,187.63	2,967.65	67.96
	III ऋण एवं अग्रिम	3,894.82	10,536.28	14,431.10	12,539.35	(-)1,891.75	1,736.95	1,735.95	91.82
; ksx nYker	1,11,826.44	18,366.24	1,30,192.68	1,00,229.26²	(-)29,963.42	17,242.23	16,067.87	57.54	
i Hkkfjr	IV राजस्व	7,959.82	837.46	8,797.28	7,566.10	(-)1,231.18	351.61	343.73	28.56
	V पूंजीगत	37.75	---	37.75	35.63	(-)2.12	3.75	3.75*	176.89*
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	9,177.00	---	9,177.00	4,920.52	(-)4,256.48	---	---	---
; ksx i Hkkfjr	17,174.57	837.46	18,012.03	12,522.25	(-)5,489.78	355.36	347.48	6.47	
vkdfLedrk fuf/k l s fofu; ksx	---	300.00	300.00	300.00	----	---	---	---	
egk; ksx	1,29,001.01	19,503.70	1,48,504.71	1,13,051.51³	(-)35,453.20	17,597.59	16,415.35	49.64	

% l efi r jkf'k cprka (-)@vkf/kD; (+) l s vf/kd g%
%L=kr% fofu; ksx ys[kk%

1 अंतर्राज्यीय परिशोधन के ₹ 0.98 करोड़ सम्मिलित हैं।
2 राजस्व व्यय: ₹ 1040.14 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय: ₹ 4.77 करोड़ के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित किए बिना सकल आंकड़े।
3 वास्तविक व्यय निम्नांकित कारणों से सीमा से अधिक बताया गया: अव्ययित राशि के ₹ 115.45 करोड़ (राजस्व दत्तमत अनुभाग: ₹ 74.05 करोड़ तथा पूंजीगत दत्तमत अनुभाग: ₹ 41.40 करोड़) 31 मार्च 2015 को निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800-अन्य जमा के अंतर्गत अंतरित किए गए।

- वर्ष के दौरान ₹ 19,503.70 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए जो कि मूल प्रावधानों के 15.12 प्रतिशत थे। ₹ 35,453.20 करोड़ की कुल बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 19,503.70 करोड़ के संपूर्ण अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुए।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि विभागों के प्रस्तावों की नियत संवीक्षा उपरांत अनुपूरक अनुदानों के प्रावधान किए गए थे। विभाग ने आगे उत्तर दिया कि विभाग से संबंधित मुद्दे व्यय को धीमा कर देते हैं।

तथ्य यह है कि अनुदानों के अंतर्गत समग्र बचतें अनुपूरक बजट से अधिक थीं।

- ₹ 35,453.20 करोड़ की समग्र बचत राजस्व अनुभाग के अधीन 73 अनुदानों एवं 43 विनियोगों और पूंजीगत अनुभाग के अधीन 54 अनुदानों एवं छह विनियोगों में ₹ 35,899.48 करोड़ की बचतों का परिणाम थी, जिसे राजस्व अनुभाग के अधीन चार अनुदानों/विनियोगों (₹ 440.63 करोड़) तथा पूंजीगत अनुभाग के अधीन दो अनुदान/विनियोग (₹ 5.65 करोड़) कुल ₹ 446.28 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों को बचतें/आधिक्य के सारभूत परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करने बावत् उन्हें सूचित (जुलाई-अगस्त 2015) किया गया। संबंधित विभागों द्वारा अंतिम बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

- *vkdfLedrk fuf/k dh ifri/frl u gkuk ₹ 1-08 djkm+*

हमने देखा कि राज्य सरकार ने राज्य की आकस्मिकता निधि से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना के लिए प्राप्त किए गए कर्ज के विरुद्ध ब्याज के भुगतान हेतु ₹ 1.08 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया।

विभाग को अनुदान क्रमांक 22-मुख्य शीर्ष 2217 (आयोजनेत्तर), 45 लघु शीर्ष-101-योजना का नाम-मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास के अंतर्गत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त वर्ष 2014-15 के मूल बजट/प्रथम अनुपूरक में प्रावधान करना आवश्यक था। मूल बजट/प्रथम अनुपूरक में उल्लेख किया जाना था कि अग्रिम का प्रावधान/प्राप्ति आकस्मिकता निधि से की गई है।

अनुदान क्रमांक 22 के विनियोग विवरण की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि यद्यपि व्यय किया गया था, परन्तु आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु न तो मूल बजट और न ही अनुपूरक अनुदानों में किए गए थे।

इस प्रकार, व्यय राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जा सका था एवं राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की अप्रतिपूर्ति रही।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने सूचित किया कि नियत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2-3 foYkh; mYkjnkf; Ro , oa ctV i cdku

2-3-1 vko/uh; i kFkfedrvka dh rgyuk ea fofu; ksx&l kjHkr cpra

हमारे द्वारा किए गए विनियोग लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि 72 प्रकरणों में कुल ₹ 29,542.62 करोड़ की सारभूत बचतें हुई थी। प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ एवं संबंधित बजट प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई (i jf'k"V 2-1)। कुल बचतों ₹ 35,453.20 करोड़ में से, 37 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक की सारभूत बचतें कुल ₹ 28,334.01 करोड़ (79.92 प्रतिशत) हुई, जो rkfydk 2-2 में दर्शाई गई हैं।

rkfydk 2-2% ₹ 100 djkm+ rFkk ml l s vf/kd , oa dgy i ko/kkuka ds 20 i fr'kr l s vf/kd dh cprka okys vuqkuka@fofu; ksxka dh l ph

(₹ djkm+ea)

1-0	vuqku@ fofu; ksx dh l d; k rFkk uke	ey i ko/kku	vuqj d i ko/kku	; ksx	okLrfod 0; ;	cpr	cpr dk i fr'kr
1	2	3	4	5	6	7	8
jktLo&nYker							
1	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	544.18	58.00	602.18	409.03	193.15	32.07
2	07-वाणिज्यिक कर	2,545.19	0.08	2,545.27	1,498.87	1,046.40	41.11
3	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,243.45	9.79	1,253.24	901.18	352.06	28.09
4	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2,377.56	85.62	2,463.18	1,944.53	518.65	21.06
5	14-पशुपालन	682.40	29.29	711.69	557.30	154.39	21.69
6	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,727.36	23.77	1,751.13	1,201.63	549.50	31.38
7	17-सहकारिता	466.49	450.18	916.67	206.54	710.13	77.47
8	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,014.97	0.88	4,015.85	3,144.69	871.16	21.69
9	29-विधि और विधायी कार्य	1,248.69	23.62	1,272.31	708.20	564.11	44.34
10	30-ग्रामीण विकास	697.32	18.89	716.21	438.87	277.34	38.72
11	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	260.09	7.28	267.37	72.15	195.22	73.01
12	33-आदिम जाति कल्याण	1,673.73	0.02	1,673.75	1,311.37	362.38	21.65
13	38-आयुष	460.56	सांकेतिक	460.56	226.28	234.28	50.87
14	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,534.86	114.58	5,649.44	3,736.60	1,912.84	33.86
15	50-उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	414.53	6.85	421.38	281.36	140.02	33.23
16	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,116.72	114.01	3,230.73	2,436.21	794.52	24.59
17	53-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	265.50	-	265.50	150.26	115.24	43.40
18	55-महिला एवं बाल विकास	2,311.59	38.41	2,350.00	1,447.80	902.20	38.39
19	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3,567.05	588.15	4,155.20	3,099.44	1,055.76	25.41
20	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	143.56	-	143.56	30.40	113.16	78.82
21	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	3,606.45	135.74	3,742.19	2,353.45	1,388.74	37.11
22	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	757.44	6.25	763.69	514.18	249.51	32.67
23	67-लोक निर्माण-भवन	464.59	61.59	526.18	402.76	123.42	23.45
24	73-चिकित्सा शिक्षा	483.41	67.41	550.82	422.62	128.20	23.27
25	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	12,641.12	1,077.18	13,718.30	9,438.35	4,279.95	31.20
26	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5,724.07	91.55	5,815.62	4,554.97	1,260.65	21.68
27	77-स्कूल शिक्षा से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2,370.64	13.72	2,384.36	1,618.56	765.80	32.12

1-0	vupku@ fofu; ksx dh l d; k rFkk uke	ey i ko/kku	vuqj d i ko/kku	; ksx	okLrfod 0; ;	cpr	cpr dk i fr' kr
1	2	3	4	5	6	7	8
iwthxr&nYker							
28	06-वित्त	170.80	300.00	470.80	329.53	141.27	30.01
29	30-ग्रामीण विकास	1,471.55	-	1,471.55	600.40	871.15	59.20
30	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,848.01	22.97	2,870.98	1,662.65	1,208.33	42.09
31	48-नर्मदा घाटी विकास	1,251.30	1.46	1,252.76	788.14	464.62	37.09
32	55-महिला एवं बाल विकास	278.30	78.27	356.57	74.17	282.40	79.20
33	61-बुदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	369.21	-	369.21	248.65	120.56	32.65
34	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2,198.12	115.93	2,314.05	1,529.00	785.05	33.92
jktLo&iHkkfjr							
35	12-ऊर्जा	170.50	194.73	365.23	68.20	297.03	81.33
36	25-खनिज संसाधन	400.05	248.29	648.34	0.002	648.34	100
iwthxr&iHkkfjr							
37	पी.डी.-लोक ऋण	9,177.00	-	9,177.00	4,920.52	4,256.48	46.38
		77,678.36	3,984.51	81,662.87	53,328.86	28,334.01	34.70

11-kr% fofu; ksx yf k

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 138 योजनाओं में सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक) देखी गई जो कि ₹ 2,000 करोड़ तक की थी। विवरण ijf'k"V 2-2 1/d½ में दिए गए हैं।

2-3-2 I rr cpra

आठ प्रकरणों में, विगत पाँच वर्षों 2010-11 से 2014-15 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की सतत बचतें हुई थी जिन्हें rkfydk 2-3 में दिखाया गया है।

rkfydk 2-3% vupku@ fofu; ksx ftuds varxir 2010&15 ds nkjku I rr cpra gp/ 12 djkm+e½

1-0	vupku@ fofu; ksx dh l d; k rFkk uke	cprka dh jkf'k 1/dk%Bdk ead y vupku dk i fr' kr½				
		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
jktLo&nUker						
1	29-विधि और विधायी कार्य	259.71 (41.04)	137.82 (20.06)	192.19 (28.05)	333.48 (35.47)	564.12 (44.34)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन एवं 2015-निर्वाचन के अंतर्गत हुई।						
2	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	85.87 (56.29)	386.39 (84.12)	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)
बचतें मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं एवं 3454-जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी के अंतर्गत हुई।						
3	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	1.22 (38.98)	109.64 (97.52)	2.67 (51.84)	3.82 (50.73)	6.22 (51.53)
बचत मुख्य शीर्ष 2705-कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत हुई।						
jktLo&iHkkfjr						
4	06-वित्त	12.41 (97.49)	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)
बचत मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के अंतर्गत हुई।						
iwthxr&nUker						
5	06-वित्त	74.94 (70.18)	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)
बचत मुख्य शीर्ष 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज के अंतर्गत हुई।						

6	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.93 (69.76)	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)
बचत मुख्य शीर्ष 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज के अंतर्गत हुई।						
7	67-लोक निर्माण-भवन	35.89 (33.27)	41.39 (38.11)	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)
बचत मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।						
i utxR&i Hkkfjr						
8	लोक ऋण	3,392.77 (57.29)	3,650.31 (53.68)	3,903.17 (52.13)	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)
बचत मुख्यतः मुख्य शीर्ष 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण के अंतर्गत हुई।						

॥=kr% l dfr o'kk ds fofu; ks yqk

सतत बचतों से प्रदर्शित हुआ कि बजट अनुमान वास्तविक रूप से तैयार नहीं किए गए थे एवं संबंधित विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं थे।

2-3-3 ; kst ukvka ds varxir vf/kd 0; ;

37 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 4,023.24 करोड़ का कुल आधिक्य व्यय, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और प्रत्येक योजना के लिए किए गए प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक था। जिसका विवरण i f'k"V 2-2 ¼[k½ में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि सख्त व्यय नियंत्रण तंत्र था एवं बजट प्रावधान के अतिरिक्त कोई व्यय की अनुमति नहीं दी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि विनियोग लेखे में इन 37 योजनाओं के अंतर्गत आधिक्य व्यय स्पष्ट परिलक्षित है।

2-3-4 ; kst ukvka ds varxir viz; i iko/kku

86 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान, कुल ₹ 9,143.23 करोड़ अप्रयुक्त रहा। जिसका विवरण i f'k"V 2-2 ¼x½ में दिया गया है।

2-3-5 2014&15 ds nkjku iko/kku l s vkf/kD; ftuds fu; eu dh vko'; drk gS

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय का राज्य विधानसभा से नियमन कराया जाना अनिवार्य है। यदि राज्य विधान सभा द्वारा किसी सेवा पर जिस उद्देश्य के लिए अनुमोदित राशि से अधिक व्यय किया गया है, तो लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) तथ्यों के साथ, आधिक्य की परिस्थितियों की जांच करेगी तथा इसको नियमितीकरण करने की अनुशंसा कर सकती है।

2014-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि से ₹ 446.28 करोड़ के छह प्रकरणों में प्राधिकृत प्रावधान से कुल आधिक्यों का सारांश rkfydk 2-4 में दर्शित है, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। उपर्युक्त आधिक्यों के कोई कारण सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

rkfydk 2-4: 2014&15 ds nkjku i ko/kku l s vkf/kD; ftuds fu; ferhdj.k dh vko'; drk gS

(₹ djkm+e)

vunku@ fofu; ksx dh l ; k rFk uke	ey i ko/kku	vu ij d i ko/kku	dy vunku@ fofu; ksx	0; ;	vkf/kD;
02*-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	30.87	1.25	32.12	55.62	23.50
06-वित्त (राजस्व दत्तमत)	6,573.79	0.58	6,574.37	6,983.80	409.43
24-लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल (राजस्व प्रभारित)	2.00	निरंक	2.00	7.83	5.83
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूँजीगत प्रभारित)	0.15	निरंक	0.15	2.61	2.46
42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	520.88	170.00	690.88	694.07	3.19
67-लोक निर्माण कार्य-भवन (राजस्व प्रभारित)	0.50	निरंक	0.50	2.37	1.87
; ksx	7,128.19	171.83	7,300.02	7,746.30	446.28

l =kr% fofu; ksx yqk%

*bl vunku ds vx'ir 2013&14 ds nkjku Hkh vkf/kD; gvk Fkk%

2-3-6 foxr o"kk l s l cf/kr i ko/kku l s vkf/kD; ftuds fu; eu dh vko'; drk gS

वर्ष 1997-98, 2003-04 से 2006-07 एवं 2008-09 से 2013-14 से संबंधित ₹ 774.60 करोड़ राशि अधिक व्यय को ifjf'k"V 2-3 में दिए गए विवरणों के अनुसार अब भी नियमित किया जाना है। नियमितीकरण हेतु लंबित अधिक व्यय की राशियों का वर्षवार सारांश rkfydk 2-5 में दिया गया है।

rkfydk 2-5 foxr o"kk l s l cf/kr i ko/kku l s vkf/kD; ftuds fu; eu dh vko'; drk gS

o"l	l ; k		vf/kd 0; ; djkm+e	fu; eu dh lFkfr (31 vDvj 2015 dh lFkfr e)
	vunku	fofu; ksx		
1	2	3	4	5
1997-98	10	03	302.79	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2003-04	04	03	2.54	अनुदान संख्या 68 (राजस्व दत्तमत) के संदर्भ में ₹ 1.24 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2004-05	13	02	83.66	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2005-06	04	02	37.58	अनुदान संख्या 39 (पूँजीगत दत्तमत) के संदर्भ में ₹ 2.27 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2006-07	02	01	35.99	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2008-09	02	02	5.80	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2009-10	04	निरंक	123.96	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2010-11	निरंक	02	12.62	अनुदान संख्या 23 (राजस्व प्रभारित) के संदर्भ में ₹ 0.02 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।

2011-12	04	02	135.10	अनुदान संख्या 33 (राजस्व दत्तमत्त), 23 (राजस्व प्रभारित एवं पूंजीगत प्रभारित) के संदर्भ में ₹ 10.90 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2012-13	निरंक	02	0.24	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
2013-14	02	01	34.32	रिपोर्ट (राज्य वित्त) 2013-14 राज्य विधानसभा में दिनांक 22 जुलाई 2015 को प्रस्तुत की गई थी।
	45	20	774.60	

वर्षों से अनुदानों/विनियोगों के अधीन प्रावधान से आधिक्य का अनियमितीकरण अनुदानों/विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि 1997-98 से संबंधित आधिक्य व्यय का नियमितीकरण किया जा चुका था। लोक लेखा समिति की अनुशंसानुसार अन्य प्रकरणों के लिए नियमितीकरण प्रक्रिया की जा रही थी।

तथ्य यह है कि आधिक्य व्यय का नियमितीकरण कई वर्षों से लंबित था एवं 1997-98 के दौरान आधिक्य व्यय के नियमितीकरण के लिए राजपत्र अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित थी।

2-3-7 *vuko'; d@vR; f/kd@vi; kR vujij d i ko/kku*

अनुदानों/विनियोगों के 53 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए कुल ₹ 4,010.39 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक पूर्ण रूप से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान से कम था। विवरण i f j f ' k " V 2-4 में दर्शाया गया है। 18 प्रकरणों में ₹ 11,681.24 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 15,280.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें हुयी जिनका कुल योग ₹ 3,599.56 करोड़ था, को i f j f ' k " V 2-5 में दर्शाया गया है।

2-3-8 *fuf/k; k d k vR; f/kd@vuko'; d i p u f u; kx@l ei z k*

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें अनुमानित हैं, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। हमने 41 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक का पुनर्विनियोग) अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग या समर्पण देखा जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें/आधिक्य हुआ जिसका विवरण i f j f ' k " V 2-6 में दिया गया है।

2-3-9 *l e l i r u d h x b l i R; k f ' k r c p r a*

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचतों का विवरण पत्रक 15 जनवरी तक वित्त विभाग को आवश्यक रूप से सौंपना होता है।

वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर, 33 अनुदानों एवं दो विनियोगों में बचतें हुईं लेकिन संबंधित विभागों द्वारा इनके किसी भी भाग को समर्पित नहीं किया गया था। इन प्रकरणों में समाविष्ट राशि ₹ 9,466.50 करोड़ (कुल बचतों ₹ 35,453.20 करोड़ का 26.70 प्रतिशत) थी (i f j f ' k " V 2-7)।

117 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों का समर्पण), ₹ 16,147.90 करोड़ (i f j f ' k " V 2-8) की कुल बचत का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को किया गया, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि सभी विभागों को स्थायी आदेश जारी कर दिए गए थे जो आवश्यकतानुसार दोहराए जाएंगे।

2-3-10 *vokLrfod , oa vfoodi wkl eiZk*

1/2 vokLrfod cprk lsvf/kd l eiZk

आठ प्रकरणों में, समर्पित राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) वास्तविक बचतों से अधिक थी जिससे इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की अपर्याप्तता या कमी प्रकट हुई। ₹ 2,339.94 करोड़ की बचतों के विरुद्ध समर्पित राशि ₹ 2,381.32 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 41.38 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विवरण *ifjf'k"V 2-9* में दिया गया है।

1/2 vf/kd 0; ; dsckotn l eiZk

छह प्रकरणों में, ₹ 106.44 करोड़ की राशि का समर्पण किया गया जबकि ₹ 446.29 करोड़ का पहले से ही अधिक व्यय था जिससे विभाग में बजटीय नियंत्रण की अपर्याप्तता प्रकट हुई। विवरण *ifjf'k"V 2-9* में दिया गया है।

2-3-11 *0; ; dh vR; f/kdrk*

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

हमने पाया कि 24 अनुदानों/विनियोगों के 48 प्रकरणों⁴ में ₹ 3,117.25 करोड़ (इन अनुदानों/विनियोगों के अधीन कुल व्यय का 78 प्रतिशत) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए। इनमें से ₹ 2,995.06 करोड़ का व्यय मार्च माह में किया गया था। प्रत्येक प्रकरण में कुल व्यय की तुलना में माह मार्च के दौरान किए गए व्यय का प्रतिशत 50 से 100 के मध्य रहा। विवरण *ifjf'k"V 2-10* में दिया गया है। इससे त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और व्यय के प्रवाह में एकरूपता न होना दर्शित हुआ जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

2-3-12 *fuf/k; k dk vkj.k , oa fl foy tek eaj [kuk*

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

2014-15 के दौरान, 31 मार्च 2015 को ₹ 115.45 करोड़ आहरित किए गए थे एवं लेखे में संबंधित केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दर्शाते हुए 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित किए गए थे, जैसा कि *ifjf'k"V 2-11* में दर्शाया गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशियों को आवश्यकता से पूर्व आहरित किया गया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि सिविल जमा में निधियों के रखे जाने को हतोत्साहित किया गया था। समेकित निधि से लोक लेखे में अंतरण केवल अपवादात्मक प्रकरणों में किया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि केन्द्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियां सिविल जमा शीर्ष में 31 मार्च 2015 को जमा की गई थी।

2-3-13 *fcuk iko/kku dsfd, x, 0; ;*

हमने देखा कि बजट अनुमानों में बिना कोई प्रावधान के 6003-101-6767-5.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2015 (अनुदान लोक ऋण में) में ₹ 799.96 करोड़ का व्यय किया गया। इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का उस व्यय का परिलक्षित होने का कारण इस शीर्ष के स्थान पर विनियोग त्रुटिवश शीर्ष 6003-101-7887-5.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2017 के अंतर्गत पारित किया गया।

⁴ जहां अंतिम तिमाही में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ।

2-3-14 वक्रावली नियंत्रण

मध्य प्रदेश शासन बजट नियमावली खंड-1 (भाग ब) की कंडिका बी-7 एवं 8 के अनुसार, समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमान को संग्रहित करने के साथ ही साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली बजट निधियों के अनुमानों की तैयारी एवं व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के उत्तरदायी है, बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार सभी अनुमानों को संग्रहित करना चाहिए एवं उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

विनियोग लेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि 25 योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक) में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः ₹ 5,048.05 करोड़, ₹ 4,614.11 करोड़ एवं ₹ 4,334.71 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जो पूर्णतः अप्रयुक्त रहा। इससे यह दर्शाता है कि बजट प्रावधान बिना वास्तविक आवश्यकता के तदर्थ आधार पर तैयार किए गए थे। विवरण 2-12 में दिए गए हैं।

2-3-15 वक्रावली नियंत्रण

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (60) के अनुसार “उच्च” शीर्ष का संचालन लेन-देनों के अस्थायी प्रकार (पैसेज) के लिए किया जाता है क्योंकि या तो सुसंगत भुगतान वसूली या समायोजन प्रतीक्षित होते हैं या किसी भण्डार सामग्री के मूल्य पर प्रभावी निगरानी रखना आवश्यक होता है जब तक की उनका अंतिम निराकरण न हो जाए।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9 एवं कंडिका 26.12 के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारियों को व्यय में प्रत्याशित बचतों के विवरण वित्त विभाग को 15 जनवरी तक प्रस्तुत करना आवश्यक है, क्योंकि मुख्यतः जब किसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अप्रत्याशित आधिक्य व्यय होता है तो अनुदान के अंतर्गत अन्यत्र से बचतों के पुनर्विनियोजन से पूरा किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण जहां प्रशासनिक विभाग द्वारा इसके द्वारा प्रबंधित अनुदान में बचत प्रत्याशित होती है विभाग को उसके लिए समर्पण आदेश जारी करना होता है। समर्पण से संबंधित सभी गतिविधियां 15 जनवरी से पूर्व करना आवश्यक हैं जिससे वित्त विभाग संसाधनों को पुनः आवंटन कर सके। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 284 में तत्काल उपयोग के लिए आवंटन के विरुद्ध निधियों के आहरण का प्रावधान है।

शासन से स्वीकृत बजट आवंटन के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को सड़क कार्य संपादन हेतु निधियां उपलब्ध कराई जा रही थी। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम सरकार के एजेंट के रूप में लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग द्वारा सड़कों के निर्माण/रखरखाव का कार्य करती है। लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 667.37 करोड़, ₹ 750.88 करोड़ एवं ₹ 921.40 करोड़ की धनराशि इस हेतु मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को उपलब्ध कराई।

हमने देखा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने निधियों को क्रमबद्ध तरीके से सड़कों के निर्माण/रखरखाव पर व्यय किया। अतः लोक निर्माण विभाग को उपर्युक्त निधियों के अंतरण को प्रथमतः ‘उच्च लेखे’ एवं वित्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा उपयोग की गई निधियों को अंतिम रूप से व्यय शीर्ष में लेखांकन किया जाना आवश्यक था। तथापि लोक निर्माण विभाग ने जैसे ही निधियों को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अंतरित किया इसे अंतिम व्यय के रूप में लेखांकित किया। इसके परिणामस्वरूप

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अंतरित निधियों पर न केवल सरकार एवं लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में कमी बल्कि सरकार के लेखों में बढ़ाकर बताये गये व्यय ₹ 377.98 करोड़ एवं ₹ 349.97 करोड़ क्रमशः वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंत में अप्रयुक्त शेष रहे थे।

हमने आगे यह भी देखा कि लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा निधियों के उपयोग के लेखों को प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित नहीं कर रही थी जिसके कारण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के पास अप्रयुक्त निधि का पता नहीं लग सका। मध्य प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग को बजट आवंटन में से अनुमानित बचतों को समर्पण करने के लिए आंकलन करना एवं प्रत्येक वित्त वर्ष के 15 जनवरी तक वित्त विभाग को सूचित करना था। हमने देखा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस तरह की कोई कवायद नहीं की गई थी। अतः 2012-13 एवं 2013-14 के अंत में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के पास क्रमशः ₹ 377.98 करोड़ एवं ₹ 349.97 करोड़ अनुमानित बचतें (अप्रयुक्त निधियां) शासन को समर्पित नहीं की जा सकी थी। अगले वित्त वर्ष में निधियों के आवंटन के लिए विधानसभा की स्वीकृति की आवश्यकता को जरूरी नहीं समझा। परिणामस्वरूप बजटीय आवंटन के माध्यम से विधानसभा नियंत्रण में कमी आई।

इस ओर इंगित किए जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि वर्ष के दौरान संविदागत देयताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने कार्यों की आवश्यकतानुसार निधियां जारी की थी। यह भी बताया गया कि वर्ष के अंत में शेष में लगातार कमी आई है एवं वर्ष के अंत में बची हुई निधियों की मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अनुगामी वर्ष के प्रारम्भ में संविदागत देयताओं को पूरा करने के लिए निरंतर आवश्यकता थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी करने में समय लगता है। आगे यह भी बताया गया कि प्रशासनिक विभाग अर्थात् लोक निर्माण विभाग गतिविधियों का अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण एवं समय-समय पर निधियों का उपयोग एवं अवर्गीकृत लेन-देन के लिए 'उचंत लेखे' सबसे अधिक उपयुक्त था इस कारण से इस प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां लेखा शीर्ष को पहचाना जाना था।

उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि अप्रयुक्त निधियों की प्रमात्रा इस तथ्य को दर्शाती है कि निधियों का आहरण निधियों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को संवितरित नहीं किया गया था एवं मध्य प्रदेश बजट नियमावली में आवश्यक निधियों की प्रत्याशित बचतों को समर्पित नहीं किया गया था। लोक निर्माण विभाग ने वित्त वर्ष के प्रारम्भ में उस वर्ष के प्रारम्भ अप्रैल/मई में स्वयं निधियों का अंतरण कर दिया था एवं इसलिए संविदागत देयता निपटान में कोई अवरोध नहीं था। अंतिम भुगतान/व्यय के लिए प्रतीक्षित अस्थायी प्रकृति के लेन-देनों को उनके अंतिम निराकरण तक प्रभावपूर्ण निगरानी हेतु उचंत लेखे में लेखांकन किया जाता है एवं न कि सिर्फ लेखा शीर्ष की पहचान हेतु प्रतीक्षित लेन-देनों के संबंध में।

2-4 p; fur vupnkuka dh l eh{kk dk i fj .kke

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से सभी प्रकार के धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, विनियोग अधिनियम और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई राशियाँ, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान मानी जाती है।

हमने बजटीय प्रक्रिया एवं एक अनुदान अर्थात् अनुदान क्रमांक 03-पुलिस से संबंधित व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की (जुलाई-सितम्बर 2015)। पुलिस महानिदेशक, भोपाल अनुदान क्रमांक 03 के बजट नियंत्रण अधिकारी है।

वर्ष 2014-15 के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान प्रस्तुत करने की समय अनुसूची के संबंध में जारी निर्देशों (08/08/2013) के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजनेत्तर एवं आयोजना व्यय के लिए अनुमान क्रमशः 14/10/2013 एवं 07/10/2013 तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करने थे। बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, विभाग (अनुदान क्रमांक 03) के लिए बजट अनुमान पुलिस विभाग द्वारा वित्त विभाग को दिनांक 21/10/2013 को प्रस्तुत किए गए थे।

2-4-1 I kjkd kh-r fLFkfr

अनुदान क्रमांक 03 के अंतर्गत बजट, किए गए व्यय एवं बचत की राशियों के विवरण rkfydk 2-6 में सारांशीकृत हैं।

rkfydk 2-6% I kjkd kh-r fofu; ksx

(₹ djkM+e)							
vunpu dk fooj.k	vunpu	emv ctV	vuijd ctV	dy vunpu	okLrfod 0; ;	cpra	cpra dk dy vunpu l s i fr'kr
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान क्रमांक 03	राजस्व (दत्तमत)	4,507.08	35.36	4,542.44	3,793.99	748.45	16.48
	पूजीगत (दत्तमत)	101.37	सांकेतिक	101.37	87.07	14.30	14.11
; ksx		4,608.45	35.36	4,643.81	3,881.06	762.75	16.43

ML=ks% fofu; ksx ys'k%

इस अनुदान की समीक्षा में निम्न का पता चला:

2-4-2 egRo i wkl cpra

हमने देखा कि 16 योजनाओं में ₹ 10 करोड़ से अधिक की ₹ 655.72 करोड़ की महत्वपूर्ण बचतें थी जो कि योजनाओं के अधीन कुल अनुदान/विनियोग के नौ से 100 प्रतिशत तक थी। विवरण i f j f' k"V 2-13 में दिए गए हैं।

2-4-3 p; fur vunpu ds var xr fofHkuU ; kst ukvka ea viz; Dr i ko/kku

अनुदान क्रमांक 03 के अंतर्गत चार प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया गया सम्पूर्ण प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) कुल ₹ 41.09 करोड़ अप्रयुक्त रहा। विवरण rkfydk 2-7 में दिया गया है।

rkfydk 2-7% fofHkuU ; kst ukvka ea viz; Dr i ko/kku dk fofj.k

(₹ djkM+e)					
1 - Ø-	; kst uk dk uke	dy i ko/kku	0; ;	cpr dh j kf' k	i fr'kr
1	2	3	4	5	6
1	2055-109-1501-7448-महानगरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं राजमार्ग सुरक्षा	25.00	निरंक	25.00	100
2	2055-800-0101-7350-ऑटोमेटिक स्वचलित अंगुल चिन्ह व्यवस्था	11.09	निरंक	11.09	100
3	2055-800-1309-उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सुरक्षा व्यवस्था	3.00	निरंक	3.00	100
4	2055-800-9078-विधानसभा भवन/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था	2.00	निरंक	2.00	100
; ksx		41.09	निरंक	41.09	100

ML=ks% fofu; ksx ys'ks, oa foLr-r fofu; ksx ys'k%

2-4-4 *int hxr vu#kkx ds LFku ij jktLo vu#kkx ea mīs'; 'kh"KZ 63&e'khuka ds vrxr ctV iko/kku dk xyr oxhdj.k*

हमने देखा कि 16 योजनाओं के अंतर्गत, उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों के अंतर्गत ₹ 30.53 करोड़ के बजट प्रावधान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकृत कर दिए गए थे जबकि उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों की प्रकृति पूंजीगत अनुभाग से संबंधित है। उद्देश्य शीर्षवार एवं योजनावार विवरण i f j f ' k " V 2-14 में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर (अगस्त 2015) बचत नियंत्रण अधिकारी ने बताया (अगस्त 2015) कि उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों के अंतर्गत प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किए गए थे, इसलिए उनको राजस्व अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया गया था। तथ्य यह है कि उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों पूंजीगत प्रकृति का है एवं बजट में राजस्व अनुभाग में गलत वर्गीकृत किया गया।

2-4-5 *l rr cpr*

हमने देखा कि पिछले तीन वर्षों 2012-13 से 2014-15 के दौरान पुलिस विभाग के वेतन एवं मजदूरी में सतत बचतें हुई थी। बजट आवंटन, किए गए व्यय एवं बचत की राशि का वर्षवार विवरण r k f y d k 2-8 में सारांशीकृत किया गया है।

r k f y d k 2-8% oru , o a e t n j h d h l k j k a k h - r f L F k f r

(₹ d j k M + e)

o"kl	ctV iko/kku	0; ;	cpr@l efi r jkf' k
2012-13	2,681.00	2,380.49	300.51
2013-14	3,431.19	2,802.91	628.28
2014-15	3,573.00	3,107.99	465.01
; kx	9,685.19	8,291.39	1,393.80

इस ओर इंगित किए जाने पर बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि बचतें रिक्त पद एवं एरियर्स का भुगतान न होने के कारण हुई। आगे सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गए 5000 नए पदों के प्रस्ताव के आधार पर मांग बढ़ी हुई थी, जिसका वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अनुमोदन हुआ।

सतत बचतों से दर्शित हुआ कि बजट अनुमान वास्तविक रूप से तैयार नहीं किए गए थे एवं विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं था। अधिक प्रावधान से यह भी दर्शित हुआ कि बजट अनुमान तदर्थ आधार पर तैयार किए गए थे।

2-5 *fu"d"kl , o a v u d k a k , a*

eny , o a v u d j i d v u n k u k a d s v r x r c < \$ g g i k o / k k u

➤ 2014-15 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,48,505 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 1,13,052 करोड़ व्यय हुए, परिणामस्वरूप ₹ 35,453 करोड़ की समग्र बचतें हुई। अतः ₹ 19,504 करोड़ (मूल प्रावधान का 15.12 प्रतिशत) के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। 37 मदों में (32 अनुदानों/विनियोगों) प्रत्येक मद में ₹ 100 करोड़ से अधिक की कुल ₹ 28,334.01 करोड़ की बचतें हुई थी।

सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को व्यय के उचित अनुवीक्षण द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदानों के अनावश्यक प्रावधानों से बचा जाना चाहिए।

vkdfLedrk fuf/k dh ifri frl u gkuk

- राज्य सरकार ने राज्य की आकस्मिकता निधि से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को ₹ 1.08 करोड़ अग्रिम स्वीकृत किए। जिसे वर्ष के दौरान व्यय किया गया, जबकि राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति शेष रही।

आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति समय से किया जाना चाहिए।

ngjh l @ugha l efr r dh xbl cpra

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 49.64 प्रतिशत (₹ 17,597.59 करोड़) समर्पित किया गया था। 117 प्रकरणों में, ₹ 16,148 करोड़ की बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थी, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

सभी प्रत्याशित बचतों को समय से समर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

vkf/kD; 0; ; ftl ds fu; eu dh vko'; drk gS

- 2014-15 के दौरान ₹ 446.28 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों से संबंधित ₹ 774.60 करोड़ अभी नियमित होना है।

1997-98 से लंबित आधिक्य व्यय का नियमितीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है।

dlhnh; fuf/k; ka dks fl foy tek ea j[kuk

- 31 मार्च 2015 को आहरित ₹ 115.45 करोड़ की केन्द्रीय निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सिविल जमा में अप्रयुक्त निधियों का अंतरण परिणाम में राज्य का व्यय बढ़ा हुआ बताता है जिससे बचा जाना चाहिए।

v/; k; 3

foYkh; i frounu

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सूचनात्र, राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी सुशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ इन अनुपालनों की समयबद्धता और सूचना की गुणवत्ता की स्थिति अच्छे सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली एवं प्रक्रियात्मक है तो यह राज्य सरकार की मूलभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व निभाने के साथ सामरिक महत्व की योजना व निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इस अध्याय में वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं एक विहंगावलोकन दिया गया है।

3-1 mi ; kfxrk iæk.k i = iLr r djus eafoyæ

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदानों के मामले में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान देयक आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2014-15 तक विभिन्न विभागों में सहायता-अनुदान स्वीकृति के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति rkfydk 3-1 में दी गई है।

rkfydk 3-1: cdk; k mi ; kfxrk iæk.ki =k dh o"kbj fLFkfr

₹ djkm+eæ

o"z	i kjfhd 'ksk		pky o"z ds nkjku ns mi ; kfxrk iæk.k&i =		; ksx		o"z ds nkjku i klr mi ; kfxrk iæk.k&i =		o"z ds vr eæ cdk; k mi ; kfxrk iæk.k&i =	
	l æ; k	jkf'k	l æ; k	jkf'k	l æ; k	jkf'k	l æ; k	jkf'k	l æ; k	jkf'k
2012-13 तक	40405	31,417.72	687	3,708.83	41092	35,126.55	2469	6,885.64	38623	28,240.91
2013-14	38623	28,240.91	428	926.94	39051	29,167.85	2637	1,795.12	36414	27,372.73
2014-15	36414	27,372.73	132	1,346.22	36546	28,718.95	1596	1,713.22	34950	27,005.73*

l =ks-%foYk yfks 2014&15%

* 2014&15 ds nkjku fn, x, vupnks ds fy, mi ; kfxrk iæk.k&i = frukt 30 fl rEcj 2015 dks ; k bl l s i d l ns glæ s fl ok; bl ds tglæ Loh-fr vks'k eæ vl; Flk fun'k ugha fn, x, glæ

जैसा कि उपर्युक्त में देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2015 को 35 विभागों के कुल राशि ₹ 27,005.73 करोड़ के 34950 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। विवरण i jf'k"V 3-1 में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वृहद् रूप से लंबित रहना मुख्य रूप से नगरीय प्रशासन (₹ 8,711 करोड़), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 5,210 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 5,102 करोड़), शिक्षा (₹ 2,784 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 998 करोड़) विभागों से संबंधित था।

3-2 jkT; fo/kkueMy ea Lok; Yk fudk; ka ds i Fkd ys[kki jh{kk i fronu dks j [kus dh fLFkfr

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में छह स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति rkfydk 3-2 में दी गई है।

rkfydk 3-2: Lok; Yk fudk; ka ds ys[ks i Lrqr djus dh fLFkfr

I - Ø-	fudk; dk uke	I kã us dh vof/k	o"z tc rd ys[ks i Lrqr fd, x, Fks	vof/k tc rd i Fkd ys[kki jh{kk i fronu tkjh fd, x, Fks	fo/kkul Hkk ea i Fkd ys[kki jh{kk i fronu dh i Lrqr	ys[kka dh i Lrqr@ vi Lrqr ea foyc ¹ Yekgka e#
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत 1998-99 एवं उसके बाद सौंपा	2012-13	2012-13	2008-09 वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में अनुस्मरण (अगस्त 2015 एवं नवम्बर 2015) के बावजूद जानकारी प्रतीक्षित थी।	2012-13 (24) 2013-14 (15) 2014-15 (03)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2014-15 तक	2013-14	2013-14	2012-13 वर्ष 2013-14 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013-14 (03) 2014-15 (03)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2011-12	2011-12	वर्ष 2011-12 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2011-12 (23) 2012-13 (27) 2013-14 (15) 2014-15 (03)
4	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1997-98 से 2012-13	वर्ष 1997-98 से 2012-13 के लिए लेखे, संस्था से अगस्त 2015 में प्राप्त हुए थे। इन लेखों की लेखापरीक्षा की जाएगी और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया जाएगा।	-	1997-98 (205) से 2012-13 (25) 2013-14 (15) 2014-15 (03)

¹ विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 सितम्बर 2015 तक ली गई है।

5	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल	2016-17 तक	2013-14	2013-14	वर्ष 2013-14 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में अनुस्मरण (मई 2015) के बावजूद जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013-14 (09) 2014-15 (03)
6	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत शक्ति नियामक आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा गया	2014-15	2014-15	वर्ष 2014-15 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सितम्बर 2015 में जारी किया गया। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	—

जैसा कि rkydk 3-2 में देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में 205 महीनों तक का अत्यधिक विलंब किया गया था और वर्ष 1997-98 से 2012-13 के लेखे संस्था से अगस्त 2015 में प्राप्त हुए थे। राज्य विधानसभा में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलंब के परिणामस्वरूप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई, इसके साथ ही स्वायत्त निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलंब हुआ।

3-3 नफु; kx] gkfu; k] xcu bR; kfn dh l ipuk

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के नियम 22(1) में कहा गया है कि कोई भी लोक धन की हानि, गबन से हो या अन्य किसी कारण से, तत्काल महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इस हानि को जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2015 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 3134 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 34.37 करोड़ समाविष्ट था, जिन पर जून 2015 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इस राशि में वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 1.15 करोड़ (95 प्रकरण) सम्मिलित थे। ₹ 15.75 करोड़ (2515 प्रकरण) एवं ₹ 8.30 करोड़ (11 प्रकरण) के अनेक प्रकरण क्रमशः वानिकी एवं वन्य प्राणी विभाग तथा कोषालय एवं लेखा प्रशासन के वसूली/नियमितीकरण हेतु लंबित थे। 2014-15 के अंत में दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का विभागवार विवरण तथा उनका समयवार विश्लेषण ifjfk"V 3-2 में दिया गया है। विभागवार और अनियमितता की प्रकृति अनुसार इन प्रकरणों का विवरण ifjfk"V 3-3 में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा के साथ अनियमितताओं की प्रकृति को rkydk 3-3 में सारांशीकृत किया गया है।

rkfydk 3-3: n[ofu; ksx] gkfu; kj xcu bR; kfn dh : ijs[kk

y[cr i[dj.kka dh l e; kuq kj : ijs[kk			y[cr i[dj.kka dk foj .k		
foLrkj %kk e	i[dj.kka dh l e; k	l ekfo"V jkf'k % djkm+ e	i[dj.k dh iz-fr	i[dj.kka dh l e; k	l ekfo"V jkf'k % djkm+ e
0 – 5	715	16.89	चोरी	182	6.41
5 – 10	398	7.57	दुर्विनियोग/सामग्री की हानि	2952	27.96
10 – 15	446	4.59			
15 – 20	376	2.24			
20 – 25	649	1.53			
25 और उससे अधिक	550	1.55			
; ksx	3134	34-37	; ksx	3134	34-37

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण बकाया थे उनको rkfydk 3-4 में दर्शाया गया है।

rkfydk 3-4: n[ofu; ksx] gkfu] xcu bR; kfn ds cdk; k i[dj.kka ds dkj .k

cdk; k@foyc i[dj.kka ds fy; s dkj .k		i[dj.kka dh l e; k	jkf'k % djkm+ e
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	16	0.25
(ii)	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अंतिम रूप नहीं दिया	14	0.73
(iii)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र प्रकरणों का निष्पादन लंबित था	05	0.18
(iv)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3083	24.83
(v)	न्यायालयों में लंबित	16	8.38
; ksx		3134	34-37

इस प्रकार ₹ 34.37 करोड़ के 3134 प्रकरणों में से, ₹ 9.91 करोड़ के 2021 प्रकरण (64 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक लंबित थे। 3083 प्रकरणों (98 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 23.54 लाख के 98 प्रकरणों की हानि का अपलेखन किया गया था, जैसा कि ifj'k"V 3-4 में विस्तृत दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहे थे।

3-4 foLr'r i frgLrk{kfjr vkdfLed ns dka dh iLrfr ea foyc

3-4-1 l f{kIr vkdfLed ns dka ds fo:) foLr'r i frgLrk{kfjr vkdfLed ns dka dh iLrfr ea foyc

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक प्रभाओं

के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषण हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नियंत्रण अधिकारी को आगामी महीने की पांच तारीख तक प्रस्तुत कर देने चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को पारित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक महालेखाकार को प्रस्तुत करना होता है, ताकि ये देयक महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने की 25 तारीख तक प्राप्त हो जाए। जबकि, वित्त विभाग के अनुदेश (सितम्बर 1999) द्वारा सभी विभागों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग (केवल नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स पर व्यय के लिए) को छोड़कर संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हमने देखा कि मार्च 2015 के अन्त तक, ₹ 7.59 करोड़ के 19 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक लंबित थे, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य शिष्टाचार अधिकारी, भोपाल द्वारा आहरित किए गए थे। इन आहरणों का प्रकरण न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित था। प्रकरण विशेष न्यायाधीश के माननीय न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 13.03.2012 को बंद कर दिया गया था, हालांकि, ये संक्षिप्त आकस्मिक देयक समायोजन हेतु प्रतिक्षित थे। विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत करने में हुआ वर्षवार विलंब rkfydk 3-5 में दिया गया है।

rkfydk 3-5: cdk; k foLr'r i frgLrk{kfjr vkdfLed n\$ d dh o"kbkj fLFkr
(₹ djkm+e)

o"kl	cdk; k foLr'r i frgLrk{kfjr vkdfLed n\$ d dh l a ; k	jk' k
2004-05	11	4.60
2005-06	05	2.74
2006-07	03	0.25
; ksx	19	7.59

₹ =kr% foYk yfks 2014&15%

3-5 foHkkxh; i kflr; ka , oa 0; ; dk feyku

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर एवं ठीक करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

हमने देखा कि 2014-15 के दौरान कुल व्यय ₹ 1,06,787 करोड़ (लोक ऋण की अदायगियों और आकस्मिकता निधि के अंतरण को छोड़कर) के विरुद्ध दिनांक 31 मार्च 2015 तक सभी 117 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 41,850.93 करोड़ (39.19 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से केवल 08 द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्तियों ₹ 95,434.47 करोड़ लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर, के विरुद्ध ₹ 998.84 करोड़ (1.05 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय और प्राप्तियों का मिलान न किये जाने से वित्तीय प्रबंधन में कमी दर्शित हुई। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2014-15 के दौरान इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा।

3-6 वित्त विभाग के अग्रिमों का अन्वयन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 (4) के अनुसार, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन यथा शीघ्र किया जाना चाहिए एवं समायोजन में किसी भी स्थिति में तीन माह से अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। वित्त विभाग के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2001), शासकीय कर्मचारियों द्वारा यात्रा या आकस्मिक व्यय हेतु लिए गए अस्थायी अग्रिमों का समायोजन अग्रिम लेने की दिनांक से तीन माह के अन्दर या वित्त वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो, तक कर लिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर गलती करने वाले कर्मचारी/अधिकारी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सावधि जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी (उपलब्ध सीमा तक) से प्रकट हुआ कि दिनांक 31 मार्च 2015 को 15 विभागों² के कुल ₹ 15.09 करोड़ के 3144 प्रकरण, अभिलेखों में समायोजन हेतु लंबित थे। हमने देखा कि, अस्थायी अग्रिमों (एक करोड़ से अधिक) की वृहद राशि कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (₹ 7.75 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹ 4.10 करोड़), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (₹ 1.09 करोड़) तथा पशुपालन (₹ 1.05 करोड़) के संबंध में समायोजन के लिए लंबित थी।

अधिकतर विभागों द्वारा अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण रकम 3-6 में दिया गया है।

रकम 3-6: 2015 र्द वित्त विभाग के अग्रिमों के अन्वयन

1 - 0-	वित्त	रकम	प्रकरण
1	10 वर्ष से अधिक	793	1.03
2	5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	560	3.74
3	एक वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम	640	2.14
4	एक वर्ष से कम	1151	8.18
कुल		3144	15.09

₹ = करोड़, ₹ = लाख, ₹ = हजार

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 25 प्रतिशत प्रकरण (793) दस वर्ष से अधिक पुराने हैं एवं इस तरह, उनकी वसूली की संभावना बहुत कम है।

अग्रिमों की वसूली न होने से संबंधित विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शित हुई।

² (1) पशुपालन: ₹ 104.50 लाख, (2) पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय: ₹ 15.91 लाख, (3) विमानन: ₹ 1.88 लाख, (4) संस्कृति: ₹ 2.08 लाख, (5) कृषक कल्याण एवं कृषि विकास: ₹ 775.41 लाख, (6) मछलीपालन: ₹ 0.28 लाख, (7) उद्यानिकी: ₹ 76.36 लाख, (8) जेल: ₹ 5.23 लाख, (9) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी: ₹ 109.10 लाख, (10) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तता कल्याण: ₹ 0.14 लाख, (11) तकनीकी शिक्षा: ₹ 5.46 लाख, (12) नगर तथा ग्राम निवेश: ₹ 0.04 लाख, (13) अनुसूचित जनजाति कल्याण: ₹ 0.04 लाख, (14) जल संसाधन विभाग: ₹ 410.32 लाख, (15) नर्मदा घाटी विकास: ₹ 1.91 लाख

3-7 y?kq 'kh"kl '800&vU; i kflr; k' , oa '800&vU; 0; ; ' ds vrxr nt' fd; k tkuk

चूंकि अधिकतर शासकीय गतिविधियां महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केंद्र व राज्य के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में स्पष्ट वर्णित है एवं मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 8.3.5(VI) के अनुसार भी बजट नियंत्रण अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' का संचालन कम से कम हो।

वित्त लेखे 2014-15 की जांच में पाया गया कि ₹ 10,215.68 करोड़ का व्यय, कुल व्यय ₹ 94,250.50 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) का 10.84 प्रतिशत संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया, जो कि लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

हमने यह भी देखा कि लेखों के 16 मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत राशि ₹ 7,526.83 करोड़ के अधिकतर भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को कुल व्यय ₹ 9,798.29 करोड़ का 76.82 प्रतिशत लेखों के लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय के 55 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था, जैसा कि ifjf'k"V 3-5 में दिखाया गया है।

इसी तरह ₹ 22,543.10 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 88,640.78 करोड़) का 25.43 प्रतिशत संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया जो कि लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी। लेखों के 17 मुख्य शीर्षों (राजस्व प्राप्तियां) के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 28,718.90 करोड़ में से ₹ 21,620.75 करोड़ (75.28 प्रतिशत) के अधिकतर भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों का 58 से 100 प्रतिशत के मध्य था। विवरण ifjf'k"V 3-6 में दिया गया है।

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज की गई वृहद राशियां वित्तीय सूचना की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं क्योंकि इससे लेखों में सरकार की विभिन्न गतिविधियों पर विखण्डित जानकारी पृथक से प्राप्त नहीं हो पाती है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, निर्देश पहले ही जारी किए गए थे, इन्हें पुनः दोहराया जाएगा।

3-8 i wZ o"kkā ds nkf; Roka dk Hkq̄rku vlxkeh o"kkā ds ctV l s fd; k tkuk

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 के अनुसार वास्तविक रूप से किए गए समस्त भारों का अविलंब आहरण तथा भुगतान किया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में अगले वर्ष के अनुदान से भुगतान के लिए अनुमति नहीं होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, व्यय को नए बजट की स्वीकृति प्राप्त होने तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह एक वर्ष के भार को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के 11 कार्यालयों के भुगतान देयकों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि, वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के 178 लंबित देयकों की राशि ₹ 60.42 लाख का भुगतान वर्ष 2013-14 में किया गया था, जैसा कि, i j f ' k " V 3-7 & ^ V ^ में विस्तृत दिया गया है। आगे, वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के 200 लंबित देयकों की राशि ₹ 143.41 लाख का भुगतान वर्ष 2014-15 में किया गया था, जैसा कि, i j f ' k " V 3-7 & ^ C ^ में विस्तृत दिया गया है। इस प्रकार, एक वर्ष के भार को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ा जा रहा था। जो, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

इस ओर इंगित करने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षकों ने बताया कि, पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध न होने के कारण, बजट का पुनरीक्षित न होना, वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोषालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका, मरीजों के उपचार को दृष्टिगत रखते हुए दवाओं/सामग्री की तात्कालिक आवश्यकता इत्यादि हेतु खरीद आदेश जारी किए गए थे।

उत्तर, लेखापरीक्षा के कथन की पुष्टि करता है कि, प्रयोजनों हेतु भार बिना पर्याप्त प्रावधान के किए गए थे। कोषालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका, उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि, प्रतिबंध लगाए जाने के लिए पूर्व की अवधि से देयक लंबित थे। आगे, विगत वर्ष के दायित्वों का भुगतान अगले वर्ष के बजट से करना मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (अगस्त 2015); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

3-9 cfd [kkrkdk vfuf; fer l /kkj.k

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 6 एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल आवश्यकता न होने पर राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर शासकीय सेवक राज्य की संचित निधि और लोक खाते से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है। वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश (फरवरी 2009) के अनुसार शासकीय कार्यालय, जिनमें विभिन्न योजनाओं के लिए कोषालय से निधियों का आहरण किया गया एवं बैंक खाते, जो कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए थे, में जमा कर दिया गया था, इन बैंक खातों से धन को तत्काल निकाला जाए एवं शासकीय खातों में जमा किया जाए।

- दस विभागों³ के अंतर्गत 25 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयीन अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि इन विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 35 बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था जिसमें जमा राशि ₹ 30.61 करोड़ थी। इन बैंक खातों से लेनदेन भी किया जा रहा था। इस प्रकार, बैंक खातों को बंद करने के लिए वित्त विभाग के निर्देशों

³ (1) गृह विभाग, (2) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, (3) सामान्य प्रशासन, (4) स्कूल शिक्षा, (5) उच्च शिक्षा, (6) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (7) अनुसूचित जनजाति कल्याण, (8) पिछड़ वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, (9) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, (10) गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास

का पालन नहीं किया गया। बैंक खातों में शेषों का विवरण ifj'k"V 3-8 में दर्शाया गया है।

इस ओर इंगित किए जाने पर, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने उत्तर दिया कि, वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। यदि अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तो खाते बंद करके निधियों को शासकीय खातों में जमा कर दिया जाएगा।

तथ्य यह है कि, वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक खातों का संचालन वित्त विभाग एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता/मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

- प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2014) में प्रकट हुआ कि, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन ने नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय के निर्माण हेतु राशि ₹ 153.34 लाख स्वीकृत की एवं उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति (मार्च 2011) प्रदान की गयी। प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय द्वारा उक्त राशि कोषालय से मार्च 2011 में आहरित की गयी एवं उसी माह में लोक निर्माण विभाग को अंतरित कर दी थी। यद्यपि निर्माण स्थल अनुपयुक्त होने के कारण लोक निर्माण विभाग मुरैना ने सम्पूर्ण राशि वापस कर दी (जनवरी 2012)। प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय ने सम्पूर्ण राशि को ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के जनभागीदारी खाते में जमा कर दी (जनवरी 2012)। बाद में, प्राचार्य, विधि महाविद्यालय, मुरैना ने भवन निर्माण हेतु राशि ₹ 153.34 लाख मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, मुरैना को अंतरित (नवम्बर 2014) कर दी।

इस ओर इंगित किए जाने पर, कार्यालय ने उत्तर दिया कि, भवन निर्माण के लिए अन्य निर्माण संस्थाओं से पत्राचार चल रहा था इसलिए राशि सरकार को वापिस नहीं की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं क्योंकि, बैंक में राशि रखने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

प्राचार्य, विधि महाविद्यालय, मुरैना द्वारा ₹ 153.34 लाख का दो वर्षों से अधिक शासन की अनुमति के बिना बैंक में जमा रखना शासन के नियमों एवं वित्त विभाग के निर्देशों के प्रतिकूल था।

उक्त प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2015); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)। बिना पर्याप्त आयोजना के निधियों का आहरण तथा निधियों का बैंक खाते में अप्रयुक्त रखना वित्त विभाग के निर्देशों एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, विभागों को निर्देश पहले ही जारी किए गए थे तथा विशिष्ट मामलों को विभागों के समक्ष उठाया जाएगा।

3-10 fudk; ka , oa i kf/kdj .kka dks fn, x, vuqku ; k __.k ds fooj .kka dks iLrq u djuk

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत जिन संस्थानों/संगठनों की लेखापरीक्षा की जानी है उनको पहचानने के लिए, सरकार/विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की गई और संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, विनियम 2007 उपबंधित करता है कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष, जिन निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, वे प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में, उन निकायों एवं प्राधिकरणों जिनको पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया था, का विवरण पत्र, जिसमें (अ) सहायता की राशि (ब) जिस उद्देश्य के लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी (स) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शित हो, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

मामलों को अप्रैल एवं जुलाई 2015 में वित्त विभाग के समक्ष लाया गया था। वित्त विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि, जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी (जून 2015) कर दिए गए हैं जबकि, सितम्बर 2015 तक मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग ने वर्ष 2014-15 के लिए इस तरह के विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किए।

3-11 0; fäxr tek [kkra dk l d'kkj .k

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते हैं जो कि, प्रशासक के नाम से कोषालय में खोले जाते हैं। राशि को 8443-सिविल जमा 106-व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इन खातों को वित्त विभाग के अनुमोदन से खोला जा सकता है। वर्तमान नियमानुसार महालेखाकार की सहमति आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 एवं 584 से 590 के प्रावधानों के अनुसार जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के संधारण से संबंधित है, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले जाते हैं, उनको वित्त वर्ष की समाप्ति पर संबद्ध सेवा शीर्ष को ऋणात्मक नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। वित्त विभाग के फरवरी 2010 के अनुदेशों के अनुसार, यदि अगले वर्ष व्यक्तिगत जमा खाते खोलना आवश्यक है तो सामान्य प्रक्रिया से खोले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्ष से अप्रचलित हैं उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर बंद कर देना चाहिए एवं शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में शासकीय खाते में अंतरित करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खाते का कोषालय लेखे से आवधिक मिलान संबंधित प्रशासक का उत्तरदायित्व है। सहायक नियम 558 के अनुसार धन ऋण ज्ञापन जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के प्रारम्भिक शेष, प्राप्तियों, संवितरण एवं अंतिम शेष को दर्शाते हैं, को प्रत्येक माह महालेखाकार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। सहायक नियम 284 के अनुसार जब तक तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो तब तक कोषालय से राशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। वित्त विभाग ने निर्देश (मार्च 2013) दिए कि, राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित एवं विभिन्न स्रोतों के लिए अलग व्यक्तिगत जमा खाते खोले जाएंगे।

0; fäxr tek [kkrs dh l exz fLFkfr

31 मार्च 2015 की स्थिति में खुले रहे व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति का rkfydk 3-7 में विस्तृत विवरण है।

rkfydk 3-7% 31 epxl 2015 dks 0; fäxr tek [kkrs dh fLFkfr

(₹ djkm+e9

1 vi fy 2014 dks 0; fäxr tek [kkrs		o"lz ds nkjku [kksys x, 0; fäxr tek [kkrs		o"lz ds nkjku 0; fäxr tek [kkrs dks vrfj r j kf' k		o"lz ds nkjku cn fd, x, 0; fäxr tek [kkrs		o"lz ds nkjku 0; fäxr tek [kkrs l s fuLrkfj r j kf' k		31 epxl 2015 dh fLFkfr es 0; fäxr tek [kkrs	
l a; k	j kf' k	l a; k	j kf' k	l a; k	j kf' k	l a; k	j kf' k	l a; k	j kf' k	l a; k	j kf' k
880	1,784.77	14	1,069.43	92	149.75	802*	2,704.45				

l =kr-% foYk ys[ks es ys[kka i j fVli f. k; kks

* 'kkI dh: % 799] v) l kI dh: % 3] bl es l s ₹ 266-52 djkm+ ds 399 0; fäxr tek [kkrs , d o"lz l s vfi/kd vof/k l s vipfyr jgA

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतिम शेष से प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने नियमानुसार वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे में डालकर बंद नहीं किए। चूंकि राज्य की समेकित निधि से व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित राशि को अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खाते को बंद न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय बढ़ा हुआ होता है।

छह व्यक्तिगत जमा खातों के प्रशासकों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच (मई से अगस्त 2015 तक) की गई, निम्नलिखित अभ्युक्तियां पाई गई:

- संचालनालय, लोक शिक्षण, भोपाल के व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 6 (जो कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोला गया था) की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि, 'सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी' योजना अंतर्गत भारत सरकार से मार्च 2008 में ₹ आठ करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। समान राशि राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई थी। सम्पूर्ण राशि (₹ 16 करोड़) उपर्युक्त व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करा दी गई थी, जो दिसम्बर 2014 तक अप्रयुक्त बनी रही। हमने देखा कि, केन्द्रीय अंश भारत सरकार को वापिस नहीं किया गया और कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खाता जनवरी 2015 में बंद कर दिया गया एवं सम्पूर्ण राशि ₹ 16 करोड़ राज्य के राजस्व जमा शीर्ष 8443-101 में जमा कर दी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर संचालनालय लोक शिक्षण, भोपाल ने स्वीकार किया कि व्यक्तिगत जमा खाता जनवरी 2015 में बंद किया जा चुका है एवं सम्पूर्ण राशि राज्य के राजस्व जमा शीर्ष 8443-101 में जमा करवा दी गई थी।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सरकार के खातों में राजस्व के रूप में लिया गया था।

- भू-अर्जन अधिकारी, मुरैना के व्यक्तिगत जमा खाते की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि, मार्च 2012 से व्यक्तिगत जमा खाते से कोई लेन-देन नहीं किया गया था एवं कोषालय एवं रोकड़ बही के अभिलेखों के अनुसार मई

2015 को व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 5.47 करोड़ का शेष उपलब्ध था। वर्ष की समाप्ति पर न तो व्यक्तिगत जमा खाते को बंद किया गया और न ही व्यक्तिगत जमा खाते को निरंतर रखने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त की गई थी। प्रशासक द्वारा महालेखाकार को धन-ऋण ज्ञापन भी भेजा नहीं गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर, भू-अर्जन अधिकारी, मुर्देना ने उत्तर दिया (मई 2015) कि, व्यक्तिगत जमा खाते को जारी रखने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त की जा रही थी।

- हमने देखा कि वित्त विभाग ने संचालक, तकनीकी शिक्षा को आवेदन पत्रों के विक्रय से प्राप्त फीस, संसाधन (प्रोसेसिंग) फीस, संस्थाओं के निरीक्षण इत्यादि के लिए—'तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं पाठ्यक्रमों के अनुमोदन संबंधी औपचारिकताओं हेतु लेखा'—के उद्देश्य से एक व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की अनुमति प्रदान की। हमने देखा कि, राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान के भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 20 करोड़ को भी इस व्यक्तिगत जमा खाते में रखा गया था जबकि, संचालक, तकनीकी शिक्षा को इस प्रयोजन हेतु एक और व्यक्तिगत जमा खाता खोलने के लिए अधिकृत किया गया था। हमने देखा कि, धन-ऋण ज्ञापन महालेखाकार को प्रत्येक माह नहीं भेजा गया और मिलान भी नहीं किया गया था, इस कारण व्यक्तिगत जमा खाते की रोकड़ बही और पासबुक में ₹ 10.22 करोड़ का अंतर था।

इस ओर इंगित किए जाने पर संचालक, तकनीकी शिक्षा ने कहा (जुलाई 2015) कि, सुधार हेतु भविष्य में कार्यवाही की जाएगी।

तथ्य यह है कि, संसाधन (प्रोसेसिंग) फीस, एवं राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान के लिए व्यक्तिगत जमा खाते पृथक रूप से खोले जाने चाहिए थे, जो विभाग द्वारा नहीं खोले गए।

- हमने देखा कि आयुक्त, सिल्क संचालनालय, भोपाल द्वारा संधारित व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 38 में ₹ 2.28 करोड़ (मार्च 2015) शेष था, जिसमें ईरी रेशम विकास योजना एवं ईरी परियोजना के अंतर्गत 2005-06 एवं 2006-07 में क्रमशः ₹ 1.47 करोड़ एवं ₹ 0.81 करोड़ जमा, सम्मिलित था। इन योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत जमा खाते में निधि का लगातार तीन वर्षों तक अप्रचलित रहने के कारण, राशि को मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 562 के तहत राजस्व जमा लेखे में अंतरित किया जाना चाहिए था।
- हमने देखा कि, उप संचालक, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास उज्जैन एवं खरगौन द्वारा संधारित व्यक्तिगत जमा खाते से क्रमशः ₹ 0.91 करोड़⁴ एवं ₹ 0.23 करोड़⁵, संचालनालय, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के आदेश (सितम्बर 2014) के अनुपालन में अन्य जिलों के बैंक खातों में ई-भुगतान द्वारा अंतरित किए। सरकारी धन को बैंक खाते में जमा करना मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के प्रावधान का उल्लंघन है।

⁴ (1) संचालक, कृषि शाजापुर: ₹ 9.94 लाख (नवम्बर 2014), (2) उप संचालक, कृषि नीमच: ₹ 77.43 लाख (नवम्बर 2014), (3) संचालक, कृषि विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ी कला, भोपाल: ₹ 3.77 लाख (दिसम्बर 2014)

⁵ (1) संचालक, कृषि विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ी कला, भोपाल: ₹ 22.98 लाख (नवम्बर 2014)

- कोषालयों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि, 71 व्यक्तिगत जमा खाते तीन वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे। विवरण ifjf'k"V 3-9 में दर्शाया गया है। जबकि, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 562 के अंतर्गत इन व्यक्तिगत जमा खातों का शेष ₹ 107.66 करोड़ राजस्व जमा खाते को अंतरित नहीं किया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर संबंधित कोषालय अधिकारियों ने बताया कि, संबंधित प्राधिकारियों से उपयुक्त स्वीकृति लेने के पश्चात अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों के शेषों को राजस्व जमा खाते में अंतरित किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, विभागों को निर्देश पहले ही जारी किए गए थे तथा विशिष्ट मामलों को विभागों के समक्ष उठाया जाएगा।

3-12 नि 09 foYk vk; ksx ds vuqku dk ifr/kkj .k

संचालनालय, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश भोपाल ने प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने एवं शौचालय के निर्माण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मई 1998 में दसवें वित्त आयोग के ₹ 36.70 लाख का अनुदान कलेक्टर, शिवपुरी को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राशि खर्च करने के निर्देश के साथ जारी किया। संचालनालय, लोक शिक्षण ने उपर्युक्त राशि को व्यय न करने के निर्देश (अगस्त 1998) जारी किए। मार्च 2000 में संचालनालय, लोक शिक्षण ने दसवें वित्त आयोग का अनुदान ₹ 50.90 लाख कलेक्टर, शिवपुरी को इस निर्देश के साथ जारी किया कि, पूर्व में दी गई राशि ₹ 36.70 लाख शासकीय खाते में जमा की जाए, ताकि दोहरे व्यय को टाला जा सके।

कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि, कलेक्टर, शिवपुरी ने पूर्व में आहरित की गई राशि ₹ 36.70 लाख शासकीय खाते में जमा नहीं की और इसे ब्याज वहन युक्त भारतीय स्टेट बैंक के बैंक खाता क्रमांक 53037060191 (मार्च 2015) में रखा गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, संयुक्त कलेक्टर, शिवपुरी ने उत्तर दिया कि, शासन से निर्देश प्राप्त न होने के कारण राशि शासन के खाते में जमा नहीं की गई थी एवं निर्देश प्राप्त होने पर राशि को जमा किया जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचालनालय, लोक शिक्षण द्वारा मार्च 2000 में राशि को शासन के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे।

उपर्युक्त प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मार्च 2015); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

3-13 fu"d"kl , oa vuq kd k, a

vuqkuka ds fo: } cdk; k mi ; kfxrk i æk.k&i =

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को दी गयी राशि ₹ 27,005.73 करोड़ की अनुदान सहायता के संबंध में 31 मार्च 2015 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (34950) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

संगठनों जिनको अनुदान जारी किए गए थे, पर समय से उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए सरकार के विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

Lok; Yk fudk; ka }kj k ys[kka dk i Lrqrhdj .k

- पांच स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (205 महीनों तक) हुआ परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

सरकार को स्वायत्त निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को लेखों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

nfofu; kx] gkfu; k] , oa xcu ds i dj .k

- 30 जून 2015 को विभिन्न विभागों में राशि ₹ 34.37 करोड़ के हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के कुल 3134 प्रकरण लंबित थे। शासकीय राजस्व की गैर प्राप्ति, विभाग की ओर से कार्यवाही विलंब से किये जाने से रही।

दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए सरकारी विभागों को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

l f{klr vkdfLed n\$ dka ds fo#) foLr'r i frgLRk{kfjr vkdfLed n\$ dka dk i Lrqrhdj .k


- मार्च 2015 तक संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित ₹ 7.59 करोड़ के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक प्रतीक्षित थे।

राज्य सरकार को मौजूदा नियमों और प्रावधानों के अनुसार विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

0; fäxr tek [kkrka ea fuf/k dk j [kk tkuk

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2015 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खातों में कुल राशि ₹ 2,704.45 करोड़ का अत्यधिक अंतिम शेष था।

विभागों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं शेष को राज्य की समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।




¼ kš Hk ds efYyd½
egkys[kkdkj

¼ kekU; , oa l kekft d {ks= ys[kki jh{kk½
e/; i ns'k

Xokfy; j
fnukad 07 Qjojh 2016

i frgLrk{kfj r



¼ kf' k dkUr 'kek½

Hkkj r ds fu; æ-d&egkys[kki jh{k d

ubZ fnYyh
fnukad 09 Qjojh 2016

i f j f' k"V

i f j f ' k ' V 1-1
j k T ; : i j s [k k / e / ; i n s ' k k /
¼ n H k k % d f M d k , a j k T ; d h : i j s [k k , j 1-3 , o a 1-7-2 ; i " B 1] 11 , o a 30 %

d-	l kekl; vkadMš				
l-Ø-	fooj .k		vkadMš		
1	क्षेत्र		308245 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या				
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़		
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
	ख.	जनसंख्या ¹ का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 29.5%)		44.30 प्रतिशत		
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8%)	69.69 प्रतिशत		
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0%)	69.32 प्रतिशत		
6	*शिशु मृत्यु दर ² (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 40 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		54 प्रति 1000 जीवित बच्चे		
7	**जन्म के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत = 67.5 वर्ष)		63.80 वर्ष		
8	***जिनी कोएफीशियेन्ट ³				
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29)	0.29		
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)	0.36		
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2014-15 चालू मूल्य पर		₹ 508006 करोड़		
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2005-06 से 2014-15)	मध्य प्रदेश	15.05 प्रतिशत		
		सामान्य संवर्ग के राज्य	13.86 प्रतिशत		
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2005-06 से 2014-15) ⁴	मध्य प्रदेश	16.93 प्रतिशत		
		सामान्य संवर्ग के राज्य	15.44 प्रतिशत		
12	जनसंख्या वृद्धि ⁵ दर (2005-06 से 2014-15)	मध्य प्रदेश	15.74 प्रतिशत		
		सामान्य संवर्ग के राज्य	12.76 प्रतिशत		
[k-	foYkh; vkadMš				
	fooj .k		vkadMš %i fir'kr eš		
	l a k f t r o k ' k d l o f) n j		2005&06 l s 2013&14		
			2013&14 l s 2014&15		
			l kekl; l oxl e/; i n s ' k	l kekl; l oxl e/; i n s ' k	
			ds j k T ;	ds j k T ;	
क.	राजस्व प्राप्तियों के	15.76	7.68	16.10	17.02
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	15.32	17.69	10.51	8.99
ग.	करेत्तर राजस्व के	13.53	16.91	10.07	34.65
घ.	कुल व्यय के	15.23	15.01	19.32	24.52
ङ.	पूजीगत व्यय के	14.61	6.32	21.87	9.85
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	17.10	21.39	14.55	18.43
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	16.20	17.16	28.73	37.67
ज.	वेतन एवं मजदूरी के	15.23	15.82	11.75	8.91
झ.	पेन्शन के	18.70	18.20	12.43	15.24

L=kr% foYkh; vkadMš foYkh yš'ks ij vk/Mfj r gš

* सितम्बर 2014 का एस.आर.एस. बुलेटिन ** आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 *** जिनी कोएफीशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट मूल्य असमानता को कम दर्शाता करता है।

¹ अंतिम कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार

² गरीबी को मापने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) की रिपोर्ट, योजना आयोग (जून 2014)

³ <http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data/2312/DatabookDec2014%20106>.

⁴ CSO (http://mospi.nic.in/Mospi_New/site/inner.aspx?status=3&menu_id=82)

⁵ भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026 (पुनरीक्षित 2006) जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट तालिका 14 (1 अक्टूबर 2001-2026 को लिंग से कुल आबादी का प्रक्षेपण)

i f j f ' k " V 1-2
H k k x & d
I j d k j h y s [k k a d h I j p u k
¼ a n H k % d f M d k 1-1; i " B 2 ½

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

H k k x I I e f d r f u f / k : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

H k k x II v k d f L e d r k f u f / k : संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

H k k x III y k d y s [k k : प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

f o Y k y s [k k a d h : i j s [k k 2014 & 15

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग-1 में सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण है और भाग-2 में इनके विस्तृत विवरण दिए गए हैं। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग-2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

f o o j . k Ø e k d	I f { k l r , o a f o L r r f o o j . k
1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण पत्रक
3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण पत्रक
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्रक
8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण पत्रक
11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण पत्रक
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक
18	सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक
21	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण पत्रक
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरण पत्रक

i f j f ' k " V 1-2

Hkkx- [k

31 ekpl 2015 dks i n d b r h z e / ; i n s ' k j k T ; d h i f j l i f Y k ; k a , o a n s r k v k a d k m Y k j o r h z e / ; i n s ' k , o a N Y k h l x < + j k T ; k a d s e / ; f o H k k t u n ' k k z u s o k y k f o o j . k i =

¼ n H k z d f M d k 1-1; i " B 2½

(₹ d j k M + e s h)

ena	31 v D V i c j 2000 d k s ' k s ' k	foHkktu		foHkktu y f c r g k u s d s d k j . k e / ; i n s ' k d s y s [k k v k a e a j k s d d j j [k s x ; s ' k s ' k	foYk y s [k s d h f o o j . k i = d l a ; k d k l n H k z
		e / ; i n s ' k	N R r h l x < +		
I- n s r k , a					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	12 एवं 21
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-) 2.38	12 एवं 21
3. आरक्षित निधियां	657.94	45.49	11.55	102.46	12 एवं 21
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.18	21
II- i f j l i f Y k ; k a					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	6034.55	5 एवं 16
2. कर्ज तथा अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2186.26	7 एवं 18
3. प्रत्याभूतियां	9709.60	--	--	1271.09	9 एवं 20

f V l i . k h : v k s j v f / k d f o o j . k k a g r q - i ; k f o Y k y s [k s n s [k a

i f j f ' k " V 1-3
H k k x & d
j k t d k ' s ' k h ; f L F k f r d s e W ; k a d u g r q v a x h - r i z k k y h
(I n H k k % d f M d k 1-1 ; i " B 2)

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम 1/2014 के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आंकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संग्रहण, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख सकते हैं अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

अन्तिम पाँच वर्षों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्र वार विवरण निम्नानुसार दर्शाया है:

I d y j k T ; ? k j s y w m R i k n d k { k s = o k j f o o j . k

% d j k M + e h

	2010-11	2011-12	2012-13 ^(P)	2013-14 ^(Q)	2014-15 ^(A)
प्राथमिक क्षेत्र	65960	79044	103914	144429	186567
द्वितीयक क्षेत्र	76548	85773	92819	99358	107130
तृतीयक क्षेत्र	120888	140340	164537	190943	214309
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	263396	305158	361270	434730	508006
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.75	15.86	18.39	20.33	16.86

L = k r % v k f k d , o a l k f [; d h l p k y u y ;] e / ; i n s ' k l j d k j

* 2011&12 l s 2013&14 d h v o f / k d s f y , l d y j k T ; ? k j s y w m R i k n v u e k u i q j h f { k r g s b l f y , i n z d s i f r o n u k a e a n e ' k r 2011&12 l s 2013&14 d s f y , l d y j k T ; ? k j s y w m R i k n d s l u r n h k z e a f o f h k u u k e k i n . M k a d h i f r ' k r v u j k r @ m R i y k o d r k d k s H k h i q j h f { k r d j f n ; k x ; k g A

f v l i . k h & P - v u f r e v u e k u j Q - R o f j r v u e k u j A - v f x e v u e k u

i k f k f e d { k s = & कृषि (पशुपालन सहित), वानिकी, मत्स्यपालन

f } r h ; d { k s = & खनन एवं खदान, उत्पादन, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, निर्माण

r r h ; d { k s = & व्यापार, होटल एवं रेस्टॉ, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं, समुदाय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं

i f j f ' k " V 1-3 f u j r j ---
 H k k x & [k
 j k t d k s ' k h ; m Y k j n k f ; R o r F k k c t V i z U / k u v f / k f u ; e] 2005
 (l n H k % d f M d k 1-1 ; i " B 2)

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभाव में आया था राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा को कम कर इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जाये तथा उसके पश्चात राजस्व आधिक्य निर्मित हो;
- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन अनुसार, राजकोषीय घाटा के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक, राजकोषीय घाटा कम कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक लाना तथा उसके पश्चात उसे बनाए रखना;
- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के अनुसार, सुनिश्चित करें कि कुल बकाया ऋण वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए उस वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद से क्रमशः 37.6 प्रतिशत, 36.8 प्रतिशत, 36.0 प्रतिशत एवं 35.3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
- वार्षिक संवृद्धि कारक प्रत्याभूति को परिसीमित करना जिससे यह सुनिश्चित हो कि चालू वर्ष की कुल प्रत्याभूतियां पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारत संघ के बजट अनुमान के संबंध में केंद्रीय कर हस्तांतरण में कमी के आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आन्तरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं या ऐसे अन्य अपवादिक आधारों के कारण, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2014-15 हेतु बजट के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण, (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं (ग) राजकोषीय नीति मुक्ति विवरण प्रस्तुत किये हैं।

p; fur 'kCn ftudk iz; ks jktdk'skh; l p; dh : ijs[kk rFkk i) fr ds eW; kda u ea fd; k x; k g} dh ifjHkk"kk

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषाएं भी नीचे दी गई हैं:

'kCn	x .kuk dk vk/kkj
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि
मानदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मानदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि} / \text{विगत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण भण्डार* ब्याज प्रसार
बकाया कर्ज के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज/ [(प्रारम्भिक शेष + कर्ज तथा अग्रिमों का अन्त शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल कर्ज तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां-मुख्य शीर्ष 2048-‘ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन’ के अंतर्गत लेखबद्ध व्यय को छोड़कर सभी आयोजना अनुदान एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	संवृद्धिता ऋणेत्तर प्राप्तियां-(संवृद्धिता प्राथमिक व्यय + संवृद्धिता ब्याज अदायगी)

ifj'k"V 1-4
jkt; ljdkj ds foYk ij l e; c) vkdM\$
¼ nHk% dFmDk, a 1-1] 1-3] , oa 1-10-3(i" B 2] 10 , oa 39%

₹ djkm+e\$

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Hkx d- ikflr; ka					
1- jktLo ikflr; ka	51854(41)	62604(41)	70427(43)	75749(41)	88641(40)
(i) dj jktLo	21419(41)	26973(43)	30582(43)	33552(44)	36567(41)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10257(48)	12517(46)	14856(49)	16650(50)	18136(50)
राज्य उत्पाद शुल्क	3603(17)	4317(16)	5078(17)	5907(18)	6695(18)
वाहन कर	1198(6)	1357(5)	1531(5)	1599(5)	1824(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2514(12)	3284(12)	3944(13)	3400(10)	3893(11)
भू-राजस्व	361(2)	279(1)	444(1)	366(1)	243(1)
माल तथा यात्री कर	1746(8)	2047(8)	2395(8)	2579(8)	2686(7)
अन्य कर	1740(8)	3172(12)	2334(8)	3051(9)	3090(8)
(ii) djYkj jktLo	5720(11)	7483(12)	7000(10)	7705(10)	10375(12)
(iii) l 2k djka rFkk 'kYdka ea jkt; dk vdk	15638(30)	18219(29)	20805(30)	22715(30)	24107(27)
(iv) Hkjr ljdkj lslgk; rk vupku	9077(18)	9929(16)	12040(17)	11777(16)	17592(20)
2- fofo/k iwthxr ikflr; ka	367	23	31	36	28
2d- vUrkjkt; h; ifj'kks'ku	2	3	9	2	1
3. dtl rFkk vfxeka dh ol ify; ka	34	9123	33	93	6765
4. dY jktLo rFkk __.kYkj iwthxr ikflr; ka ¼1+2+2d-+3½	52257	71753	70500	75880	95435
5- ykcd __.k ikflr; ka	7458(6)	6750(4)	8791(5)	9541(5)	15069(7)
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	6363(85)	5718(85)	7234(82)	8328(87)	13696(91)
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1095(15)	1032(15)	1557(18)	1212(13)	1372(9)
6- l efd r fuf/k ea dY ikflr; ka ¼4+5½	59715	78503	79291	85421	110504
7- vkdfLedrk fuf/k ikflr; ka	--	100	--	--	300
8- ykcd ys[kk ikflr; ka	65675	76315	86248	94811	110295
9- jkt; dh dY ikflr; ka ¼6+7+8½	125390	154918	165539	180232	221099
Hkx [k 0; ; @l forj.k					
10- jktLo 0; ;	45012(78)	52694(68)	62968(79)	69870(81)	82373(77)
आयोजना	12911(29)	16017(30)	18349(29)	19427(28)	26515(32)
आयोजनेतर	32101(71)	36677(70)	44619(71)	50443(72)	55858(68)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	14647(33)	16229(31)	17705(28)	20591(29)	22365(27)
सामाजिक सेवाएं	17345(39)	20297(38)	24375(39)	27768(40)	32067(39)
आर्थिक सेवाएं	10084(22)	12965(25)	16823(27)	16972(24)	23715(29)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	2935(7)	3203(6)	4065(6)	4539(7)	4226(5)
11- iwthxr 0; ;	8800(15)	9055(12)	11567(14)	10813(13)	11878(11)
आयोजना	8657(98)	9023(100)	11543(100)	10770(100)	11821(100)
आयोजनेतर	143(2)	32(0)	24(0)	43(0)	57(0)
सामान्य सेवाएं	179(2)	167(2)	205(2)	197(2)	258(2)
सामाजिक सेवाएं	1532(17)	1599(18)	1621(14)	1899(17)	2070(18)
आर्थिक सेवाएं	7089(81)	7289(80)	9741(84)	8717(81)	9550(80)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
12- dt/rfk vfxek d k l forj.k	3715(6)	15760(20)	5378(7)	5077(6)	12535(12)
13- vlrjkt; h; ifj'kx/ku	2	4	7	2	1
14- dy 0; ; 10+11+12+13%	57529	77513	79920	85762	106787
15- ykd __.k dk iulhkrku	2529	3150	3584	4005	4921
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	2012	2520	2936	3243	4084
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्जे तथा अग्रिम	517	630	648	762	837
16- vldfledrk fuf/k ea fofu; kx	--	100	--	--	300
17- l efd r fuf/k ea l s dy l forj.k 14+15+16%	60058	80763	83504	89767	112008
18- vldfledrk fuf/k l forj.k	--	--	--	--	1
19- ykd yfkk l forj.k	62344	73279	82736	93064	108165
20- jkT; }kj k dy l forj.k 17+18+19%	122402	154042	166240	182831	220174
Hkx x- ?kV:					
21. राजस्व घाटे(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	6842	9910	7459	5879	6268
22. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-14)	-5272	-5760	-9420	-9882	-11352
23. प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+) (22+24)	-223	-460	-3846	-3491	-4281
Hkx ?k- vU; vkdM+					
24. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	5049	5300	5574	6391	7071
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	9117	10830	13487	14953	18668
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁶	263396	305158	361270	434730	508006
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	75504	81757	90168	96826	108688
30. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	5111	5605	7720	9978	20124
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	8439	11108	14752	21472	31885
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	उपलब्ध नहीं	45	55	201	68 ⁷
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध निधियाँ	उपलब्ध नहीं	9356	2413	34465	14344 ⁷
Hkx 3 jktdk'kh; fLFkr l d r d					
I l d k/ku l xg.k					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.13	8.84	8.47	7.72	7.20
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	2.17	2.45	1.94	1.77	2.04
केन्द्रीय अंतरण ⁸ /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	9.38	9.22	9.09	7.93	8.21
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पादकता (प्रतिशत)	1.05	0.80	0.93	0.78	1.89

6 वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिये सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।

7 वित्त लेखे 2014-15 एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

8 केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
II 0; ; iC/ku					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	21.84	25.40	22.12	19.73	21.02
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	110.94	123.81	113.48	113.22	120.47
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	78.24	67.98	78.79	81.47	77.14
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	25.81	21.16	22.47	24.24	21.18
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	33.14	28.43	32.69	34.67	31.98
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	35.93	46.28	39.75	35.79	42.88
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	15.30	11.68	14.47	12.61	11.12
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	14.99	11.47	14.22	12.37	10.88
III jktDk'skh; vl rgyu dk iC/ku					
राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	+2.60	+3.25	+2.06	+1.35	+1.23
राजकोषीय घाटा(-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.00	-1.89	-2.61	-2.27	-2.23
प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.08	-0.15	-1.06	-0.80	-0.84
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.17	15.21	15.42	14.08	14.82
IV jktDk'skh; ns rkvka dk iC/ku					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	28.67	26.79	24.96	22.27	21.40
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	145.61	130.59	128.03	127.82	122.62
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(+8333)	(+10390)	(+4632)	(+9412)	(+5382)
ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	0.87	0.95	0.86	0.98	0.87
v vl; jktDk'skh; l d r d					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत)	32.20 (0.26)	37.98 (0.29)	18.38 (0.13)	378.72 (2.48)	80.35 (0.49)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	12313	18112	14101	17069	19616
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.82	0.72	0.67	0.63	0.62

dk'sBd ea fn; s x; s vka dMs i R; cl mi 'kh'kz ds ; kska dks rgyuok ea ifr'krk %i wkked e%h i nE'kr djrs gA

ifj'k"V 1-4 , oa 1-5 grq 0; k[; kRed fVli f.k; ka

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण ifj'k"V 1-5 में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए हैं। उच्चतम तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए बैंक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- मार्च 2015 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 199.32 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 139.73 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 59.59 करोड़ (नामे) का अन्तर था। जून 2015 के लेखाओं के बन्द होने के उपरांत ₹ 87.37 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने 2004-05 से वर्तमान तक राजस्व आधिक्य बनाए रखा है।

i jf'k"V 1-5
Hkx&d
o"l 2014&15 grq i kflr; ka , oa l forj .kka dk l kj
¼ anHk% d fMdk 1-1-1; i "B 2½

¼ djkm+e½

i kflr; ka			l forj .k					
2013-14		2014-15	2013-14		2014-15			
; ksx		; ksx	; ksx		vk; kstu½kj	vk; kst uk	; ksx	
Hkx&d% jktLo								
75749.24	I.	jktLo i kflr; ka	88640.78	69869.76	jktLo 0; ;	55858.26	26514.56	82372.82
33552.16		-कर राजस्व	36567.12	20590.93	l kekl; l ok, a	22218.41	146.70	22365.11
				27768.21	l kekt d l ok, a	17319.12	14748.03	32067.15
7704.99		-करेत्तर राजस्व	10375.23	13697.13	-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	11048.27	5174.06	16222.33
				3283.60	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2464.02	2057.32	4521.34
22715.27		-संघ करों में राज्य का भाग	24106.99	2841.45	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	714.96	2562.14	3277.10
3540.25		-आयोजनेत्तर अनुदान	4425.31	175.50	-सूचना एवं प्रसारण	146.39	7.74	154.13
				2415.98	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	418.10	1796.02	2214.12
5535.77		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	9010.60	221.63	-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	187.29	143.37	330.66
				5018.15	-समाज कल्याण एवं पोषण	2219.63	3007.38	5227.01
2700.80		-केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	4155.53	114.77	-अन्य	120.46	-	120.46
				16971.33	vk½k d l ok, a	12608.07	11107.05	23715.12
				6213.95	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	4316.09	3974.49	8290.58
				3405.56	-ग्रामीण विकास	1234.42	5382.70	6617.12

₹ djkm+e

ikflr; ka			l forj .k					
2013-14		2014-15	2013-14		2014-15			
; ksc		; ksc	; ksc		vk; kst urj	vk; kst uk	; ksc	
			782.97	-सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	590.64	254.56	845.20	
			3340.47	-ऊर्जा	4696.78	408.97	5105.75	
			1469.31	-उद्योग एवं खनिज	396.36	890.13	1286.49	
			1412.21	-परिवहन	1288.35	-	1288.35	
			120.61	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.02	100.07	106.09	
			226.25	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	79.41	96.13	175.54	
			4539.29	l gk; rk vupku , oa vdknku	3712.66	512.78	4225.44	
	II.	Hkkx [k ea vxaur jktLo ?kkvk	5879.48	Hkkx [k ea vxaur jktLo vkf/kD;			6267.96	
75749.24		; ksc	88640.78				88640.78	
Hkkx& [k% vU;								
7074.81	III	i kjfEHkd udn 'k'k LFkbbZ vfxæka rFkk jkdM+ 'k'k fuos'k l fgr	4477.03	--Hkkjrh; fjt ol cfd l s i kjfEHkd vf/kfod"lz				
35.98	IV	fofo/k i wthxr i kflr; ka	27.73	10812.52 i wthxr i fj0; ;	56.63	11821.05	11877.68	
			196.31	l kekl; l ok, a	15.22	241.95	257.16	
			1899.30	l kekf'td l ok, a	0.68	2069.63	2070.31	
			131.60	-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	-	321.91	321.91	
			166.01	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.39	240.09	240.48	
			925.13	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	-	1090.44	1090.44	
			--	-सूचना एवं प्रसारण	-	-	-	
			343.38	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	295.36	295.36	
			327.99	-समाज कल्याण एवं पोषण	0.29	100.70	100.99	
			5.19	-अन्य सामाजिक सेवाएं	-	21.13	21.13	

i kfllr; ka			l forj .k					
2013-14		2014-15	2013-14	2014-15				
; ksx		; ksx	; ksx	vk; kst u'kj	vk; kst uk	; ksx		
			8716.91	vkMfkd l ok, a	40.72	9509.47	9550.19	
			186.52	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	25.00	146.40	171.40	
			702.69	-ग्रामीण विकास	0.67	1248.22	1248.89	
			4537.31	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.03	4127.13	4127.16	
			631.64	-ऊर्जा	1.27	909.12	910.39	
			194.92	-उद्योग एवं खनिज	7.75	128.73	136.48	
			2382.55	-परिवहन	-	2874.78	2874.78	
			22.65	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	-	20.88	20.88	
			58.63	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.00	54.21	60.21	
93.22	V	dtlrFkk vfxeka dh ol f' y; k;	6765.05	5077.52	l forjlr dtlrFkk vfxe	10639.39	1895.22	12534.61
				4351.36	-बिजली परियोजनाओं के लिए			11839.75
				304.19	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिये			392.41
				348.00	उद्योग तथा खनिज के लिये			292.16
0.13		-सरकारी कर्मचारियों से	0.06	0.07	-सरकारी कर्मचारियों को			-
93.09		-अन्यों से	6764.99	73.90	-अन्यों को			10.29
2.44	VI	v/lrj kT; h; i fj' kks/ku	0.91	2.36	v/lrj kT; h; i fj' kks/ku	--	--	0.98
5879.48	VII	v/kkuhr jktLo vkf/kD;	6267.96	--	v/kkuhr jktLo ?kkVk	--	--	--
9540.82	VIII	ykcd __.k i kfllr; ka	15068.71	4004.65	ykcd __.k dk i p'kkxrk	--	--	4920.52
8328.38		-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	13696.48	3242.63	-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	--	--	4083.90
		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन			अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन			
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन						

i kfir; ka			l forj .k				
2013-14		2014-15	2013-14		2014-15		
; kx		; kx	; kx		vk; kst us'kj	vk; kst uk	; kx
1212.44	-केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1372.23	762.02	-केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान			836.62
	IX vkdfLed fuf/k dks fofu; kx	300.00	fujd	vkdfLed fuf/k dks fofu; kx			300.00
	X vkdfLed fuf/k dks varfjr jkf'k	fujd	fujd	vkdfLed fuf/k l s 0; ;			1.08
94811.32	XI ykd ys[kk i kfir; ka	110294.74	93063.99	ykd ys[kk 0; ;			108165.30
2784.03	-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	3143.44	1836.27	-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां			2181.13
1612.01	-आरक्षित निधियां	1171.96	640.74	-आरक्षित निधियां			1028.17
64444.26	-उचंत तथा विविध	76098.86	64412.85	-उचंत तथा विविध			75636.93
15602.17	-प्रेषण	13531.91	15316.54	-प्रेषण			13588.93
10368.85	-जमा एवं अग्रिम	16348.57	10857.59	-जमा एवं अग्रिम			15730.14
	-- XII Hkkjrh; fj tol c'd l s v're vf/kod"kl		4477.03	o"kl ds v'lr ea jkdM+ 'k'k			5401.96
				-खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
			173.22	-रिजर्व बैंक में जमा			199.32 ⁹
			3.40	-स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			7.86
			4300.41	-रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश			5194.78
193187.31	; kx	143202.13	193187.31	; kx			143202.13

⁹ मार्च 2015 के लेखाओं के बंद होने पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 199.32 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 139.73 करोड़ (जमा) के मध्य आकड़ों में ₹ 59.59 करोड़ (नामे) का अंतर था। जून 2015 के लेखाओं के बंद होने के उपरान्त ₹ 87.37 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर मिलान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

i f j f ' k " V 1-5 ¼ ek l r ½
H k k x & [k
31 ek p l 2015 d k s e / ; i n s ' k l j d k j d h l k j k d k h — r f o Y k h ; f L F k r
(l n H k % d f M d k 1-9-1 ; i " B 34)

¼ d j k M + e #

31-03-2014 dh fLFkfr e#	n s r k , a	31-03-2015 dh fLFkfr e#
59395.09	vkUrfj d __.k&	69007.68
34978.40	ब्याज वाले बाजार कर्ज	43149.52
0.39	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.39
83.61	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	73.00
6256.85	अन्य संस्थाओं से कर्ज	6525.16
18075.84	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	19259.61
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
12718.23	d l n h ; l j d k j l s d t l r f k k v f x e &	13253.83
1.88	1984-85 से पूर्व के कर्ज	1.88
46.49	आयोजनेत्तर कर्ज	42.82
12669.86	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	13209.13
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केंद्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
200.00	vk d f L e d r k f u f / k	500.00
11698.46	v Y i c p r j H k f o " ; f u f / k ; k a v k f n	12659.14
7160.15	tek	7771.83
6255.19	vk j f { k r f u f / k ; k a	6398.98
119.87	m p l r r f k k f o f o / k ' k s ' k	583.65
1366.27	i s ' k . k ' k s ' k	1309.25
98913.26	; k s x	111484.36
	i f j l E i f Y k ; k a	
99229.20	L F k k b z i f j l E i f Y k ; k a i j l d y i u t h x r i f j 0 ; ; &	110345.99
15275.10	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	16104.05
83954.10	अन्य पूंजीगत परिव्यय	94241.94
32072.34	d t l r f k k v f x e	37841.90
26268.48	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	31414.55
5775.05	अन्य विकास कर्ज	6398.61
28.81	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	28.74
11.61	v f x e	4.86

31-03-2014 dh fLFkfr ea	ns rk, a	31-03-2015 dh fLFkfr ea
	i \$k.k 'k\$'k	
4477.03	jksdM&	5401.96
--	dk\$kkky; ka ea udn rFkk LFkkuh; i \$k.k	--
173.22 ¹⁰	रिजर्व बैंक में जमा	199.32
3.40	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	7.86
3899.14	रोकड़ शेष निवेश	4971.31
401.27	आरक्षित निधि निवेश	403.47
-36876.92	l jdkjh ys[kkvka ea ?kkVk&	-42110.35
-5879.48	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटा कर	-6267.96
-0.07	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.07
0.65	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	1.86
-304.82	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	731.52
--	(घ) आकस्मिकता निधि (निवल)	301.08
-30693.20	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-36876.92
91934.86	; ksx	111484.36

10

मार्च 2015 के लेखाओं के बंद होने पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 199.32 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 139.73 करोड़ (जमा) के मध्य आकड़ों में ₹ 59.59 करोड़ (नामे) का अंतर था। जून 2015 के लेखाओं के बंद होने के उपरान्त ₹ 87.37 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर मिलान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

i jf'k"V 1-6
Js kh&1 , oa Js kh&2 ds var'xr cprka dk fooj .k
¼ anHk% dfrMdk 1-1-4; i "B 7½

¼ djkm+e½

I -Ø-	; kst ukvka dk uke , oa l a ; k	dy i ko/kku	dy 0; ;	cpr	i ko/kku ds l kFk cprka dh i fr'krk
Js kh&1					
1	6740-बेटी बचाओ अभियान	6.00	3.54	2.46	41.00
2	5063-घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र ऊषा किरण	3.96	1.94	2.02	51.01
3	3457-महिला कल्याण कोष के अन्तर्गत योजनाएं	2.00	0.37	1.63	81.50
4	5067-लाडली लक्ष्मी योजना	778.63	6.87	771.76	99.11
5	9132-निराश्रित महिला गृह, सिलाई केन्द्र तथा महिलाओं के लिये संस्था	4.09	2.10	1.99	48.65
6	5643-आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	290.34	268.62	21.72	7.48
7	6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना	150.00	134.99	15.01	10.00
8	6917-इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना	31.22	28.51	2.71	8.68
Js kh&2					
1	6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	48.46	20.17	28.29	58.38
2	5508-महिला बाल विकास के भवनों का रखरखाव	2.00	0.09	1.37	95.50
3	6647-महिला सशक्तिकरण संचालनालय की स्थापना	15.84	11.17	4.67	29.48
4	5094-मंगल दिवस	19.91	15.73	4.18	21.00
5	5360-आंगनवाडी केन्द्रों का भवन निर्माण	200.00	80.44	119.56	59.78
6	6442-अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन	7.45	2.04	5.41	72.62
7	1291-आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर के सुधार की परियोजना	37.12	7.54	29.58	79.69
8	0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	965.51	694.88	270.63	28.03
9	6741-मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)	84.00	25.21	58.79	69.98
10	7046-नाबार्ड अन्तर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनवाडी भवनों का निर्माण	50.00	7.00	43.00	86.00
11	9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार कार्यक्रम (आयोजना)	1150.14	971.27	178.87	15.55
12	9041-संचालनालय महिला एवं बाल विकास	8.12	6.44	1.68	20.69

¼ =kr% l a /r foHkx jkjk nh xbl tiudkj½

i jf'k"V 1-7
2010&15 ds nkjku rjgoa foUk vk; kx ds vupnkuka dk vf/kdre mi ; kx
₹ , d djkm+; k ml l s vf/kd½
¼ nHk% dfMdk 1-3-4; i" B 16½

ed; 'kh"z , oa ukedj .k	ctV ea dy i ko/kku	fLFkr				viz Or jkf'k dk ifr'kr
		l eiZk(-) i qofofu; kst u	0; ;	cpr(-) vkf/kD; (+)	dy viz Or jkf'k	
1	2	3	4	5	6=3+5	7
jktLo ys[kk						
2014-105-6269 न्याय व्यवस्था में सुधार	559.02	-261.69	160.64	-136.69	398.38	71.26
2029-800-5193 आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.00	-5.00	0.00	0.00	5.00	100.00
2055-101-6269 न्याय व्यवस्था में सुधार	7.37	0	2.31	-5.06	5.06	68.66
2055-109-6463 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन	22.12	2.44	23.93	-0.63	-	-
2202-101-8810 सर्व शिक्षा अभियान	2216.00	0.00	1893.80	-322.20	322.20	14.54
2205-800-6464 स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास आदि कार्य	280.26	0.00	159.02	-121.24	121.24	43.26
2235-800-6370 तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण	13.00	0.00	0.00	-13.00	13.00	100.00
2245-102,800-6370 तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण	22.00	-2.00	10.00	-10.00	12.00	54.55
2406-101-6898 वानिकी अनुरक्षण एवं विकास	110.38	-19.78	97.95	7.35	12.43	11.26
3054-800-6446 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशांसा सड़क एवं पुल अनुरक्षण	209.79	0.00	209.79	0.00	0.00	0.00
3451-101-6267 जिला नवाचार कोष	59.00	-25.00	9.00	-25.00	50.00	84.75
3454-001,206-6268 यू.आई.डी.ए. के लिये प्रोत्साहन	169.97	-149.22	1.00	-19.75	168.97	99.41
itHxr ys[kk						
4055-210-6463 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन	186.73	-38.87	145.20	-2.66	41.53	22.24
4210-110-6453 स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	298.00	-80.16	180.69	-37.15	117.31	39.37
4210-15-6457 महाराजा तुकोजीराव अस्पताल, इन्दौर का उन्नयन	27.50	0.00	14.01	-13.49	13.49	49.05
4210-105-6458 चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी लैब की स्थापना	30.00	0.00	16.20	-13.80	13.80	46.00
4235-102-5360 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	600.00	-322.24	276.87	-0.89	323.13	53.86
5452-190-6558 एम.आई.सी.ई. सुविधाओं का विकास	15.00	-10.00	5.00	0.00	10.00	66.67

क्र.सं.; 'क' को, आंकड़ों का	वित्त वर्ष की शुरुआत से	वर्ष के दौरान				वित्त वर्ष की समाप्ति तक
		अनुदान (-)/ प्रतिफल (+)	0; ;	प्रतिफल (-) वर्ष/वर्ष; (+)	वित्त वर्ष की समाप्ति तक	
1	2	3	4	5	6=3+5	7
5452-190-6559 प्रदेश में बुद्धिष्ठ परिपथ का निर्माण	4.00	-3.00	1.00	0.00	3.00	75.00
5452-190-6560 धार्मिक पर्यटन का विकास	32.00	-8.00	13.00	-11.00	19.00	59.38
5452-190-6561 जैन परिपथ का विकास	12.00	0.00	10.00	-2.00	2.00	16.67
5452-190-6563 हैरिटेज पर्यटन का विकास	11.00	-4.00	7.00	0.00	4.00	36.36
5452-190-6565 ईको एवं एडवेंचर पर्यटन का विकास	62.00	-17.00	32.00	-13.00	30.00	48.39
5452-190-6566 विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन	40.50	-1.50	27.00	-12.00	13.50	33.33
5452-190-6567 पहुंच मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का उन्नयन	29.00	-4.50	20.00	-4.50	9.00	31.03
5452-190-6568 राष्ट्रीय राजमार्ग शहरों में साइनेजेस	6.00	-1.00	4.00	-1.00	2.00	33.33
5452-190-6570 सांख्यिकी प्रकोष्ठ का विकास	1.50	-1.00	0.50	0	1.00	66.67
5452-190-6571 मेला एवं उत्सव	7.50	-2.50	3.50	-1.50	4.00	53.33
5452-190-6573 हवाई सेवाओं का विकास	6.00	-4.00	2.00	0.00	4.00	66.67
5452-190-8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
कुल	5043.64	-958.02	3326.41	-759.21	1717.23	34.05

(L=क्र.सं. / क्र.सं. को, आंकड़ों का वर्ष के दौरान)

i jff' k"V 1-8
d% jkT; I jdkj }kjk uxjh; LFkkuh; fudk; ka dks dk; k& dk gLrkarj .k
(I nHk% dfMdk 1-6-6-1; i "B 26)

I - Ø-	dk; k& ds uke
1.	नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है
2.	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3.	आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
4.	सड़कें और पुल
5.	घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय
6.	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध
7.	अग्निशमन सेवाएं
8.	नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि
9.	समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10.	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11.	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
12.	नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि
14.	शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15.	कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16.	जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है
17.	सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं
18.	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

[k% jkT; I jdkj }kjk ipk; rh jkt I LFkkvka dks dk; k& dk gLrkarj .k

I - Ø-	dk; k& ds uke
1.	कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है
2.	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-आच्छादन विकास
4.	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट-पालन
5.	मत्स्यिकी
6.	सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग
7.	लघु वन उत्पाद
8.	लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है
9.	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग
10.	ग्रामीण आवास
11.	पेयजल
12.	ईंधन एवं चारा
13.	सड़क, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है
15.	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17.	शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी हैं
18.	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा

19.	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20.	पुस्तकालय
21.	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
22.	बाजार एवं मेले
23.	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं
24.	परिवार कल्याण
25.	महिला एवं बाल विकास
26.	समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है
27.	कमजोर वर्गों का कल्याण, और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29.	सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण

i f j f ' k " V 1-9

31 ekpZ 2015 dh fLFkfr ea gkfufu ea pyus okys I kfof/kd fuxeke@I jdkjh dEi fu; ka dh foYkh; fLFkfr] v | ru o"Kz ftI ds fy; s ys[kkvka dks vflure : i fn; k x; k Fkk (I anHk% d fMdk 1-8-1; i "B 31)

k d j k M + e h

I - Ø	dEi uh@ fuxe ds uke	ftI o"Kz rd ds ys[kk i Lrq fd; s x; s Fks	o"Kz ds vlr ea fuof'kr jkf'k % nYk i nth½				o"Kz ds vlr ea 31 ekpZ dks I fpr gkfufu %&½	{ks=
			jkT;	dlnz	vU;	; ksx		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर	2013-14	0.00	0.00	1.75	1.75	0.57	वित्त
2	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2012-13	81.09	0.00	0.00	81.09	583.37	वित्त
3	पीथमपुर आटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	12.12	12.12	7.41	निर्माण
4	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	2012-13	21.91	0.00	0.00	21.91	6.91	निर्माण
5	क्रिस्टल आई.टी. पार्क लिमिटेड, इन्दौर	2013-14	0.00	0.00	0.05	0.05	0.07	निर्माण
6	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	1.00	1.00	0.47	निर्माण
7	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	1.00	1.00	0.33	निर्माण
8	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	1.00	1.00	0.85	निर्माण
9	मध्य प्रदेश ए.एम. आर.एल. (मरकी बारका) कोल कंपनी लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	1.00	1.00	0.43	निर्माण
10	मध्य प्रदेश जे.पी. कोल लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	10.00	10.00	0.01	निर्माण
11	मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	2.00	2.00	0.36	निर्माण
12	मध्य प्रदेश जे.पी. मिनरल्स लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	61.22	61.22	1.34	निर्माण
13	मध्य प्रदेश जे.पी. कोल क्षेत्र लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	10.00	10.00	0.40	निर्माण

1 - Ø-	dEi uh@ fuxe ds uke	ftl o"kl rd ds yskk iLrq fd; s x; s Fks	o"kl ds vlr ea fuof' kr jkf' k %i nYk i wth½				o"kl ds vlr ea 31 epl dks l fpr gkfu %&½	{ks=
			j kT;	dlnz	vll;	; ksx		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14	मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	33.30	33.30	0.71	निर्माण
15	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	1598.08	1598.08	8824.44	ऊर्जा
16	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	1945.38	1945.38	7733.55	ऊर्जा
17	मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2375.64	0.00	0.00	2375.64	149.52	ऊर्जा
18	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	1841.73	1841.73	8673.05	ऊर्जा
19	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2013-14	4780.55	0.00	185.00	4965.55	2002.75	ऊर्जा
20	बाणसागर ताप विद्युत परियोजना लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	0.05	0.05	1.83	ऊर्जा
21	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	24.97	0.00	0.00	24.97	3.37	सेवा
22	मध्य प्रदेश विक्रमादित्य नॉलेज सिटी (उज्जैन) लिमिटेड	2013-14	0.00	0.00	1.00	1.00	0.63	सेवा
23	मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम	2007-08	109.96	31.85	-	141.81	1024.52	सेवा
24	मध्य प्रदेश वित्त निगम, इन्दौर	2013-14	343.70	0.00	22.44	366.14	220.64	सामान्य
25	भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, भोपाल	2009-10	-	-	0.30	0.30	0.05	सेवा
26	कटनी सिटी परिवहन सेवाएँ लिमिटेड, कटनी	2010-11	-	-	0.15	0.15	0.02	सेवा
27	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल	2013-14	25.00	-	-	25.00	1.82	सेवा
	; ksx		7762.82	31.85	5728.57	13523.24	29268.72	

i f j f' k"V 1-10
 tu 2015 rd fofHkUuk {ks=ka ds varxir I kozfud futh
 I kOknkjh i f j ; kstukvka dh fLFkfr
 ¼ anHk% d fMdk 1-8-2; i "B 32½

(₹ djkM+e)

I - Ø-	{ks=	dgy i f j ; kstuk, a		; kstuk@ i kbZ ykbu ds varxir		fufonk i f Ø; k ds varxir		ykwgkus@fuekZ k ds varxir		i wkZ i f j ; kstuk, a	
		l d; k	ykxr	l d; k	ykxr	l d; k	ykxr	l d; k	ykxr	l d; k	ykxr
1	पशुपालन	2	93.14	2	93.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी	1	130.00	1	130.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7	1082.18	4	786.08	1	78.52	2	217.58	0	0.00
4	ऊर्जा	4	552.72	0	0.00	0	0.00	1	170.00	3	382.72
5	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	1	138.50	0	0.00
6	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	349.92	1	100.00	1	249.92	0	0.00	0	0.00
7	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
8	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	3	334.69	1	223.19	2	111.50	0	0.00	0	0.00
9	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00
10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
11	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	5	1185.13	5	1185.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	लोक निर्माण कार्य	139	20693.20	21	5408.27	7	1079.76	78	9109.66	33	5095.51
13	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	2	99.93	2	99.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
15	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0.00	2	155.00	0	0.00
16	पर्यटन	3	35.00	1	15.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00
17	परिवहन	1	1094.00	0	0.00	0	0.00	1	1094.00	0	0.00
18	नगरीय प्रशासन एवं विकास	28	1436.76	17	983.25	2	24.90	4	145.83	5	282.78
	; ks	210	28767.15	58	9375.29	16	1614.60	91	11946.25	45	5831.01

ifj'k"V 2-1

fofHkUk vupnku@fofu; ksxka ftuea cpra ₹ 10 djkm+ l s vf/kd vksj dgy i ko/kku dk 20
i fr'kr l s Hkh vf/kd Fkhj dk foj.k i =
¼ anHk% d fMdk 2-3-1(i" B 49½

₹ djkm+ e#

1 - Ø-	vupnku l d; k	vupnku@fofu; ksx dk uke	dgy vupnku@fofu; ksx	cpra	i fr'kr
1	2	3	4	5	6
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	9177.00	4256.48	46.38
2	01	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन (राजस्व दत्तमत)	602.18	193.15	32.07
3	01	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन (पूँजीगत दत्तमत)	61.87	38.40	62.06
4	01	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन (राजस्व प्रभारित)	43.81	13.69	31.25
5	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	43.91	22.42	51.06
6	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	14.78	12.40	83.90
7	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	470.80	141.27	30.01
8	07	वाणिज्यिक कर (राजस्व दत्तमत)	2545.27	1046.40	41.11
9	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	1253.24	352.06	28.09
10	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	21.60	11.91	55.14
11	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	67.12	21.08	31.41
12	10	वन (पूँजीगत दत्तमत)	80.00	25.49	31.86
13	12	ऊर्जा (राजस्व प्रभारित)	365.23	297.03	81.33
14	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	2463.18	518.65	21.06
15	14	पशुपालन (राजस्व दत्तमत)	711.69	154.39	21.69
16	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	1751.13	549.50	31.38
17	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	31.65	28.35	89.57
18	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	74.34	26.88	36.16
19	17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	916.67	710.13	77.47
20	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व दत्तमत)	4015.85	871.16	21.69
21	25	खनिज साधन (राजस्व दत्तमत)	38.29	12.35	32.25
22	25	खनिज साधन (राजस्व प्रभारित)	648.34	648.34	100.00
23	26	संस्कृति (राजस्व दत्तमत)	187.73	41.19	21.94
24	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	116.46	24.97	21.44
25	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	1272.32	564.12	44.34
26	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	94.45	21.71	22.99
27	30	ग्रामीण विकास (राजस्व दत्तमत)	716.21	277.34	38.72

1	2	3	4	5	6
28	30	ग्रामीण विकास (पूँजीगत दत्तमत)	1471.55	871.15	59.20
29	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	267.37	195.23	73.02
30	32	जनसंपर्क (राजस्व दत्तमत)	244.68	55.52	22.69
31	33	आदिम जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	1673.75	362.38	21.65
32	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	226.08	95.39	42.19
33	36	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	128.04	71.61	55.93
34	36	परिवहन (पूँजीगत दत्तमत)	21.25	14.29	67.25
35	37	पर्यटन (राजस्व दत्तमत)	81.06	17.34	21.39
36	37	पर्यटन (पूँजीगत दत्तमत)	133.00	72.95	54.85
37	38	आयुष (राजस्व दत्तमत)	460.56	234.29	50.87
38	38	आयुष (पूँजीगत दत्तमत)	20.35	11.18	54.94
39	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट (पूँजीगत दत्तमत)	135.82	42.36	31.19
40	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	5649.44	1912.84	33.86
41	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)	2870.98	1208.34	42.09
42	43	खेल और युवक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	85.43	40.25	47.11
43	44	उच्च शिक्षा (पूँजीगत दत्तमत)	40.01	18.51	46.26
44	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	84.52	25.13	29.73
45	48	नर्मदा घाटी विकास (पूँजीगत दत्तमत)	1252.76	464.61	37.09
46	49	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	95.33	27.54	28.89
47	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	421.38	140.02	33.23
48	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	3230.73	794.52	24.59
49	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	265.50	115.24	43.40
50	55	महिला एवं बाल विकास (राजस्व दत्तमत)	2350.00	902.20	38.39
51	55	महिला एवं बाल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	356.57	282.39	79.20
52	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय (राजस्व दत्तमत)	4155.20	1055.76	25.41
53	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	218.87	51.44	23.50
54	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	143.56	113.16	78.82

1	2	3	4	5	6
55	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	369.21	120.56	32.65
56	62	पंचायत (राजस्व दत्तमत)	171.17	38.04	22.22
57	63	अल्पसंख्यक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	68.40	43.28	63.27
58	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	3742.19	1388.74	37.11
59	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)	2314.05	785.04	33.92
60	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण (राजस्व दत्तमत)	763.69	249.51	32.67
61	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (राजस्व दत्तमत)	526.18	123.41	23.45
62	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूँजीगत दत्तमत)	187.75	75.72	40.33
63	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	46.01	22.27	48.40
64	69	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व दत्तमत)	148.70	67.94	45.69
65	69	सूचना प्रौद्योगिकी (पूँजीगत दत्तमत)	34.40	16.09	46.77
66	73	चिकित्सा शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	550.82	128.20	23.27
67	73	चिकित्सा शिक्षा (पूँजीगत दत्तमत)	59.56	25.99	43.64
68	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	13718.31	4279.95	31.20
69	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	5815.62	1260.65	21.68
70	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	25.00	19.81	79.24
71	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	64.53	55.12	85.42
72	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	2384.36	765.80	32.12
; kx			84858.86	29542.62	34.81

U=kr% fofu; kx yqkz

i f j f ' k " V 2-2 ½ d ½
 r k f y d k 2-2 e a f n , x , v u n k u k a @ f o f u ; k s x k a l s l a c f / k r ; k s t u k v k a d s i d j . k f t u e a
 l k j H k i r c p r a ½ i R ; d i d j . k e a ₹ 20 d j k M + l s v f / k d ½ g p l
 ¼ l a n H k ½ d f M d k 2-3-1(i " B 50%

₹ d j k M + e ½

1-Ø	l a c f / k r ' k h " k z	; k s t u k d k u k e	c p r a	c p r k a d s d k j . k
1	2	3	4	5
½ j k t l o n y k e r ½				
01 & l k e k U ; i z k k l u , o a y k d l o k i z a k u				
1	2015-निर्वाचन	स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	46.95	बचत मितव्ययता एवं आहरण पर प्रतिबन्ध होने से देयकों के भुगतान न होने के कारण हुई।
2	2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	सचिवालय	21.49	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
07 & o k f . k f T ; d d j				
3	2030-स्टाम्प पंजीकरण	मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	150.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
4	2030-स्टाम्प पंजीकरण	मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये अतिरिक्त शुल्क का मध्य प्रदेश पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरण	410.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
5	2039-राज्य उत्पाद शुल्क	अधीक्षण	270.69	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
6	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	जिला स्थापना	55.23	बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध पद रिक्त होने के कारण हुई।
08 & H k i j k t l o r f k k f t y k i z k k l u				
7	2029 & भू-राजस्व	भू-प्रबंधन	34.26	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
8	2029 & भू-राजस्व	जिला खर्च	102.60	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
9	2053-जिला प्रशासन	जिला स्थापना	73.21	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
10	2053-जिला प्रशासन	उपसंभागीय स्थापना	39.50	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
13 & f d l k u d Y ; k . k r f k k - f " k f o d k l				
11	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	186.58	बचत मुख्यतः भारत सरकार से प्रावधान के अनुरूप रिलीज राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
12	2401-फसल कृषि-कर्म	कृषकों को कृषि यंत्रों/सिंचाई यंत्रों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान	31.08	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
13	2401-फसल कृषि-कर्म	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान	49.67	बचत मुख्यतः भारत सरकार से रिलीज राशि कम प्राप्त एवं रिलीज प्राप्त न होने के कारण हुई।
14	2401-फसल कृषि-कर्म	सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	31.25	बचत अंशतः भारत सरकार से प्रावधान के अनुरूप रिलीज राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
15	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	36.26	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
14 & i ' k i k y u				
16	2403-पशुपालन	पशु चिकित्सालय	34.26	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
17	2403-पशुपालन	गहन पशु विकास परियोजना	26.04	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

1	2	3	4	5
18	2403-पशुपालन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	25.01	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
15&vud fpr tkfr mi ; kstuk vxr r f=Lrjh; i pk; rh jkt l l Fkkvka dks foYkh; l gk; rk				
19	2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	बैकवर्ड रिजन ग्रान्ड फण्ड योजना	58.71	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
20	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	अन्य छात्रवृत्तियां	79.08	बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।
21	2215-जल पूर्ति तथा सफाई	निर्मल भारत अभियान	123.80	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि एवं प्रथम त्रैमास में राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
22	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	96.93	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने एवं प्रथम त्रैमास में कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई।
17&l gdkfjrk				
23	2425-सहकारिता	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	677.50	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
19&ykd LokLF; , oa i f j ok j dY; k.k				
24	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	229.72	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
25	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	140.53	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
26	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	81.45	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
27	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	शीत ज्वर	85.05	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
28	2211-परिवार कल्याण	अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र	100.72	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
29&fof/k vk\$ fo/kk; h dk; l				
29	2014-न्याय प्रशासन	सामान्य स्थापना	64.41	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
30	2014-न्याय प्रशासन	न्याय व्यवस्था में सुधार (तेरहवां वित्त आयोग)	256.56	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
31	2015-निर्वाचन	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	52.46	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
32	2015-निर्वाचन	संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	105.13	बचत अंशतः संविदा कर्मचारियों से संबंधित कम व्यय संभावित होने से हुई।
30&xkeh.k fodkl				
33	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	211.43	बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
31&; kstuk] vk\$kd vk\$ l kf [; dh				
34	3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (तेरहवां वित्त आयोग)	31.19	बचत राशि की मांग न होने एवं मितव्ययता के कारण हुई।
35	3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	सांख्यिकी अनुदान	84.45	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
33&vkfne tkfr dY; k.k				
36	2202-सामान्य शिक्षा	प्राथमिक शालाएं	171.02	बचत शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने एवं रिक्त पद नहीं भरे जाने के कारण हुई।
37	2202- सामान्य शिक्षा	उच्चतर माध्यमिक शालाएं	47.14	बचत मुख्यतः प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति होने, रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई।

1	2	3	4	5
38	2202—सामान्य शिक्षा	माध्यमिक शालाएं	77.13	बचत मुख्यतः प्राचार्यों, व्याख्याताओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति होने, रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई।
38&vk; #k				
39	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	160.40	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
41&vkfnokl h {ks= mi ; kstuk				
40	2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी	ग्रामीणों के पुर्नवास हेतु मुआवजा	39.40	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
41	2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी	वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास	34.50	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
42	2401—फसल कृषि—कर्म	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	88.19	बचत मुख्यतः भारत सरकार से प्रावधान के अनुरूप रिलीज राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
43	2425—सहकारिता	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	40.50	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
44	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	44.24	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
45	2202—सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	64.20	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
46	2202—सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	130.48	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
47	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	61.88	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
48	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	छात्रवृत्तियां/वृत्तियां	114.81	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
49	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	120.16	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
50	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	विशेष पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का विकास	54.32	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
51	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	46.84	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
52	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	लाडली लक्ष्मी योजना	154.94	बचत योजना में निधि के उपयोग के नियमों का निर्धारण न होने के कारण हुई।
53	2236—पोषण	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	66.14	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
54	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	49.37	बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
50&m kfudh rFkk [kk i7 1dj .k				
55	2401—फसल कृषि—कर्म	राष्ट्रीय स्थाई कृषि मिशन	50.49	बचत योजनांतर्गत केन्द्र से जारी राशि के अनुरूप ही राशि आहरित किये जाने से एवं मार्च के अंत में प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त का कोषालय से प्राप्त न होने के कारण हुई।

1	2	3	4	5
56	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	50.47	बचत योजनांतर्गत केन्द्र से जारी राशि के अनुरूप ही राशि आहरित किये जाने से एवं मार्च के अंत में प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त का कोषालय से प्राप्त न होने के कारण हुई।
52&vknokl h {ks= mi ; kstuk ds vlr xr f=Lrjh; i pk; rh jkt l LFkkvka dks foUkh; l gk; rk				
57	2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	बैकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	68.62	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
58	2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित विशेष अधोसंरचना योजना	51.62	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
59	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	76.20	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
60	2215-जल पूर्ति तथा सफाई	निर्मल भारत अभियान	147.95	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं प्रथम त्रैमास में कम राशि प्राप्त होने से हुई।
61	2216-आवास	इन्दिरा आवास योजना	89.60	बचत भारत सरकार से प्रथम त्रैमास में कम राशि प्राप्त होने से हुई।
62	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	92.37	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं प्रथम त्रैमास में कम राशि प्राप्त होने से हुई।
53&vuq fipr tkfr mi ; kstuk vlr xr uxjh; fudk; ka dks foUkh; l gk; rk				
63	2217-शहरी विकास	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	51.67	बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
55&efgyk , oa cky fodkl				
64	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	169.58	बचत वार्षिक कार्य योजनानुसार राशि का आवश्यकता से अधिक प्रावधान होने, आचार संहिता लागू होने, वित्तीय प्रतिबंध आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण व्यय नहीं होने एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास की अव्ययित राशि को चतुर्थ त्रैमास में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अमान्य किये जाने से हुई।
65	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	लाड़ली लक्ष्मी योजना	492.40	बचत निधि संचालन के नियमों का निर्धारण न होने एवं हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि के भुगतान के संबंध में नवीन प्रणाली लंबित होने से हुई।
66	2236-पोषण	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	77.53	बचत आचार संहिता लागू होने, वित्तीय प्रतिबंध के कारण व्यय नहीं होने एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास की अव्ययित राशि को चतुर्थ त्रैमास में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अमान्य किये जाने, टेक होम राशन के परिवहन के लिए दरें पुनरीक्षित न होने एवं आई.सी.डी.एस. मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य शासन स्तर पर कुल प्रावधान का पन्द्रह प्रतिशत आवंटन नहीं किये जाने से हुई।

1	2	3	4	5
67	2236-पोषण	मल्टी सेक्टर न्यूट्रीशन कार्यक्रम	43.20	बचत भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।
58&ikdfrd vkinvka , oalwkk xlr {k=ka eajgr ij 0 ; ;				
68	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान	530.00	बचत अंशतः सूखे से संबंधित आपदा घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने एवं इन योजनाओं में ओले की आपदा के सापेक्ष निधि की कम आवश्यकता के कारण हुई।
69	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	नगद दान	1130.14	बचत इस योजना में ओले की आपदा के सापेक्ष कम आवश्यकता के कारण हुई।
70	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	पुनः स्थापना के लिए सहायता एवं अन्य कार्य हेतु	69.96	बचत मुख्यतः इस योजना में ओले, बाढ़ की आपदा एवं नवनिर्मित राहत भवन के महत्वपूर्ण आकस्मिक कार्यों के सापेक्ष कम आवश्यकता होने के कारण हुई।
61&cdnsy [k.M i d st l s l af/kr 0 ; ;				
71	2700-मुख्य सिंचाई	अवशेष निपटारा	75.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
64&vud #pr tkfr mi ; kstuk				
72	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा	56.78	बचत मुख्यतः भारत सरकार से प्रावधान के अनुरूप रिलीज राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
73	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	65.67	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
74	2202-सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	56.40	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
75	2202-सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	135.97	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
76	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	53.17	बचत मुख्यतः आचार संहिता लागू होने, वित्तीय प्रतिबंध आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन न होने से व्यय नहीं होने एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास की अव्ययित राशि को चतुर्थ त्रैमास में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अमान्य किये जाने के कारण हुई।
77	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	लाडली लक्ष्मी योजना	124.53	बचत निधि के संचालन हेतु नियमों का निर्धारण न होने से राशि व्यय नहीं होने के कारण हुई।
78	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-0103	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	146.70	बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
79	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-0803	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	53.64	बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
66&fi NMk oxl dY ; k.k				
80	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	201.91	बचत दिनांक 25.03.15 से कोषालय लॉक होने एवं 29.03.15 से राशि ₹ 5.00 लाख से अधिक के देयकों के भुगतान हेतु आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
67&ykd fuekzk dk ; &Hkou				
81	2059-लोक निर्माण कार्य	निष्पादन	47.71	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

1	2	3	4	5
73&fpcdRI k f' k{kk				
82	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय	37.27	बचत अंशतः वास्तविक व्यय से बजट प्रावधान ज्यादा होने के कारण हुई।
83	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	चिकित्सा महाविद्यालय	38.33	बचत अंशतः वास्तविक व्यय से बजट प्रावधान ज्यादा होने के कारण हुई।
74&f=Lrjh; ipk; rh jkt l LFkkvka dks foUkh; l gk; rk				
84	2215-जल पूर्ति तथा सफाई	निर्मल भारत अभियान	412.53	बचत प्रथम त्रैमास में निधि कम प्राप्त होने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
85	2216-आवास	इन्दिरा आवास योजना	176.00	बचत भारत सरकार से प्रथम त्रैमास में कम राशि प्राप्त होने एवं वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
86	2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	126.25	बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं कम निधि प्राप्त होने के कारण हुई।
87	2505-ग्राम रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	935.47	बचत अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
88	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान	677.01	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
89	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	284.76	बचत भारत सरकार से प्रथम त्रैमास में कम राशि प्राप्त होने एवं केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
90	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	262.11	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
91	2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अन्तरण	60.76	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
92	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-197	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	353.67	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
93	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-198	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	89.13	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
94	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	412.86	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
75&uxjh; fudk; ka dks foUkh; l gk; rk				
95	2217-शहरी विकास-191	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	121.55	बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
96	2217-शहरी विकास-191	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य पालन अनुदान	197.46	बचत मुख्यतः भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
97	2217-शहरी विकास-191	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	57.20	बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
98	2217-शहरी विकास	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	244.29	बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
99	2217-शहरी विकास-192	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	86.80	बचत भारत सरकार से राशि एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

1	2	3	4	5
100	2217-शहरी विकास-192	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य पालन अनुदान	141.01	बचत मुख्यतः भारत सरकार से राशि एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
101	2217-शहरी विकास-192	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	124.26	बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने, राशि उपलब्ध न होने एवं भारत सरकार से सभी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होने तथा निगम परिषद को कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।
102	2217-शहरी विकास-193	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान	56.13	बचत भारत सरकार से राशि एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
103	2217-शहरी विकास-193	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य पालन अनुदान	91.18	बचत मुख्यतः भारत सरकार से राशि एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
77&Ldny f'k{kk foHkx l s l cdf/kr vU; 0; ; %i kjfHkd f'k{kk dks NkMaj½				
104	2202-सामान्य शिक्षा	उच्चतर माध्यमिक शालायें	214.55	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
105	2202-सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	414.34	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
%i thxr nYker½				
06&foYk				
106	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
107	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बॉण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
108	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण	49.90	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
30&xkeh.k fodkl				
109	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	752.83	बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति एवं भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
110	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	77.86	बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने, जिलों द्वारा आहरण नहीं किये जाने एवं योजना प्रभारी से मांग प्राप्त न होने के कारण डब्ल्यू.डी.डी.एफ. में उपलब्ध राशि समर्पित किये जाने से हुई।
41&vkfnokl h {ks= mi ; kstuk				
111	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	35.31	बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
112	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	109.00	बचत कुछ टर्न-की कांटेक्टर्स द्वारा कार्य में विलम्ब किये जाने से राशि का पूरा उपयोग न होने के कारण हुई।
113	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	46.00	बचत कुछ टर्न-की कांटेक्टर्स द्वारा कार्य में विलम्ब किये जाने से राशि का पूरा उपयोग न होने के कारण हुई।
114	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	83.68	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
115	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	39.67	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

1	2	3	4	5
116	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	हालोन परियोजना	34.43	बचत अंशतः लोवर गोई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापित परिवारों हेतु तत्काल राशि की आवश्यकता के कारण हुई।
117	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	ए.आई.बी.पी. योजनाएं	67.66	बचत अंशतः कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
118	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	44.86	बचत आई.सी.डी.एस. मिशन अंतर्गत भारत सरकार से भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
119	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	32.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
120	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	263.77	बचत वित्त विभाग से आहरण की स्वीकृति प्राप्त न होने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
48&ueh?kkVh fodkl				
121	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	133.70	बचत अंशतः तकनीकी कारणों से टनल कार्य में लगी मशीन खराब होने से आवश्यक प्रगति नहीं होने के कारण हुई।
122	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	113.39	बचत अंशतः भू-अर्जन में हो रही कठिनाई एवं आंदोलन के कारण निधि का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण हुई।
123	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	ओंकारेश्वर परियोजना	145.37	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
55&efgyk ,oa cky fodkl				
124	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	72.61	बचत 31 मार्च 2015 को राशि जारी होने से अनुपूरक प्रावधान का आहरण नहीं होने से हुई।
125	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	138.60	बचत आचार संहिता लागू होने, वित्तीय प्रतिबंध के कारण व्यय न होने एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास की अव्ययित राशि को चतुर्थ त्रैमास में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अमान्य किये जाने एवं आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित न होने के कारण हुई।
61&ctnsy[k.M i&st lsl cf/kr 0; ;				
126	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	27.90	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
127	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	अवशेष निपटारा	25.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
64&vuq fpr tkfr mi ; kstuk				
128	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	107.42	बचत कुछ ठेकों में टर्न-की ठेकेदारों द्वारा कार्य में देरी करने से निधियां अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।
129	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	47.09	बचत विभिन्न ठेकों में टर्न-की ठेकेदारों द्वारा कार्य में देरी करने से निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण हुई।
130	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	70.79	बचत अंशतः योजनाओं के लिए प्रस्तावित कार्यों की निविदा दरें प्राप्त न होने के कारण हुई।
131	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	41.64	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
132	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	187.27	बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

1	2	3	4	5
12&Ätkl				
133	2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण	297.03	बचत वित्त विभाग से निधियों का अंतरण न होने के कारण हुई।
25&[kfut k/ku				
134	2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण	248.29	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
135	2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण	400.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
¼i wthxr i Hkkfjr½				
ykð .k				
136	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्जे	166.38	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
137	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।
138	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	कर्मियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2015)।

¼ =kr% fofu; ksx ys½k½

i f j f ' k " V 2-2 ¼ [k ½
 v u n k u @ f o f u ; k s x k a d s v r x r f o f H k U U k ; k s t u k , a f t u e a i R ; d e a 0 ; ; ₹ 10 d j k M + l s
 v f / k d v k j d y i k o / k k u d s 20 i f r ' k r l s v f / k d F k j d k f o o j . k i =
 ¼ a n H k ½ d f M d k 2-3-3(i " B 51 ½

(₹ d j k M + e a)

1 - Ø-	v u n k u @ f o f u ; k s x d h l a [; k r F k k u k e	v u n k u @ f o f u ; k s x d s v r x r ; k s t u k d k u k e	d y i k o / k k u ½ e n y + i j d ½	0 ; ;	v k f / k D ;	v k f / k D ; 0 ; ; d k i f r ' k r
1	2	3	4	5	6	7
1	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5851-7.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	61.95	212.27	150.32	242.65
2	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7245-8.92 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2022	89.20	270.50	181.30	203.25
3	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7416-9.53 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	95.30	236.20	140.90	147.85
4	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7581-8.98 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	15.72	219.03	203.31	1293.32
5	पी.डी.-लोक ऋण	6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	185.00	266.67	81.67	44.15
6	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	4.00	28.46	24.46	611.50
7	06-वित्त	2071-01-101-9998-मध्य प्रदेश	383.00	513.56	130.56	34.09
8	06-वित्त	2071-01-102-9998-मध्य प्रदेश	6.00	18.06	12.06	201.00
9	06-वित्त	2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश	168.00	461.46	293.46	174.68
10	06-वित्त	2071-01-105-9998-मध्य प्रदेश	98.80	133.82	35.02	35.45
11	06-वित्त	2071-01-115-9998-मध्य प्रदेश	97.00	154.71	57.71	59.49
12	06-वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	75.00	239.40	164.40	219.20
13	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	79.50	106.86	27.36	34.42
14	12-ऊर्जा	6801-190-7632-विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एकत्रित विद्युत शुल्क तथा उपकर की राशि का सतत ऋण में परिवर्तन वर्ष 2016-17 तक	सांकेतिक	1346.81	1346.81	100
15	12-ऊर्जा	6801-190-7633-ट्रेडिंग कंपनी की विद्युत परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन वर्ष 2016-17 तक	सांकेतिक	339.99	339.99	100
16	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-8132-एड्स रोगों की रोकथाम	30.00	43.62	13.62	45.40
17	23-जल संसाधन	2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3300-मण्डल स्थापना	37.00	82.91	45.91	124.08
18	23-जल संसाधन	4700-22-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	24.63	37.84	13.21	53.63

1	2	3	4	5	6	7
19	23-जल संसाधन	4700-26-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	82.71	99.59	16.88	20.41
20	23-जल संसाधन	4701-69-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	10.00	24.18	14.18	141.80
21	23-जल संसाधन	4701-78-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	10.00	31.00	21.00	210.00
22	23-जल संसाधन	4701-80-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 6598-दतुनी मध्यम सिंचाई योजना	60.00	87.69	27.69	46.15
23	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-04-337-4557-सुदृढीकरण	30.00	47.04	17.04	56.80
24	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4149-वृहद पुलों का निर्माण	125.00	178.42	53.42	42.74
25	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5139- मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	88.90	153.41	64.51	72.56
26	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित)	375.00	437.46	62.46	16.66
27	33-आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-6175-राज्य छात्रवृत्तियां	21.78	41.09	19.31	88.66
28	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 2401-796-110-0102- राज्य आयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	22.00	51.00	29.00	131.82
29	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-796-101-0102-राज्य आयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-4149-वृहद पुलों का निर्माण	45.00	65.11	20.11	44.69
30	44-उच्च शिक्षा	2202-03-104-3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	37.00	57.82	20.82	56.27
31	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 1298-नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक उद्वहन योजना	0.50	36.84	36.34	7268.00
32	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 2401-789-110-0103- राज्य आयोजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-8768-राष्ट्रीय फसल बीमा योजना	16.00	39.20	23.20	145.00
33	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4700-64-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	40.00	70.79	30.79	76.98
34	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-197-6107-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	25.00	106.32	81.32	325.28

1	2	3	4	5	6	7
35	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101-1319-मुख्यमंत्री शहरी अद्योसंरचना एवं पेयजल योजनाओं हेतु हुडको से लिये गये ऋण/ब्याज का पुनर्भुगतान	40.00	56.32	16.32	40.80
36	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6221-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	32.29	125.65	93.36	289.13
37	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6154-राजीव आवास योजना	46.00	159.42	113.42	246.57
; kx			2557.28	6580.52	4023.24	159.67

५ = kr% fo fu; kx yq kx

i f j f ' k " V 2-2 ½x½
; kstukvka dsidj.k ftues ₹ 10 djkm+; k vf/kd dk l Eiwkz i ko/kku viz; pã jgk
¼l nHk% d fMdk 2-3-4(i "B 51½

(₹ djkm+e)

1 - Ø	vunku l a ; k	vunku@fofu; ksx dk uke	; kstuk dk uke	dy i ko/kku %eny + i j d½	0; ;	cpr dh jkf' k	i fr' kr
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6056-8.31 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	129.05	निरंक	129.05	100
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6622-8.92 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण	133.80	निरंक	133.80	100
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6880-8.46 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	59.22	निरंक	59.22	100
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6881-8.33 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	83.31	निरंक	83.31	100
5	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-7108-एन.टी.पी.सी. और केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रमों से उधार पर ब्याज (एम.एस. अहलूवालिया कमेटी)	50.94	निरंक	50.94	100
6	पी.डी.	लोक ऋण	6003-101-7887-5.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	799.96	निरंक	799.96	100
7	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
8	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
9	03	पुलिस	2055-109-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-7448-महानगरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं राजमार्ग सुरक्षा	25.00	निरंक	25.00	100
10	03	पुलिस	2055-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7350-ऑटोमेटिक स्वचालित अंगुल चिन्ह व्यवस्था	11.09	निरंक	11.09	100
11	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-800-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6370-तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	13.00	निरंक	13.00	100
12	06	वित्त	2071-01-200-5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	34.00	निरंक	34.00	100
13	06	वित्त	2701-01-101-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	12.00	निरंक	12.00	100
14	06	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	निरंक	50.00	100
15	06	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100
16	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6337-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)	12.50	निरंक	12.50	100

1	2	3	4	5	6	7	8
17	12	ऊर्जा	4801-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6326-दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना	40.00	निरंक	40.00	100
18	12	ऊर्जा	6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2967-बिजली बोर्ड को अन्य उधार (जनरेटिंग कम्पनी)	107.00	निरंक	107.00	100
19	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मनेजमेंट	21.45	निरंक	21.45	100
20	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	31.25	निरंक	31.25	100
21	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2225-01-789-196-0103-राज्य आयोजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-4691-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा छठवीं)	12.50	निरंक	12.50	100
22	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	47.27	निरंक	47.27	100
23	23	जल संसाधन	4701-80-001-1401-नाबार्ड (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	20.00	निरंक	20.00	100
24	23	जल संसाधन	4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	65.00	निरंक	65.00	100
25	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-04-800-4557-सुदृढीकरण	24.00	निरंक	24.00	100
26	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6841-मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण	50.00	निरंक	50.00	100
27	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	10.00	निरंक	10.00	100
28	25	खनिज साधन	2853-02-800-6606-खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण	248.29	निरंक	248.29	100
29	25	खनिज साधन	2853-02-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-6606-खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण	400.00	निरंक	400.00	100
30	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6267-जिला नवाचार कोष (तेरहवां वित्त आयोग)	16.00	निरंक	16.00	100
31	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (तेरहवां वित्त आयोग)	31.19	निरंक	31.19	100
32	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-1286-सांख्यिकी अनुदान	84.45	निरंक	84.45	100
33	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	09-खेल एवं युवक कल्याण विभाग 2204-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5834-पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान)	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
34	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10-वन 2406-01-796-101-0102-राज्य आयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-5109-ग्रामों के पुर्नवास हेतु मुआवजा	39.40	निरंक	39.40	100
35	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10-वन 2406-01-796-101-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6898-वानिकी अनुसंधान एवं विकास (तेरहवां वित्त आयोग)	10.74	निरंक	10.74	100
36	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10-वन 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-3730-वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास	34.50	निरंक	34.50	100
37	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 2401-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 7494-सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	10.95	निरंक	10.95	100
38	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-796-112-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-1286-सांख्यिकी अनुदान	29.55	निरंक	29.55	100
39	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3454-02-796-206-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6268-यू.आई.डी.ए. के लिये प्रोत्साहन (तेरहवां वित्त आयोग)	10.95	निरंक	10.95	100
40	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-1392-छात्रवृत्तियां/ वृत्तियां	114.81	निरंक	114.81	100
41	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	38-उच्च शिक्षा विभाग 2202-03-796-103-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-7464- मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	10.75	निरंक	10.75	100
42	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	02-गृह विभाग 4055-796-207-0102-राज्य आयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6650-पुलिस कार्यालय एवं आवास का निर्माण	10.00	निरंक	10.00	100
43	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50-महिला एवं बाल विकास विभाग 4235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	44.86	निरंक	44.86	100

1	2	3	4	5	6	7	8
44	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50-महिला एवं बाल विकास विभाग 4235-02-796-102-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-7046-नाबार्ड के अंतर्गत प्री-फेब तकनीकी से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	10.00	निरंक	10.00	100
45	43	खेल और युवक कल्याण	2204-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5834-पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान)	20.00	निरंक	20.00	100
46	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7464-मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	10.00	निरंक	10.00	100
47	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7463-शासकीय महा. में प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का प्रदाय	31.15	निरंक	31.15	100
48	44	उच्च शिक्षा	4202-01-203-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7464-मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	10.00	निरंक	10.00	100
49	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	20.00	निरंक	20.00	100
50	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6708-ए.आई.बी.पी. योजनायें	20.00	निरंक	20.00	100
51	48	नर्मदा घाटी विकास	2401-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	11.46	निरंक	11.46	100
52	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-7466-नीरांचल परियोजना	13.15	निरंक	13.15	100
53	55	महिला एवं बाल विकास	2236-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)-1292-मल्टी सेक्टर न्यूट्रीशन कार्यक्रम	43.20	निरंक	43.20	100
54	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	138.60	निरंक	138.60	100
55	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	13.52	निरंक	13.52	100
56	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-6422-सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान	530.00	निरंक	530.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
57	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	30.00	निरंक	30.00	100
58	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-193-5498-बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	20.00	निरंक	20.00	100
59	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	30.00	निरंक	30.00	100
60	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2700-80-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	75.00	निरंक	75.00	100
61	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4215-01-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	27.90	निरंक	27.90	100
62	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-22-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	10.00	निरंक	10.00	100
63	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-001-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 8000-अवशेष निपटारा	25.00	निरंक	25.00	100
64	63	अल्पसंख्यक कल्याण	2225-03-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	15.50	निरंक	15.50	100
65	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	09-खेल एवं युवक कल्याण विभाग 2204-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5834-पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान)	10.00	निरंक	10.00	100
66	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	10-वन 2406-02-789-110-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-3730-वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास	24.55	निरंक	24.55	100
67	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 3454-02-789-112-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1286-सांख्यिकी अनुदान	21.00	निरंक	21.00	100
68	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-45-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7369-कमान क्षेत्र विकास	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
69	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	34-लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग 4215-01-789-800-1403-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	41.64	निरंक	41.64	100
70	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	50-महिला एवं बाल विकास 4235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	31.77	निरंक	31.77	100
71	73	चिकित्सा शिक्षा	2210-05-105-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-7287-चिकित्सा महाविद्यालयों में माड्यूलर किचन, लाउण्ड्री एवं ओ.टी. की स्थापना	24.00	निरंक	24.00	100
72	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)-7466-नीरांचल परियोजना	37.50	निरंक	37.50	100
73	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6098-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान	18.75	निरंक	18.75	100
74	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	89.13	निरंक	89.13	100
75	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-6087-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुरक्षण हेतु अनुदान	10.00	निरंक	10.00	100
76	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-6244-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान	121.55	निरंक	121.55	100
77	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-6551-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य पालन अनुदान	197.46	निरंक	197.46	100
78	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-6244-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	86.80	निरंक	86.80	100
79	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-6551-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य पालन अनुदान	141.01	निरंक	141.01	100
80	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-6244-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान	56.13	निरंक	56.13	100
81	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-6551-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य पालन अनुदान	91.18	निरंक	91.18	100

1	2	3	4	5	6	7	8
82	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	12.50	निरंक	12.50	100
83	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिए विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	निरंक	10.00	100
84	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	निरंक	10.00	100
85	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-02-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7312-सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	10.00	निरंक	10.00	100
86	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-03-104-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7318-पवन ऊर्जा पार्क विस्तार	10.00	निरंक	10.00	100
; kx				9143.23		9143.23	

॥ =kr% ofu; kx yd k%

i f j f ' k " V 2-3

fi Nys o " k k a ds i ko/kku l s vf/kd 0; ; ft l ds fu; eu dh vko' ; drk gS
¼¼ nHk% d f Mdk 2-3-6(i " B 52½

(₹ dj kM+e)

o " k	vunpku@fofu; ksxka dh l a ; k	vunpku@fofu; ksx l a ; k	vkf/kD; dh j kf' k
1	2	3	4
1997-98	10 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 7, 20, 24, 27, 58, 67 पूँजीगत (दत्तमत): 20, 21, 61, 69 राजस्व (प्रभारित): ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, 31, 67	302.79
2003-04	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 68, 84 पूँजीगत (दत्तमत): 35, 94 राजस्व (प्रभारित): 20, 67 पूँजीगत (प्रभारित): 23	2.54
2004-05	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24, 59, 67, 92, 94 पूँजीगत (दत्तमत): 6, 19, 30, 59, 66, 78, 84, 86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूँजीगत (प्रभारित): 45	83.66
2005-06	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24, 67 पूँजीगत (दत्तमत): 6, 39 पूँजीगत(प्रभारित): 21, 45	37.58
2006-07	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24, 67 पूँजीगत (प्रभारित): 24	35.99
2008-09	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 62 पूँजीगत (दत्तमत): 43 राजस्व (प्रभारित): 24 पूँजीगत (प्रभारित): 24	5.80
2009-10	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 3, 27, 32, 49	123.96
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूँजीगत (प्रभारित): 24	12.62
2011-12	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 33 पूँजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74 राजस्व (प्रभारित): 23 पूँजीगत (प्रभारित): 23	135.10
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 10 पूँजीगत (प्रभारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 02 पूँजीगत (दत्तमत): 10 पूँजीगत (प्रभारित): 21	34.32
; ksx	45 vunpku , oa 20 fofu; ksx		774.60

i f j f ' k " V 2-4
 i d j . k f t u e a v u i j d i k o / k k u % i R ; d i d j . k e a ₹ , d d j k M + v f k o k b l l s v f / k d %
 v u k o ' ; d f l) g q
 % l n H k % d f M d k 2-3-7(i " B 53 %

(₹ d j k M + e a)

1-0-	v u i j d i k o / k k u % i R ; d i d j . k e a ₹ , d d j k M + v f k o k b l l s v f / k d %	e y i k o / k k u	o k L r f o d 0 ; ;	e y i k o / k k u e a l s c p r	v u i j d i k o / k k u
1	2	3	4	5	6
d & j k t L o % n U k e r %					
1	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	544.18	409.03	135.15	58.00
2	03-पुलिस	4507.08	3793.99	713.09	35.36
3	05-जेल	229.78	224.95	4.83	10.31
4	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1243.45	901.18	342.27	9.80
5	10-वन	2123.36	1873.72	249.64	26.10
6	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2377.56	1944.53	433.03	85.63
7	14-पशुपालन	682.40	557.30	125.10	29.29
8	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	1727.36	1201.63	525.73	23.77
9	16-मछली पालन	69.21	47.47	21.74	5.14
10	17-सहकारिता	466.49	206.54	259.95	450.18
11	21-आवास एवं पर्यावरण	171.65	150.07	21.58	9.10
12	23-जल संसाधन	872.58	716.54	156.04	1.60
13	25-खनिज साधन	36.90	25.95	10.95	1.39
14	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6444.41	5329.67	1114.74	7.73
15	29-विधि और विधायी कार्य	1248.69	708.20	540.49	23.62
16	30-ग्रामीण विकास	697.32	438.87	258.45	18.89
17	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	260.09	72.15	187.94	7.28
18	32-जनसंपर्क	233.20	189.16	44.04	11.48
19	34-सामाजिक न्याय	223.98	130.69	93.29	2.11
20	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5534.86	3736.60	1798.26	114.58
21	43-खेल और युवक कल्याण	84.43	45.18	39.25	1.00
22	44-उच्च शिक्षा	1209.07	1102.41	106.66	35.01
23	47-तकनीकी शिक्षा एवं कोशल विकास	462.31	436.56	25.75	35.85
24	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	414.53	281.36	133.17	6.85
25	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	98.04	93.51	4.53	6.10
26	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3116.72	2436.21	680.51	114.01

1	2	3	4	5	6
27	55-महिला एवं बाल विकास	2311.59	1447.80	863.79	38.41
28	56-ग्रामोद्योग	192.24	163.67	28.57	1.00
29	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3567.05	3099.44	467.61	588.15
30	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	3606.45	2353.45	1253.00	135.74
31	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	757.44	514.18	243.26	6.25
32	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	464.59	402.76	61.83	61.59
33	69-सूचना प्रौद्योगिकी	145.79	80.76	65.03	2.91
34	73-चिकित्सा शिक्षा	483.41	422.63	60.78	67.41
35	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	12641.12	9438.35	3202.77	1077.18
36	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5724.07	4554.97	1169.10	91.55
37	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2370.64	1618.56	752.08	13.72
		67344.04	51150.04	16194.00	3214.09
[k&i t h r % n y k e r %]					
38	26-संस्कृति	1.15	1.15	---	2.00
39	36-परिवहन	8.50	6.96	1.54	12.75
40	37-पर्यटन	81.00	60.05	20.95	52.00
41	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	118.12	93.46	24.66	17.70
42	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2848.01	1662.65	1185.36	22.97
43	48-नर्मदा घाटी विकास	1251.30	788.15	463.15	1.46
44	55-महिला एवं बाल विकास	278.30	74.18	204.12	78.27
45	60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	213.60	167.43	46.17	5.27
46	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2198.12	1529.00	669.12	115.93
47	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	3.85	3.03	0.82	8.76
48	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	170.94	112.03	58.91	16.81
49	73-चिकित्सा शिक्षा	54.85	33.56	21.29	4.71
		7227.74	4531.65	2696.09	338.63
x&jktLo % i Hkkfj r %					
50	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	34.87	30.13	4.74	8.94
51	12-ऊर्जा	170.50	68.20	102.30	194.73
52	25-खनिज साधन	400.05	0.002	400.05	248.29
53	29-विधि और विधायी कार्य	88.74	72.73	16.01	5.71
		694.16	171.06	523.10	457.67
		75265.94	55852.75	19413.19	4010.39

%L=kr% foFu; ksx yq%k%

ifj'k"V 2-5
 idj.k ftuea vuqj d i ko/kku vf/kd fl) gq
 %i R; d idj.k ea ₹ , d djkm+; k ml s vf/kd%
 %i nHk% d fMdk 2-3-7(i "B 53%

₹ djkm+e%

1- 0-	vuqku@fofu; ksx dh l a[; k rFkk uke	em vuqku@fofu; ksx	vuqj d vuqku@fofu; ksx	okLrfod 0; ;	cpr
1	2	3	4	5	6
d&jktLo %nYker%					
1	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	617.50	265.25	749.79	132.96
2	12-ऊर्जा	3703.74	1795.00	4944.06	554.68
3	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1151.29	194.00	1167.23	178.06
4	26-संस्कृति	135.90	51.83	146.54	41.19
5	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2024.35	348.97	2198.75	174.57
6	78-सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय	140.00	200.00	298.94	41.06
		7772.78	2855.05	9505.31	1122.52
[k&i t hxr %nYker%					
7	06-वित्त	170.80	300.00	329.53	141.27
8	12-ऊर्जा	3061.18	10378.45	12021.30	1418.33
9	17-सहकारिता	245.92	49.07	282.30	12.69
10	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	95.25	29.45	111.26	13.44
11	21-आवास एवं पर्यावरण	60.13	30.00	73.44	16.69
12	23- जल संसाधन	1280.14	394.50	1404.72	269.92
13	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1632.61	310.00	1763.09	179.52
14	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	63.21	53.25	91.49	24.97
15	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	42.90	100.74	131.24	12.40
16	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	469.63	360.00	704.35	125.28
17	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	43.40	41.12	59.39	25.13
		7165.17	12046.58	16972.11	2239.64
x&jktLo %i Hkkfj r%					
18	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6929.48	379.17	7071.25	237.40
		6929.48	379.17	7071.25	237.40
		21867.43	15280.80	33548.67	3599.56

vfrfjä vko'; drk% okLrfod 0; ; &em i ko/kku = 33548-67- 21867-43 = 11681-24
 %l=kr% fofu; ksx yqk%

i f j f ' k " V 2-6
f u f / k ; k a d k v R ; f / k d @ v u k o ' ; d i q u A o f u ; k s x @ l e i z k
¼ l n H k % d f M d k 2-3-8(i " B 53½

(₹ d j k M + e)

1 - Ø-	v u p k u l a ; k	v u p k u d k u k e	y s [k k d k ' k h " k z	i q u A o f u ; k s t u	v f r e v k f / k D ; (+) / c p r (-)	i f r ' k r
1	2	3	4	5	6	7
1	01	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	2052-090-4327-सचिवालय	(-) 35.54	(+) 14.05	39.53
2	01	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	2251-090-4327-सचिवालय	(-) 19.50	(+) 7.91	40.56
3	03	पुलिस	2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	(-) 294.21	(+) 1.18	0.40
4	06	वित्त	2071-01-102-9998-मध्य प्रदेश	(-) 1.50	(+) 13.56	100
5	10	वन	2406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6349-संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन	(-) 4.46	(+) 1.94	43.50
6	23	जल संसाधन	2700-32-101-2894-बांध तथा नहरें	(+) 1.05	(-) 8.22	100
7	23	जल संसाधन	2701-80-800-2250-नहरें तथा तालाब	(+) 2.15	(-) 42.38	100
8	23	जल संसाधन	4700-67-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+) 5.00	(-) 12.58	100
9	23	जल संसाधन	4701-80-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)-5583-सेमरी तालाब	(+) 2.19	(-) 11.55	100
10	23	जल संसाधन	4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5587-घोघरा मध्यम परियोजना	(-) 4.00	(+) 2.25	56.25
11	23	जल संसाधन	4711-01-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5711-बाढ़ नियंत्रण योजना	(+) 1.25	(-) 2.59	100
12	23	जल संसाधन	4700-26-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+) 19.26	(-) 2.38	12.36
13	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-04-337-4557-सुदृढ़ीकरण	(-) 5.83	(+) 22.87	100
14	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-80-800-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	(-) 1.21	(+) 7.04	100
15	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4149-वृहद पुलों का निर्माण	(-) 14.51	(+) 67.92	100
16	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5139- मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	(-) 8.79	(+) 73.29	100

1	2	3	4	5	6	7
17	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित)	(-) 28.78	(+) 91.24	100
18	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-3491-माध्यमिक शालायें	(+) 2.57	(-) 157.47	100
19	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-102-9949-माध्यमिक शालाओं को सहायता अनुदान	(+) 5.72	(-) 9.42	100
20	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-001-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	(-) 17.62	(+) 2.51	14.25
21	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-3248-मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	(+)48.94	(-) 44.14	90.19
22	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2202-02-796-109-0102-राज्य आयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-0581-उच्चतर माध्यमिक शालाएं	(-) 13.28	(+) 2.85	21.46
23	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	(-) 34.66	(+) 5.22	15.06
24	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-5350-होस्टल/आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य	(-) 20.00	(+) 7.76	38.80
25	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102-राज्य आयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6079-सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना	(-) 2.00	(+) 6.00	100
26	44	उच्च शिक्षा	2202-03-104-3444-महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान	(+) 29.40	(-) 8.58	29.18
27	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-41-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2872-बरगी नहर व्यवर्तन परियोजना	(-) 9.19	(+) 1.76	19.15
28	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-I एवं यूनिट-II)	(-) 10.01	(+) 1.62	16.18
29	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	(-) 10.87	(+) 1.55	14.26

1	2	3	4	5	6	7
30	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-197-0102-राज्य आयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोगना)-1392-छात्रवृत्तियां/वृत्तियां	(+) 1.51	(-) 12.25	100
31	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-198-0102-राज्य आयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोगना)-1392-छात्रवृत्तियां/वृत्तियां	(+) 4.41	(-) 80.61	100
32	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	(-) 171.22	(+) 1.64	0.96
33	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8284-मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	(-) 26.67	(+) 13.73	51.48
34	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2403-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6078-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास	(+) 15.22	(-) 21.27	100
35	64	अनुसूचित जाति उपयोगना	50-महिला एवं बाल विकास विभाग 4235-02-789-102-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोगना)-5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	(-) 21.24	(+) 2.68	12.62
36	64	अनुसूचित जाति उपयोगना	31-जल संसाधन विभाग 4700-13-789-800-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोगना)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+) 31.20	(-) 14.24	45.64
37	64	अनुसूचित जाति उपयोगना	31-जल संसाधन विभाग 4700-64-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोगना)-6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	(+) 35.00	(-) 4.21	12.03

1	2	3	4	5	6	7
38	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 4215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7162-ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	(+) 8.00	(-) 1.92	24.00
39	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2216-05-053-4090-विशेष मरम्मत	(-) 4.88	(+) 2.85	58.40
40	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2505-01-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(+) 64.53	(-) 1000.00	100
41	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	(+) 9.46	(-) 4.00	42.28

॥=kr% fofu; ks ysfkz

i f j f ' k " V 2-7
fofHkUu vupnku@fofu; kxka dk fooj.k i = ftuea cpr gpz g\$ i jUrq ml ds fdI h Hkh Hkxk
dk l eiZk ugha fd; k x; k
¼/ anHk% d fMdk 2-3-9(i "B 53½

(₹ d j k M + e)

I - Ø	vupnku@fofu; kx l a; k	vupnku@fofu; kx dk uke	cpr
1	2	3	4
I-vupnku			
jktLo %nUker½			
1	17	सहकारिता	710.13
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	871.16
3	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	78.02
4	21	आवास एवं पर्यावरण	30.68
5	23	जल संसाधन	157.63
6	26	संस्कृति	41.19
7	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	1122.48
8	36	परिवहन	71.61
9	38	आयुष	234.29
10	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	174.57
11	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	13.78
12	62	पंचायत	38.04
13	69	सूचना प्रौद्योगिकी	67.94
14	73	चिकित्सा शिक्षा	128.20
15	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	55.12
16	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	765.80
i wthxr %nUker½			
17	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	1.00
18	17	सहकारिता	12.68
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13.44
20	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	68.66
21	21	आवास एवं पर्यावरण	16.70
22	23	जल संसाधन	269.91
23	26	संस्कृति	2.00
24	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	24.97
25	36	परिवहन	14.29
26	38	आयुष	11.18
27	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	12.40
28	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	125.27
29	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	25.13
30	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50
31	69	सूचना प्रौद्योगिकी	16.09
32	73	चिकित्सा शिक्षा	25.99
33	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6.12
II-fofu; kx			
jktLo %i Hkkfjr½			
34	73	चिकित्सा शिक्षा	1.05
i wthxr %i Hkkfjr½			
35	पी.डी.	लोक ऋण	4256.48
			9466.50

¼ = kx % fofu; kx ysfk½

ifj'k"V 2-8
31 ekpl 2015 dks ₹ 10 djkm+l s vf/kd fuf/k; ka ds l eiZk ds izdj.k
¼l nHk% dMdk 2-3-9(i"B 53½

(₹ djkm+e)

1-Ø-	vuqku l a; k	ed; 'kh"Z	ctV iko/kku	l eiZk dh jkf'k	l eiZk dk dgy iko/kku l s ifr'kr
1	2	3	4	5	6
1	01	2015	202.57	49.70	24.53
2	01	2051	34.85	19.85	56.96
3	01	2052	101.70	23.28	22.89
4	01	2251	38.11	11.81	30.99
5	03	2055	4230.19	670.74	15.86
6	03	4055	77.17	13.90	18.01
7	05	2056	240.10	15.12	6.30
8	06	2075	42.46	27.88	65.66
9	06	4070	40.00	16.56	41.40
10	08	2029	684.58	199.82	29.19
11	09	2058	67.10	20.78	30.97
12	10	2406	2179.62	284.33	13.04
13	10	4406	80.00	25.12	31.40
14	11	2851	84.66	10.85	12.82
15	11	2852	764.25	96.27	12.60
16	12	2045	396.29	306.76	77.41
17	12	2801	5467.67	544.60	9.96
18	12	4801	716.01	88.36	12.34
19	12	6801	12723.62	1329.96	10.45
20	13	2401	2381.83	199.88	8.39
21	15	2215	150.00	81.80	54.53
22	15	2225	376.63	45.84	12.17
23	15	2235	135.50	33.44	24.68
24	15	2501	196.65	19.41	9.87
25	15	2505	296.00	97.45	32.92
26	15	2515	281.33	109.80	39.03
27	15	4515	31.65	28.26	89.29
28	22	2217	345.72	32.38	9.37
29	24	3054	1347.04	145.35	10.79
30	24	5054	1929.90	182.70	9.47
31	29	2014	983.21	346.09	35.20
32	29	2015	343.20	165.13	48.11
33	30	2515	582.83	271.45	46.57
34	30	4515	1471.55	871.18	59.20
35	31	3454	232.61	170.28	73.20
36	32	2220	200.06	33.61	16.80
37	33	2202	1283.66	290.37	22.62
38	33	2225	364.84	63.46	17.39
39	34	2235	205.91	89.48	43.46
40	37	3452	81.06	17.24	21.27
41	37	5452	133.00	72.95	54.85
42	40	4705	135.82	41.70	30.70
43	41	2202	1841.18	50.98	2.77
44	41	2225	812.83	457.86	56.33
45	41	2235	572.91	323.75	56.51
46	41	2236	357.56	70.45	19.70
47	41	2401	466.11	70.50	15.13
48	41	2406	337.05	120.74	35.82
49	41	2515	116.24	49.93	42.95

1	2	3	4	5	6
50	41	2801	130.00	25.32	19.48
51	41	2851	68.52	10.72	15.65
52	41	4055	34.75	16.15	46.47
53	41	4225	475.40	177.87	37.41
54	41	4235	106.26	48.84	45.96
55	41	4515	571.74	300.80	52.61
56	41	4700	213.63	37.71	17.65
57	41	4701	210.21	58.58	27.87
58	41	4801	100.21	21.72	21.67
59	41	6801	439.80	195.14	44.37
60	42	5054	690.88	24.25	3.51
61	44	2202	1244.60	78.29	6.29
62	47	2203	272.88	39.41	14.44
63	48	2401	11.46	11.46	100.00
64	48	4700	1084.97	415.26	38.27
65	48	4801	162.89	36.76	22.57
66	49	2225	95.33	26.25	27.54
67	50	2401	421.44	91.50	21.71
68	51	2250	104.14	11.31	10.86
69	52	2202	557.72	41.89	7.51
70	52	2215	180.00	97.95	54.42
71	52	2225	408.31	29.45	7.21
72	52	2235	147.87	27.30	18.46
73	52	2501	583.80	26.62	4.56
74	52	2505	540.00	177.75	32.92
75	52	2515	338.28	81.68	24.15
76	52	4515	44.45	35.67	80.25
77	53	2217	265.50	115.22	43.40
78	55	2235	1615.65	752.81	46.59
79	55	2236	718.62	84.89	11.81
80	55	4235	356.57	138.19	38.76
81	56	2851	193.24	25.90	13.40
82	58	2245	4155.19	995.01	23.95
83	60	4515	218.87	61.36	28.03
84	61	4401	63.71	15.43	24.22
85	63	2225	68.40	42.70	62.43
86	64	2055	61.08	27.45	44.94
87	64	2203	18.32	11.02	60.15
88	64	2225	791.85	195.82	24.73
89	64	2235	415.88	276.39	66.46
90	64	2236	264.36	37.56	14.21
91	64	2401	353.61	62.47	17.67
92	64	2406	88.53	44.07	49.78
93	64	2515	79.10	35.17	44.46
94	64	4225	131.60	27.92	21.22
95	64	4235	77.71	34.65	44.59
96	64	4515	396.09	31.56	7.97
97	64	4700	366.68	35.13	9.58
98	64	4801	91.80	15.34	16.71
99	64	6801	383.22	181.78	47.43
100	66	2225	763.69	249.30	32.64
101	67	2059	396.48	40.57	10.23
102	67	2216	130.20	24.86	19.09
103	67	4059	150.81	40.13	26.61
104	68	2217	46.01	22.27	48.40
105	72	2210	81.28	10.48	12.89
106	74	2202	3603.91	31.48	0.87
107	74	2215	613.84	235.16	38.31

1	2	3	4	5	6
108	74	2216	637.20	37.36	5.86
109	74	2235	429.66	113.80	26.49
110	74	2501	486.34	109.29	22.47
111	74	2505	3164.00	199.04	6.29
112	74	2515	3080.55	239.90	7.79
113	75	2202	595.91	25.83	4.33
114	75	2217	1500.10	823.17	54.87
115	75	2235	176.73	71.76	40.60
116	75	3604	3618.48	151.05	4.17
117	75	6217	25.00	19.81	79.24
; kx			86080.14	16147.90	18.76

५ = kr% of u; kx yq k%

i f j f ' k " V 2-9
 1/2 k l r f o d c p r k l s v f / k d l e i z k 1/2 , d j k M + ; k m l l s v f / k d 1/2
 1/2 n H k % d f M d k 2-3-10(i " B 54 1/2

(₹ d j k M + e)

1-Ø.	v u n k u @ f o f u ; k x d h l a ; k r f k k u e	d y v u n k u @ f o f u ; k x	c p r	l e f i r j k f ' k	v f / k d l e f i r j k f ' k
1	2	3	4	5	6
j k t L o 1/2 n U k e r 1/2					
1	10-वन	2149.46	275.74	290.63	14.89
2	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	104.14	10.63	11.31	0.68
3	55-महिला एवं बाल विकास	2350.00	902.20	902.66	0.46
i w t h x r 1/2 n U k e r 1/2					
4	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1942.61	179.52	186.59	7.07
5	30-ग्रामीण विकास	1471.55	871.15	871.18	0.03
6	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	44.45	35.57	35.67	0.10
7	60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	218.87	51.44	61.36	9.92
j k t L o 1/2 i H k k f j r 1/2					
8	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	43.81	13.69	21.92	8.23
		8324.89	2339.94	2381.32	41.38

1/2 = k r % f o f u ; k x y q k %

1/2 i k o / k k u l s v k f / k d ; d s m i j k a r H k h l e i z k
 1/2 n H k % d f M d k 2-3-10(i " B 54 1/2

(₹ d j k M + e)

1-Ø.	v u n k u @ f o f u ; k x d h l a ; k r f k k u e	d y v u n k u @ f o f u ; k x	v k f / k d ;	l e f i r j k f ' k
1	2	3	4	5
j k t L o 1/2 n U k e r 1/2				
1	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	32.12	23.50	3.38
2	06-वित्त	6574.37	409.44	77.41
i w t h x r 1/2 n U k e r 1/2				
3	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	690.88	3.19	24.25
j k t L o 1/2 i H k k f j r 1/2				
4	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	2.00	5.83	1.21
5	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	0.50	1.87	0.14
i w t h x r 1/2 i H k k f j r 1/2				
6	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	0.15	2.46	0.05
		7300.02	446.29	106.44

1/2 = k r % f o f u ; k x y q k %

i f j f ' k " V 2-10
0 ; ; d h v R ; f / k d r k
¼ n H k % d f M d k 2-3-11(i " B 54½

(₹ d j k M + e)

1 - Ø-	v u n k u l a ; k r F k k u k e	; k s t u k l a ; k	t u o j h & e k p l 2015 d s n k j k u f d ; k x ; k 0 ; ;	e k p l 2015 e a f d ; k x ; k 0 ; ;	d y 0 ; ;	f d , x , d y 0 ; ; d k i f r ' k r	t u o j h & e k p l 2015	e k p l 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	03-पुलिस	7189	16.95	16.66	16.95	100.00	98.29	
2	06-वित्त	9180	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	
3	10-वन	3885	72.59	72.59	102.59	70.76	70.76	
4	10-वन	7488	12.82	12.78	16.55	77.46	77.22	
5	10-वन	7680	36.10	27.99	46.73	77.25	59.90	
6	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6749	29.09	28.99	49.66	58.58	58.38	
7	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7215	106.84	59.32	106.84	100.00	55.52	
8	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	5647	11.17	9.39	16.30	68.53	57.61	
9	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7500	18.31	16.56	24.13	75.88	68.63	
10	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5131	20.39	20.39	20.39	100.00	100.00	
11	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5276	15.50	15.50	15.50	100.00	100.00	
12	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7668	96.45	96.45	96.45	100.00	100.00	
13	17-सहकारिता	7827	104.07	104.07	104.07	100.00	100.00	
14	21-आवास एवं पर्यावरण	7218	24.60	22.37	26.35	93.36	84.90	
15	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	7144	48.29	31.44	62.46	77.31	50.34	

1	2	3	4	5	6	7	8
16	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	7239	11.83	11.72	23.01	51.41	50.93
17	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6484	18.00	18.00	30.00	60.00	60.00
18	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	7592	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
19	29-विधि और विधायी कार्य	6269	17.20	12.73	21.82	78.83	58.34
20	37-पर्यटन	7630	12.20	11.21	21.93	55.63	51.12
21	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	7585	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2676	47.10	35.06	69.56	67.71	50.40
23	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5523	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00
24	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6484	41.16	41.16	68.60	60.00	60.00
25	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7211	57.74	54.37	104.15	55.44	52.20
26	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7301	47.26	47.26	47.26	100.00	100.00
27	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7881	59.36	61.06	108.96	54.48	56.04
28	48-नर्मदा घाटी विकास	1298	36.84	36.84	36.84	100.00	100.00
29	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	5626	12.12	11.88	15.77	76.85	75.33
30	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5131	21.87	21.87	21.87	100.00	100.00
31	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7668	159.83	159.83	159.83	100.00	100.00
32	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2018	53.86	40.25	69.87	77.09	57.61
33	60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	8284	66.48	57.45	102.34	64.96	56.14

1	2	3	4	5	6	7	8
34	63—अल्पसंख्यक कल्याण	6175	12.49	12.49	12.49	100.00	100.00
35	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	5523	18.94	18.94	18.94	100.00	100.00
36	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	6007	24.00	24.00	24.00	100.00	100.00
37	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	6484	30.84	30.84	51.40	60.00	60.00
38	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	8908	34.36	34.36	34.36	100.00	100.00
39	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6244	529.43	529.43	917.51	57.70	57.70
40	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6836	60.96	60.96	113.74	53.60	53.60
41	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6967	11.23	11.01	11.61	96.73	94.83
42	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6968	45.15	44.01	46.30	97.52	95.05
43	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7375	18.13	18.13	34.96	51.86	51.86
44	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7668	247.79	247.79	247.79	100.00	100.00
45	77—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2267	26.88	26.88	45.00	59.73	59.73
46	77—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6007	66.05	66.05	104.00	63.51	63.51
47	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5851	181.30	181.30	212.27	85.41	85.41
48	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6959	43.68	43.68	45.57	95.85	95.85
			3117.25	2995.06	4016.72	77.61	74.56

॥=kr% fofu; ks ysfk%

Table 2-11

8443 & fl foy tek & 800 & vl; tek ea fuf/k; ka dk vrj.k n'kkus okyk fooj.k i = d
 %l nHk% dfMdk 2-3-12(i "B 54%

(₹ djkm+e)

1-Ø	vunku l a; k rFkk uke	foLrr 'kh"z rd ysfkk dk 'kh"z rFkk ; kstuk dk uke	dy ctV i ko/kku %ey+vuqj d%	fd; k x; k 0; ;	8443 & fl foy tek & 800 & vl; tek ea vrj.r jkf' k
1	2	3	4	5	6
1	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (तेरहवां वित्त आयोग)	60.00	51.68	20.29
2	26-संस्कृति	2205-800-1301-6464-स्मारकों/संग्राहलयों का अनुरक्षण एवं विकास आदि कार्य	91.55	74.05	74.05
3	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4210-01-110-1302-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (तेरहवां वित्त आयोग)	20.50	13.50	2.17
4	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	4210-01-110-1303-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (तेरहवां वित्त आयोग)	30.00	24.28	8.69
5	73-चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-1301-6457-महाराजा तुकोजीराव अस्पताल, इन्दौर का उन्नयन (तेरहवां वित्त आयोग)	11.00	5.01	4.25
6	73-चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-1301-6458-चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में वायरोलॉजी लैब की स्थापना (तेरहवां वित्त आयोग)	12.00	6.00	6.00
			225.05	174.52	115.45

%l =kr-% fofu; kx ysfkk%

i f j f ' k " V 2-12
, s i d j . k f t u e a f i N y s r h u o " k z d s n k s k u ₹ , d d j k M + l s v f / k d d s l a w k z i k o / k k u
v i z p ä j g s
¼ a n H k % d f M d k 2-3-14(i " B 55½

(₹ d j k M + e)

I - Ø-	v u n k u l a ; k	v u n k u @ f o f u ; k x d k u k e	; k s t u k d k u k e	o " k z		
				2012-13	2013-14	2014-15
				d y i k o / k k u ½ e w y + i j d ½	d y i k o / k k u ½ e w y + i j d ½	d y i k o / k k u ½ e w y + i j d ½
1	2	3	4	5	6	7
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	7.00	7.00	7.00
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-6854-अंशदायी पेंशन योजना	6.00	6.00	6.00
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-108-0117-परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	5.00	5.00	5.00
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-102-0930-केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	2.83	2.50	2.12
5	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-103-0925-केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	12.00	7.25	6.50
6	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0637-उपाय तथा अग्रिम	2000.00	2000.00	2000.00
7	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	2000.00	2000.00
8	पी.डी.	लोक ऋण	6004-03-800-8437 त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम हेतु ऋण	2.71	2.71	2.71
9	पी.डी.	लोक ऋण	6004-04-102-3128-भू एवं जल संरक्षण के लिए उधार	1.54	1.54	1.55
10	पी.डी.	लोक ऋण	6004-04-800-6420-माइक्रो मनेजमेन्ट हेतु उधार	2.02	2.02	2.02
11	06	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	300.00	100.00	50.00
12	06	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल. आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	25.00	25.00
13	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	6.31	5.98	3.85
14	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6337-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)	3.00	9.40	12.50
15	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	15.00	3.25	2.00

1	2	3	4	5	6	7
16	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304- निर्देशन एवं प्रशासन	37.80	37.80	47.27
17	23	जल संसाधन	4701-66-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	20.00	5.00	1.00
18	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (तेरहवां वित्त आयोग)	49.94	49.94	31.19
19	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304- निर्देशन एवं प्रशासन	35.40	30.22	20.00
20	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6942- ओंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत गृह	7.00	3.00	1.50
21	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-103-5496-सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पोषण आहार	3.00	3.00	3.00
22	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6370- तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण	5.00	5.00	2.00
23	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	6245-01-800-2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण	2.50	2.50	2.50
24	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2700-80-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 8000-अवशेष निपटारा	99.00	200.00	75.00
25	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-001-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 8000-अवशेष निपटारा	400.00	100.00	25.00
; kx				5048.05	4614.11	4334.71

५ = kr% fofu; kx ysf

i f j f ' k " V 2-13
p; fur vupnku ea fofHkUu ; kstukvka ds vrxzr l kjHkr cpra tgka cpra ₹ 10 djkm+l s
vf/kd Fkh
¼l nHk% d fMdk 2-4-2(i "B 57½

(₹ djkm+e)

1-Ø	; kstuk dk uke	djy vupnku@fofu; ksx	cpr	ifr'kr
1	2	3	4	5
03&i f y l				
1	2015-105-4311-संसद के चुनाव कराने के प्रभार	50.00	19.33	38.66
	बचत अंशतः निधियों के आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुई।			
2	2055-101-0279-अभियोजन संचालनालय	45.98	11.28	24.53
	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (नवम्बर 2015)।			
3	2055-104-0101-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	760.08	70.66	9.30
	बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के रिक्त रहने, समयमान वेतन एवं अन्य एरियर्स का भुगतान न होने, आहरण पर प्रतिबंध एवं शासन से राशि को पी.डी. खाते में जमा कराये जाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
4	2055-109-0101-5555-बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	50.00	39.00	78.00
	बचत योजनाओं के अनुमोदन न होने एवं कोषालय से राशि का आहरण नहीं करने के कारण हुई।			
5	2055-109-0101-7186-बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन	20.00	19.00	95.00
	बचत मुख्यतः योजनाओं के अनुमोदन न होने एवं कोषालय से राशि का आहरण नहीं करने के कारण हुई।			
6	2055-109-1501-7448-महानगरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं राजमार्ग सुरक्षा	25.00	25.00	100.00
	बचत योजनाओं के अनुमोदन न होने एवं कोषालय से राशि का आहरण नहीं करने के कारण हुई।			
7	2055-109-0194-अन्य पुलिस	69.46	11.52	16.59
	बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के रिक्त रहने, समयमान वेतन एवं अन्य एरियर्स का भुगतान न होने, आहरण पर प्रतिबंध एवं शासन से राशि को पी.डी. खाते में जमा कराये जाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
8	2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	2446.89	293.03	11.98
	बचत स्वीकृत पदों के रिक्त रहने, समयमान वेतन एवं अन्य एरियर्स का भुगतान न होने, आहरण पर प्रतिबंध एवं शासन से राशि को पी.डी. खाते में जमा कराये जाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
9	2055-111-9259-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस-पश्चिम विभाग)	68.09	14.59	21.43
	बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के रिक्त रहने, समयमान वेतन एवं अन्य एरियर्स का भुगतान न होने, आहरण पर प्रतिबंध एवं शासन से राशि को पी.डी. खाते में जमा कराये जाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
10	2055-114-4155-बेतार केन्द्र भोपाल एवं ग्वालियर	116.00	24.16	20.83
	बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के रिक्त रहने, समयमान वेतन एवं अन्य एरियर्स का भुगतान न होने, आहरण पर प्रतिबंध एवं शासन से राशि को पी.डी. खाते में जमा कराये जाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
11	2055-115-0701-7348-अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था	31.60	30.91	97.82
	बचत योजनाओं के अनुमोदन न होने एवं कोषालय से राशि का आहरण नहीं करने के कारण हुई।			
12	2055-800-0101-7346-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	40.00	39.03	97.58
	बचत योजनाओं के अनुमोदन न होने एवं कोषालय से राशि का आहरण नहीं करने के कारण हुई।			

1	2	3	4	5
13	2055-800-0101-7350-ऑटोमेटिक स्वचालित अंगुल चिन्ह व्यवस्था	11.09	11.09	100.00
	बचत योजनाओं के अनुमोदन न होने एवं कोषालय से राशि का आहरण नहीं करने के कारण हुई।			
14	2070-107-0101-7327-राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन	19.04	16.71	87.76
	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (नवम्बर 2015)।			
15	2070-107-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	54.06	15.41	28.51
	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (नवम्बर 2015)।			
16	4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	25.00	15.00	60.00
	बचत मुख्यतः अग्रिम आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
		3832.29	655.72	17.11

₹ = करोड़ों में, लाखों में, आठों में, पैसे में

i f j f ' k " V 2-14

i w t h x r v u t k k x l s l a f / k r i w t h x r i f j l E i f U k ; k a d s m i s ' ; ' k h " k z 63 & e ' k h u d s v / k h u
i R ; d i d j . k e a i k o / k k u j k f ' k ₹ n k s y k [k r F k k v f / k d d k j k t L o v u t k k x e a o x h z d j . k
¼ l a n H k % d f M d k 2-4-4(i " B 58½

(₹ d j k M + e a z

I - Ø -	eq ; ' k h " k z	m i s ' ; ' k h " k z	; k s t u k ' k h " k z	j k f ' k
1	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	0270	1.99
2	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	7453	0.02
3	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	5554	0.40
4	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	4492	0.30
5	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	4491	0.10
6	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	6463	8.10
7	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	2634	0.10
8	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	0783	0.02
9	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	4155	2.00
10	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	3593	0.05
11	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	1309	3.00
12	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	8333	5.00
13	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	9078	2.00
14	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	7346	4.50
15	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	7184	2.00
16	2055	63-मशीन-001-मशीन और संयंत्र	7351	0.95
; k s x				30.53

¼ = k r % c t V i f l r d h

i f j f ' k " V 3-1
y f c r m i ; k f x r k i z e k . k i = k s d h f o H k k x o k j f L F k f r
¼ n H k % d f M d k 3-1; i " B 61½

1-0-	foHkxk dk uke	eq ; ' kh " k z	jkf' k ¼ dj k M + e %
1	2	3	4
1	राजस्व	2029	1.20
2	समाज कल्याण	2235	748.03
3	नगरीय प्रशासन	3604	8711.00
4	विधानसभा सचिवालय	2011	1.29
5	जन संपर्क	2220	1.50
6	ग्रामीण विकास	2501, 2505, 2515, 4515	5101.89
7	सहकारिता	6425, 2425	253.49
8	सिंचाई	2702	18.69
9	ऊर्जा	2801, 2810	998.40
10	पशुपालन	2403	218.59
11	आबकारी	2039, 2045	2.04
12	महिला एवं बाल विकास	2236	86.44
13	पुलिस	2055	2.06
14	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	2250	24.85
15	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	21.16
16	उद्योग	2851, 2852	420.46
17	विधि और विधायी कार्य	2014	1.54
18	आवास एवं पर्यावरण	2217	321.34
19	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	5209.50
20	आवास	2216	246.81
21	भौमिकी एवं खनिकर्म	2853	233.42
22	मत्स्योद्योग	2405	11.12
23	पर्यटन	3452	81.05
24	कृषि	2401, 4402	447.15
25	श्रम	2230	48.97
26	सामान्य प्रशासन	2075, 2052	93.54
27	आर्थिक एवं सांख्यिकी	3454	57.45
28	संस्थागत वित्त	2047	0.02
29	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	10.89
30	चिकित्सा सेवाएं	2210	549.68
31	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	285.84
32	शिक्षा	2202, 4202	2783.95
33	खेलकूद तथा युवा कल्याण	2204	10.78
34	राजभाषा एवं संस्कृति	2205	0.15
35	जिला प्रशासन	2053	1.44
	; ksx	45 eq ; ' kh " k z	27005.73

¼ = k r % i z k k u e g y s f k k d k j % y s , o a g - ½ e l ; i n s ' k j k j k i n k ; t k u d k j h %

i jf'k"V 3-2
 nfofu; ksx] xcu bR; kfn ds i dj . kka dk foHkkxokj @vof/kokj C; kSj k
 ¼ nHk% dMdk 3-3; i" B 63½

I -Ø-	foHkkx dk uke	5 o"kk rd		5 l s 10 o"kz rd		10 l s 15 o"kz rd		15 l s 20 o"kz rd		20 l s 25 o"kz rd		25 o"kz vSj vf/kd		i dj . kka dh dy l a ; k	
		i dj . kka dh l a ; k	j kf' k (Ryk[k e)	i dj . kka dh l a ; k	j kf' k (Ryk[k e)	i dj . kka dh l a ; k	j kf' k (Ryk[k e)	i dj . kka dh l a ; k	j kf' k (Ryk[k e)	i dj . kka dh l a ; k	j kf' k (Ryk[k e)	i dj . kka dh l a ; k	j kf' k (Ryk[k e)	i dj . kka dh l a ; k	j kf' k (Ryk[k e)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	02	6.76	02	13.12	02	5.13	06	26.67	0	0.00	08	11.44	20	63.12
2	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	02	3.68	02	3.68
3	2054-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	04	792.11	01	7.10	0	0.00	01	18.25	0	0.00	05	12.97	11	830.43
4	2215-जलपूर्ति तथा सफाई	0	0.00	03	4.05	02	0.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	05	4.91
5	2014-न्याय प्रशासन	04	18.77	02	3.64	0	0.00	0	0.00	01	0.44	0	0.00	07	22.85
6	2015-निर्वाचन	0	0.00	01	7.90	0	0.00	0	0.00	01	3.77	0	0.00	02	11.67
7	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	0	0.00	01	26.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	26.00
8	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.17	0	0.00	02	8.58
9	2013-मंत्रिपरिषद	01	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.32
10	2055-पुलिस	123	92.20	131	30.68	52	44.03	21	15.63	09	7.69	04	0.72	340	190.95
11	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	04	5.65	07	3.15	06	7.16	17	15.96
12	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	01	0.85	0	0.00	01	1.31	02	4.19	01	0.20	03	2.46	08	9.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	2202—सामान्य शिक्षा	17	73.90	37	354.74	09	18.60	07	4.60	12	8.14	33	22.93	115	482.91
14	2203—तकनीकी शिक्षा	03	2.27	08	16.97	04	8.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	27.37
15	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	02	2.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	02	2.94
16	2230—श्रम तथा रोजगार	03	1.31	04	3.05	03	6.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	11.30
17	2501—ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0	0.00	01	42.31	0	0.00	02	1.34	01	2.90	0	0.00	04	46.55
18	2505—ग्रामीण रोजगार*	0	0.00	01	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.00
19	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	01	8.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	8.56
20	2403—पशुपालन	04	4.91	04	1.37	04	8.73	03	3.56	03	0.30	03	0.24	21	19.11
21	2040—वाणिज्यिक कर	01	0.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.70
22	2401—फसल कृषि कर्म	05	29.39	06	9.34	03	4.19	0	0.00	0	0.00	03	0.48	17	43.40
23	2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	528	614.38	196	236.80	365	360.57	330	144.49	613	125.83	483	92.45	2515	1574.52
24	लोक निर्माण विभाग	05	23.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	05	23.09
25	जल संसाधन विभाग	07	7.06	0	0.00	01	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	08	8.06
26	नर्मदा घाटी विकास विभाग	03	1.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	03	1.30
; kX		715	1689.23	398	757.07	446	459.49	376	224.38	649	152.59	550	154.53	3134	3437.29

* Vhi % foHkKx us vHh rd jk* k l #pr ugha dh

i f j f ' k " V 3-3
 p k j h j n f o f u ; k x @ l j d k j h l k e f x z ; k a d h g k f u d s i z d j . k k a d s l a c k e a
 f o h k k x @ l o x b k j f o o j . k
 % l a n H k % d f M d k 3-3; i " B 63%

1-0-	foHkKx dk uke	pkjh ds izdj.k		nfofu; kx@l jdkjh l kexh dh gkfu		; kx	
		izdj. kka dh l a ; k	jkf' k % yk[k e %	izdj. kka dh l a ; k	jkf' k % yk[k e %	izdj. kka dh l a ; k	jkf' k % yk[k e %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	06	7.47	14	55.65	20	63.12
2	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	02	3.68	02	3.68
3	2054-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	04	447.59	07	382.84	11	830.43
4	2215-जलपूर्ति तथा सफाई	03	2.71	02	2.20	05	4.91
5	2014-न्याय प्रशासन	04	4.11	03	18.74	07	22.85
6	2015-निर्वाचन	01	7.90	01	3.77	02	11.67
7	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	0	0.00	01	26.00	01	26.00
8	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	01	0.17	02	8.58
9	2013-मंत्रिपरिषद	0	0.00	01	0.32	01	0.32
10	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0	0.00	01	8.56	01	8.56
11	2055-पुलिस	18	17.17	322	173.78	340	190.95
12	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	04	5.20	13	10.76	17	15.96
13	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	03	2.47	05	6.54	08	9.01
14	2202-सामान्य शिक्षा	44	71.46	71	411.45	115	482.91
15	2203-तकनीकी शिक्षा	09	12.09	06	15.28	15	27.37
16	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	0.44	01	2.50	02	2.94
17	2230-श्रम तथा रोजगार	08	4.31	02	6.99	10	11.30
18	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.43	03	46.12	04	46.55
19	2505-ग्रामीण रोजगार*	01	0.00	0	0.00	01	0.00
20	2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी	41	12.06	2474	1562.46	2515	1574.52
21	2040-वाणिज्यिक कर	0	0.00	01	0.70	01	0.70
22	2403-पशुपालन	08	7.16	13	11.95	21	19.11
23	2401-फसल कृषि कर्म	12	9.20	05	34.20	17	43.40
24	लोक निर्माण विभाग	03	12.59	02	10.50	05	23.09
25	जल संसाधन विभाग	08	8.06	0	0.00	08	8.06
26	नर्मदा घाटी विकास	02	0.38	01	0.92	03	1.30
	; kx	182	641.21	2952	2796.08	3134	3437.29

% l = k s % e g k y s [k k d k j % l k e k u ; , o a l k e k f t d { k s = y s [k k i j h { k k % , o a e g k y s [k k d k j % l a n H k d , o a j k t l o { k s = y s [k k i j h { k k % e / ; i n s ' k } k j k l a n H j r t k u d k j h %

* V h i % f o H k k x u s v H k h r d j k f ' k l i f p r u g h a d h

Table 3-4

2014-15 के लिए विधायक विभागों के लिए प्रमुख व्ययों का विवरण
 अनुसूची 3-3; पैरा 64

क्र.	विवरण	व्यय विवरण	विवरण	प्रमाण	राशि
1	2205—ग्रामीण रोजगार	अपर सचिव, कला एवं संस्कृति, भोपाल	चोरी के कारण हानि	01	13.12
2	2055—पुलिस	सहायक पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, भोपाल	वाहन दुर्घटना	12	2.07
3	2230—श्रम एवं रोजगार	आयुक्त, भू अभिलेख, ग्वालियर	कम्प्यूटर उपकरणों की चोरी के कारण हुई हानि	01	0.52
4	2406—वानिकी एवं वन्य प्राणी	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं बजट, मध्य प्रदेश, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	84	7.83
	कुल			98	23.54

Table 3-4: Major Expenditures of the Departments for 2014-15. The table shows the details of major expenditures, including the department name, the nature of the expenditure, the amount, and the reason for the expenditure. The total amount is 23.54.

ifj'k"V 3-5
y?kq 'kh"lz "800&vU; 0; ; " ds vrxr ntzfd;k tkuk
¼ anHk% dfMdk 3-7; i"B 67½

I-Ø-	eq; 'kh"lz	eq; 'kh"lz ds vrxr dy 0; ; ¼ djKM+e½	y?kq 'kh"lz 800&vU; 0; ; ds vrxr 0; ; ¼ djKM+e½	ifr'krnk	
1	2075	विविध सामान्य सेवाएं	16.55	13.60	82.18
2	2204	खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	100.09	60.57	60.52
3	2205	कला एवं संस्कृति	158.98	102.46	64.45
4	2217	शहरी विकास	1392.09	799.94	57.46
5	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	93.92	93.92	100
6	2702	लघु सिंचाई	130.71	119.55	91.46
7	2705	कमान क्षेत्र विकास	5.85	3.24	55.38
8	2852	उद्योग	662.88	629.58	94.98
9	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	24.12	24.12	100
10	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान इत्यादि)	1248.89	1113.49	89.16
11	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (ओंकारेश्वर परियोजना तथा नहर उद्वहन इत्यादि)	2561.89	2270.22	88.62
12	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	522.52	517.13	98.97
13	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.46	0.46	100
14	4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	33.11	33.11	100
15	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2846.06	1745.27	61.32
16	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.17	0.17	100
		; ksx	9798.29	7526.83	

¼=kr% foYk ysqks 2014&15½

ijf'k"V 3-6
y?kq 'kh"kl "800&vU; i kflr; k' ds varxr ntl fd; k tkuk
¼ nHk% dMdk 3-7; i" B 67½

I-Ø-	ed; 'kh"kl	ed; 'kh"kl ds varxr dy i kflr; k; ¼ dj kM+e½	y?kq 'kh"kl 800&vU; i kflr; k' ds varxr i kflr ¼ dj kM+e½	i fr'krk	
1	0035	कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल संपत्ति पर कर	635.01	635.01	100
2	0039	राज्य आबकारी	6695.54	5195.31	77.59
3	0056	जेल	3.87	3.71	95.87
4	0059	लोक निर्माण कार्य	50.82	50.27	98.92
5	0211	परिवार कल्याण	0.11	0.10	90.91
6	0215	जलपूर्ति तथा सफाई	6.72	4.32	64.29
7	0217	शहरी विकास	100.62	100.07	99.45
8	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	51.92	50.31	96.90
9	0401	फसल कृषि कर्म	38.06	22.18	58.28
10	0403	पशुपालन	3.43	2.23	65.01
11	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.84	2.44	85.92
12	0700	मुख्य सिंचाई	43.82	35.21	80.35
13	0702	लघु सिंचाई	299.77	299.77	100
14	0801	विद्युत	381.23	381.23	100
15	0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2813.66	2309.84	82.09
16	0875	अन्य उद्योग	0.04	0.04	100
17	1601	केन्द्र सरकार से सहायतानुदान	17591.44	12528.71	71.22
		; ks	28718.90	21620.75	

¼ = ks% folk ysk 2014&15½

i jf'k"V 3-7-"v"

2013&14 ds ctV I s i n d o "k k d s n k f; Roka 1/2 2011&12 , oa 2012&13 1/2 dk Hkqrku n'kkz; s tkus okyk foj .k

1/4 nHk% d fMdk 3-8; i "B 68 1/2

I -Ø-	dk; kly; dk uke	nş d o"kl	nş dka dh l d; k	nş d vnk; xh o"kl	j kf' k 1/2 yk [k e 1/2
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मंदसौर	2012-13	16	2013-14	21.86
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, देवास	2012-13	01	2013-14	2.16
3	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मंदसौर	2012-13	03	2013-14	9.70
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिंदवाड़ा	2012-13	10	2013-14	19.98
5	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, उमरिया	2011-12	34	2013-14	0.35
		2012-13	113		1.49
6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाजापुर	2012-13	01	2013-14	4.88
; kx			178		60.42

1/4 = k r % foHkx 3/4 jk inUk tkudkj 1/2

i jf'k"V 3-7-"c"

2014&15 ds ctV I s i n d o "k k d s n k f; Roka 1/2 2011&12] 2012&13 , oa 2013&14 1/2 dk Hkqrku n'kkz; s tkus okyk foj .k

1/4 nHk% d fMdk 3-8; i "B 68 1/2

I -Ø-	dk; kly; dk uke	nş d o"kl	nş dka dh l d; k	nş d vnk; xh o"kl	j kf' k 1/2 yk [k e 1/2
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मंदसौर	2013-14	21	2014-15	3.60
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, देवास	2013-14	16	2014-15	20.76
3	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मंदसौर	2013-14	01	2014-15	11.84
4	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, सिंगरौली	2013-14	25	2014-15	47.74
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिंदवाड़ा	2012-13	01	2014-15	0.10
		2013-14	13		24.74
6	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, उमरिया	2013-14	80	2014-15	8.64
7	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, पन्ना	2013-14	13	2014-15	8.97
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल (गैस राहत)	2013-14	05	2014-15	5.49
9	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाजापुर	2013-14	01	2014-15	0.64
10	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बालाघाट	2013-14	14	2014-15	2.34
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उमरिया	2011-12	01	2014-15	1.14
		2012-13	04		4.66
		2013-14	05		2.75
; kx			200		143.41

1/4 = k r % foHkx 3/4 jk inUk tkudkj 1/2

i f j f ' k " V 3-8
 c d d [k k r k a d k v f u ; f e r l a k k j . k d k s n ' k k z ; s t k u s o k y k f o o j . k
 ¼ l a n H k % d f M d k 3-9 ; i " B 6 9 ½

1-Ø	foHkx dk uke	dk; kly; dk uke	vkjg .k , oa l forj .k vf/kdkjh	c d d [k k r k a d h l a ; k	c d d dk uke , oa ' k k [k k	f n u k a d d k s ' k s k	' k s k ¼ y k [k e ½
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गृह विभाग	कमांडेंट हॉक फोर्स, भोपाल	सहायक कमांडेंट, कमांडेंट हॉक फोर्स, भोपाल	01	एस.बी.आई., टी.टी नगर, भोपाल	20-04-2015	15.12
		पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा	01	एस.बी.आई., सर्कुलर रोड, छिंदवाड़ा	27-04-2015	2.87
2	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, छिंदवाड़ा	जिला योजना अधिकारी, छिंदवाड़ा	01	पी.एन.बी., स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा	11-05-2015	181.45
3	सामान्य प्रशासन	जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन), ग्वालियर	संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर	01	एस.बी.आई., न्यू कलेक्टरेट, ग्वालियर	02-06-2015	16.93
4	स्कूल शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी, नरसिंहपुर	जिला शिक्षा अधिकारी, नरसिंहपुर	01	एस.बी.आई., शाखा नरसिंहपुर	01-06-2015	17.86
		जिला शिक्षा अधिकारी, बुरहानपुर	जिला शिक्षा अधिकारी, बुरहानपुर	01	एस.बी.आई., सनवारा, बुरहानपुर	31-05-2015	36.10
		प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल खेडा-नलछा, जिला-धार	प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल खेडा-नलछा, जिला-धार	02	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सागौर कुटी पीथमपुर, धार	02-02-2015	0.03
				02	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सागौर कुटी पीथमपुर, धार	05-03-2015	0.01
विकास खंड शिक्षा अधिकारी, थांदला, झाबुआ	विकास खंड शिक्षा अधिकारी, थांदला, झाबुआ	01	एस.बी.आई., शाखा थांदला, झाबुआ	02-06-2015	68.61		

1	2	3	4	5	6	7	8
5	उच्च शिक्षा	प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय, जावद, नीमच	प्राचार्य शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय, जावद, नीमच	01	एस.बी.आई., जावद, नीमच	31-03-2015	38.34
		प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी	प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी	01	एस.बी.आई., इटारसी	31-03-2015	3.39
		महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर	अधिष्ठाता, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर	01	एस.बी.आई., शाखा एम.वाई.एच., इन्दौर	31-03-2015	116.06
		संयुक्त निदेशक सह अधीक्षक गांधी मेमोरियल चिकित्सालय, रीवा	संयुक्त निदेशक सह अधीक्षक गांधी मेमोरियल अस्पताल, रीवा	02	पंजाब नेशनल बैंक, एस.एस. मेडिकल महाविद्यालय, रीवा	31-03-2015	9.61
		एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर	प्राध्यापक विकिरण चिकित्सा सह चिकित्सा अधीक्षक, शासकीय कैंसर अस्पताल, इन्दौर		01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी.पी.ओ., ए.बी. रोड, इन्दौर	31-03-2015
		प्राचार्य, पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्यिक डिग्री महाविद्यालय, सागर	प्राचार्य, शासकीय डिग्री महाविद्यालय, सागर	01	मध्यांचल ग्रामीण बैंक, तिली रोड, सागर	31-03-2015	48.56
		प्राचार्य शासकीय कन्या डिग्री महाविद्यालय, पन्ना	प्राचार्य, शासकीय कन्या डिग्री महाविद्यालय, पन्ना	02	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गणेश मार्केट, शाखा पन्ना	31-03-2015	20.96
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गणेश मार्केट, शाखा पन्ना	31-03-2015		0.67		
6	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी	01	एस.बी.आई., बारा पटार रोड, सिवनी	30-05-2015	65.48
		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायसेन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायसेन	01	एस.बी.आई., यशवंत नगर, रायसेन	23-05-2015	6.95
7	अनुसूचित जनजाति विकास	परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, डिंडौरी	परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, डिंडौरी	03	आई.डी.बी.आई. बैंक	02-01-2015	244.60
					जिला सहकारी बैंक	27-03-2015	59.81
					मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, डिंडौरी	31-03-2015	31.20
	अनुसूचित जनजाति कल्याण	जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, पन्ना	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, पन्ना	01	मध्यांचल ग्रामीण बैंक, पोस्ट-पन्ना	15-01-2015	132.46

1	2	3	4	5	6	7	8
8	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, खरगौन	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, खरगौन	03	नर्मदा ज़ाबुआ ग्रामीण बैंक	25-04-2015	300.00
					एक्सिस बैंक	30-04-2015	89.72
					एक्सिस बैंक	30-04-2015	2.65
		सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, खंडवा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, खंडवा	02	एक्सिस बैंक	12-05-2015	184.82
					एच.डी.एफ.सी. बैंक	16-04-2015	4.26
सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, हरदा	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, हरदा	01	एक्सिस बैंक, हरदा	30-04-2015	115.88		
सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, धार	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, धार	03	आई.सी.आई.सी.आई बैंक	30-05-2015	11.86		
			एस.बी.आई	17-06-2015	7.69		
			एक्सिस बैंक	01-05-2015	5.03		
9	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, भोपाल	अतिरिक्त संचालक (वित्त) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, भोपाल	01	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	31-03-2015	735.55
10	गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	संचालनालय, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल	01	पी.एन.बी., भोपाल	31-03-2015	421.38
		; kx	25	35			3061.09

५=kr%fohkix }jkk inuk tkudkjihz

ifj'k"V 3-9
 jktLo tek dks vrfjr ugha dh xbl 0; fäxr tek [kkrk dh jkf'k dk
 dk'skky; okj fooj.k
 ¼ anHk% d'fMdk 3-11; i" B 73½

I-Ø-	dk'skky; dk uke	[kkrk dh l a; k	fLFkfr ea	jkf'k ¼ yk[k e½
1	2	3	4	5
1	वल्लभ भवन, भोपाल	06	28-02-2015	7444.68
2	खरगोन	02	30-11-2014	1.34
3	बालाघाट	01	31-12-2014	2.84
4	बड़वानी	04	30-11-2014	69.60
5	विन्ध्याचल भवन, भोपाल	13	31-10-2014	2889.17
6	मोतीमहल, ग्वालियर	03	31-10-2014	7.93
7	रायसेन	07	30-09-2014	52.53
8	ग्वालियर	02	30-09-2014	1.23
9	होशंगाबाद	06	31-10-2014	12.16
10	शाजापुर	01	31-10-2014	0.44
11	राजगढ़	01	31-10-2014	0.50
12	मंडला	03	31-08-2014	2.03
13	नरसिंहपुर	06	31-08-2014	22.58
14	सिंगरौली	01	31-07-2014	5.00
15	सीहोर	04	31-03-2014	48.77
16	छतरपुर	03	31-07-2014	0.64
17	शिवपुरी	04	31-07-2014	17.80
18	भिन्ड	02	31-10-2014	132.92
19	इन्दौर	02	30-04-2014	54.11
	; kx	71		10766.27

¼ =kx% dk'skky; }jk inlk tkudkj½

© Hkkjr ds fu; æd&egkys[kki jh{k d
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in